

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2024—आश्विन 12, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2024

क्र. ई-1-154-2023-5-एक.—श्री तरुण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे (2009) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से भारतीय रेलवे सेवा में दिनांक 7 सितम्बर 2004 से दिनांक 28 अगस्त 2009 तक कार्यरत रहे हैं। रेल मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 2023-ई-(ओ.)-11-24-34, नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2023 के द्वारा श्री तरुण कुमार पिथोड़े की उक्त सेवा पुरानी पेंशन योजना, अर्थात् रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत मान्य की गई है।

(2) श्री तरुण कुमार पिथोड़े, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, के परिपत्र क्रमांक 25011-06-2014-AIS-II, दिनांक 4 नवम्बर 2015 के बिन्दु क्रमांक 3 व परिपत्र क्रमांक 25011-02-2021-AIS-II (Pension), दिनांक 13 जुलाई 2023 के बिन्दु क्रमांक 3, 4 एवं 6 में उल्लेखित पात्रता मानदण्डों की पूर्ति करते हैं। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति हितलाभ) नियम, 1958 के नियम 12(2) के तहत दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2009 के दो दिवस के व्यवधान अवधि को दोष मार्जित करते हुए, राज्य शासन, श्री तरुण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे (2009) की भारतीय रेलवे की दिनांक 7 सितम्बर 2004 से 28 अगस्त 2009 तक की पूर्व सेवा को वर्तमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ जोड़ी जाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) अर्थात् अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति हितलाभ) नियम, 1958 का लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

4839

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2024

क्र. ई-5-764-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 12, 13 अक्टूबर 2024 एवं दिनांक 19, 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति संरक्षण विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2024

क्र. आर.-1658219-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री विनीत कपूर, भापुसे, पीएस टू डीजीपी, पु. मु., भोपाल को 2024 IACP "Leadership in Community Policing Award" कार्यक्रम में प्राप्तकर्ता के रूप में अवार्ड ग्रहण करने हेतु उक्त कार्यक्रम में दिनांक 16 से 25 अक्टूबर 2024 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि तक बॉस्टन शहर (यू. एस. ए.) में निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश यात्रा के दौरान आमंत्रणकर्ता संस्थान IACP (International Association of Chiefs of Police) का आतिथ्य स्वीकार करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत कपूर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पीएस टू डीजीपी, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनीत कपूर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत कपूर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. आर.-2276822-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री विवेक शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (योजना), पु. मु., भोपाल को पारिवारिक कार्य / पर्यटन हेतु दिनांक 7 से 25 अक्टूबर 2024 कुल, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5, 6 अक्टूबर 2024 के लाभ के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अवकाश अवधि में से दिनांक 24 से 21 अक्टूबर 2024 तक की अवधि में Dubai (United Arab Emirates) जाने हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक (योजना), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2024

क्र. 2286715-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, सेनानी, 13वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को दिनांक 23 से 30 सितम्बर 2024 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित बैल्जियम (यू. के.) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, के अवकाश अवधि में सेनानी, 13वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर का कार्यभार श्री शिव दयाल, भापुसे, सेनानी, 14वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सेनानी, 13वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. एफ 11-29-2004-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-02-2019-एक-9, दिनांक 10 सितम्बर 2024 से निगम, मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के माननीय भारसाधक मंत्री को सौंपे जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं.

(2) उक्त आदेश के परिपालन में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड ऑर्टिकल (81) (ए) (डी), (ई) (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री गोविन्द सिंह राजपूत, माननीय मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

क्र. एफ 11-1 (11-1)-2006-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-02-2019-एक-9, दिनांक 10 सितम्बर 2024 से निगम, मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के माननीय भारसाधक मंत्री को सौंपे जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं.

(2) उक्त आदेश के परिपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 20 (1) (बी) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री गोविन्द सिंह राजपूत, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक, नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2024

क्र. एफ 9-2-2008-बी-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 9-2-99-ब-सोलह, दिनांक 11 अगस्त 2014 के अनुक्रम में, मेसर्स इंडियन कॉफी वर्क्स कॉ-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितम्बर 2025 तक की अवधि के लिए इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होंगी. सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहेबिलिटेशन अलाउन्स की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल
 पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश
 भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2024

जावरा विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4097-वि. यो.-जावरा-उपांतरण-नग्रानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि जावरा विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, जावरा, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जावरा विकास योजना 2031	औद्योगिक	4	4-सा-7	4	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

बैरसिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4101-वि. यो.-बैरसिया-उपांतरण-नग्रानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैरसिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बैरसिया विकास योजना 2021	औद्योगिक अ. सेवा उद्योग ब. अन्य उद्योग	6	6-सा-14	3 (अ. एवं ब.)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

आमला विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4105-वि. यो.-आमला-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आमला विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, आमला, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आमला विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-11	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

साँची विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4109-वि. यो.-साँची-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि साँची विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, साँची, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	साँची विकास योजना 2011	औद्योगिक	6	6-सा-12	6-सा-12	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

राजगढ़ विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4113-वि. यो.-राजगढ़-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि राजगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, राजगढ़, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय राजगढ़, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजगढ़ विकास योजना 2031	औद्योगिक	4	4-सा-10	4	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय राजगढ़ को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

मण्डला विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4117-वि. यो.-मण्डला-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मण्डला विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मण्डला, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय मण्डला, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मण्डला विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ)-सेवा उद्योग (ब)-अन्य उद्योग	6	6-सा-15	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय मण्डला को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

मण्डीदीप विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4123-वि. यो.-मण्डीदीप-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मण्डीदीप विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मण्डीदीप, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मण्डीदीप विकास योजना 2031	औद्योगिक अ-सेवा उद्योग ब-अन्य उद्योग	6	6-सा-11	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

पिपरिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4130-वि. यो.-पिपरिया-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पिपरिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, पिपरिया, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पिपरिया विकास योजना 2021	औद्योगिक	6	6-सा-12	3	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नर्मदापुरम को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

जबलपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4134-वि. यो.-जबलपुर-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिका निगम, जबलपुर मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

जबलपुर विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की कंडिका 4.9 की सारणी 4-सा-17 के सरल क्रमांक-004 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

क्र.	उपयोग परिसर	उपयोग परिक्षेत्र आर. डी.	सी. 3	सी. 4	आई. 1	आई. 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
004	छात्रावास	P	P	P	P	P

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

रायसेन विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4138-वि. यो.-रायसेन-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रायसेन विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, रायसेन, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रायसेन विकास योजना 2021	औद्योगिक अ-सेवा उद्योग ब-अन्य उद्योग	6	6-सा-14	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

कटनी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4142-वि. यो.-कटनी-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कटनी विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिका निगम, कटनी, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कटनी विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-11	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

उमरिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4146-वि. यो.-उमरिया-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उमरिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उमरिया, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	उमरिया विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-14	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

आलोट विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4150-वि. यो.-आलोट उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आलोट विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, उज्जैन, संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, आलोट, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आलोट विकास योजना 2031	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-13	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024

चित्रकूट विकास योजना 2005 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4209-वि. यो.-चित्रकूट-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि चित्रकूट विकास योजना 2005 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, चित्रकूट, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	चित्रकूट विकास योजना 2005	औद्योगिक	7	7-सा-5	3	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अनूपपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4213-वि. यो.-अनूपपुर उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, शहडोल, संभाग, शहडोल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अनूपपुर विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-14	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4217-वि. यो.-रामपुरबाघेलान-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रामपुर बाघेलान विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, रामपुर बाघेलान, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-13	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024

गंजबासौदा विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4269-वि. यो.-गंजबासौदा-उपांतरण-नग्रानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि गंजबासौदा विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंजबासौदा, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / सर्ल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	गंजबासौदा विकास योजना 2031	औद्योगिक	6	6-सा-11	3	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

मुलताई विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4273-वि. यो.-मुलताई-उपांतरण-नग्रानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मुलताई विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुलताई, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / सर्ल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	मुलताई विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ)-सेवा उद्योग (ब)-अन्य उद्योग	6	6-सा-14	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

झाबुआ विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4277-वि. यो.-झाबुआ-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि झाबुआ विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, झाबुआ, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / सॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7) छात्रावास
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	झाबुआ विकास योजना 2011	औद्योगिक (अ)-सेवा उद्योग (ब)-अन्य उद्योग	6	6-सा-15	3 (अ एवं ब)	

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

प्ररूप-2

[नियम 5 का उपनियम (एक) देखिए]

प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

क्र. 4289.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 2 के खण्ड (णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संचालक, एतद्वारा उज्जैन निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार अधिसूचित करते हैं. अर्थात् :—

अनुसूची

(प्राप्ति क्षेत्र)

सरल क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उज्जैन विकास योजना 2035 का निवेश क्षेत्र.	विकास योजना, 2035 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र में आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग.	मार्ग की चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा.

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र के उपयोग की अनुमति दे सकेगा.

श्रीकांत बनोट, वि.क.अ.-सह.-आयुक्त-सह-संचालक.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक/एफ-25-75/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 25° 42' 22.14" N से 25° 41' 30.912" N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 12' 39.888" E से 77° 12' 6.372" E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- श्योपुर

तहसील - विजयपुर

वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर

वन परिक्षेत्र - पालपुर पूर्व

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	07
1	बरेंड	बरेंड	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अधिग्रहित भूमि एवं अन्य मद की शासकीय भूमि	2	0.355	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 एवं 14 तक। पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 3 तक। पश्चिम- कूनो नदी। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 1 एवं कूनो नदी।
2				7	0.314	
3				20/2 डाढा	0.418	
4				21 डाढा	0.993	
5				22 डाढा	0.161	
6				23	1.484	
7				24	0.073	
8				25 पड़वा	0.293	
9				26 पड़वा	0.627	
10				27	0.125	
11				28 डाढा	0.575	
12				29/1	3.334	
13				29/2 डाढा	1.672	
14				29/3 डाढा	0.836	
15				29/4	0.784	
16				30 डाढा	0.502	
17				31 डाढा	0.042	
18				33 पड़वा	0.742	

19			33/141 डाढा	0.272
20			34	0.658
21			35 डाढा	0.69
22			36 डाढा	0.669
23			37 डाढा	0.512
24			38 डाढा	0.052
25			39 डाढा	0.021
26			40 डाढा	0.063
27			41	1.181
28			42 पड़वा	0.251
29			43 पड़वा	0.188
30			44 पड़वा	0.408
31			45 पड़वा	0.46
32			46 पड़वा	0.063
33			47	0.575
34			48	0.387
35			49 पड़वा	1.15
36			52 पड़वा	0.376
37			54 पड़वा	0.878
38			55 पड़वा	0.826
39			56 पड़वा	0.564
40			58	0.125
41			72 पड़वा	0.105
42			73 पड़वा	0.084
43			74 पड़वा	0.094
44			76 डाढा	0.658
45			77 डाढा	0.115
46			78 डाढा	0.157
47			79 डाढा	0.105
48			80 डाढा	0.084
49			81 डाढा	0.052
50			82 डाढा	0.146
51			83 डाढा	0.031
52			84 डाढा	0.031
53			85 डाढा	0.084
54			86/1 डाढा	0.042
55			86/2 डाढा	0.042
56			87 गौठान	0.042
57			88 गौठान	0.031

58			89 गौठान	0.031
59			90 गौठान	0.052
60			91	0.272
61			92 गौठान	0.052
62			93 गौठान	0.042
63			94 डाडा	0.021
64			95/1 डाडा	0.084
65			95/2 डाडा	0.063
66			96	0.146
67			97 गौठान	0.042
68			98 गौठान	0.031
69			99 गौठान	0.052
70			100	0.219
71			101 पड़वा	0.732
72			102 पड़वा	1.045
73			103 पड़वा	1.264
74			104	0.021
75			105 पड़वा	0.648
76			106/1 पड़वा	0.167
77			106/2 पड़वा	0.209
78			106/3 पड़वा	0.209
79			106/140 पड़वा	0.773
80			107/1 पड़वा	0.523
81			107/2 पड़वा	1.045
82			107/3 पड़वा	0.794
83			108 राकड़	3.95
84			109/1 राकड़	1.463
85			109/2 राकड़	3.71
86			110 राकड़	2.236
87			113 पड़वा	1.338
88			114 पड़वा	1.181
89			115 पड़वा	0.073
90			116	0.114
91			117 पड़वा	0.24
92			118 पड़वा	0.732
93			119 पड़वा	1.014
94			120 पड़वा	0.031
95			121 पड़वा	0.993

96	—''—	—''—	—''—	122 पड़वा	0.836
97	—''—	—''—	—''—	123 पड़वा	0.042
98	—''—	—''—	—''—	124	0.084
99	—''—	—''—	—''—	125	0.042
100	—''—	—''—	—''—	126 पड़वा	0.261
101	—''—	—''—	—''—	127 पड़वा	0.867
102	—''—	—''—	—''—	128 पड़वा	0.846
103	—''—	—''—	—''—	129	0.042
104	—''—	—''—	—''—	130 पड़वा	0.606
105	—''—	—''—	—''—	131 पड़वा	1.361
106	—''—	—''—	—''—	132	0.115
107	—''—	—''—	—''—	133 पड़वा	0.052
108	—''—	—''—	—''—	134 पड़वा	0.836
109	—''—	—''—	—''—	136	0.073
110	—''—	—''—	—''—	139	0.293
कुल योग :-				110	57.57

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55/96-FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित/आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 57.57 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-श्यापुर के आदेश क्रमांक 148 दिनांक 04.09.2020 से हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

- उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक/636/रीडर-1/2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ-25-75-2021-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021-दस-3, दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 26th September 2024

No/F-25-75/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927), the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25°42'22.14" N to 25°41'30.912" N North Latitude and 77°12' 39.888" E to 77°12'6.372" E East Longitude.

SCHEDULE

District - Sheopur

Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur

Tahsil - Vijaypur

Range - Palpur East

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
01	02	03	04	05	06	07	
1	Barend	Barend	Government Land acquired in the favor of Forest Department of Madhya Pradesh,	2	0.355	North-East-West-South-	Proposed forest block Pillar number 15 and 14 Proposed forest block Pillar no. 14 to 3. Kuno River. Proposed forest block Pillar no. 3 to 1.
2				7	0.314		
3				20/2	0.418		
4				21	0.993		
5				22	0.161		
6				23	1.484		
7				24	0.073		
8				25	0.293		
9				26	0.627		
10				27	0.125		
11				28	0.575		
12				29/1	3.334		
13				29/2	1.672		
14				29/3	0.836		
15				29/4	0.784		
16				30	0.502		
17				31	0.042		
18				33	0.742		
19				33/141	0.272		
20				34	0.658		
21				35	0.69		
22				36	0.669		
23				37	0.512		
24				38	0.052		
25				39	0.021		
26				40	0.063		
27				41	1.181		
28				42	0.251		
29				43	0.188		
30				44	0.408		
31				45	0.46		
32				46	0.063		
33				47	0.575		
34				48	0.387		

35			49	1.15
36			52	0.376
37			54	0.878
38			55	0.826
39			56	0.564
40			58	0.125
41			72	0.105
42			73	0.084
43			74	0.094
44			76	0.658
45			77	0.115
46			78	0.157
47			79	0.105
48			80	0.084
49			81	0.052
50			82	0.146
51			83	0.031
52			84	0.031
53			85	0.084
54			86/1	0.042
55			86/2	0.042
56			87	0.042
57			88	0.031
58			89	0.031
59			90	0.052
60			91	0.272
61			92	0.052
62			93	0.042
63			94	0.021
64			95/1	0.084
65			95/2	0.063
66			96	0.146
67			97	0.042
68			98	0.031
69			99	0.052
70			100	0.219
71			101	0.732
72			102	1.045
73			103	1.264
74			104	0.021
75			105	0.648
76			106/1	0.167
77			106/2	0.209
78			106/3	0.209
79			106/140	0.773
80			107/1	0.523
81			107/2	1.045
82			107/3	0.794
83			108	3.95
84			109/1	1.463
85			109/2	3.71
86			110	2.236
87			113	1.338
88			114	1.181
89			115	0.073
90			116	0.114

91				117	0.24
92				118	0.732
93				119	1.014
94				120	0.031
95				121	0.993
96				122	0.836
97				123	0.042
98				124	0.084
99				125	0.042
100				126	0.261
101				127	0.867
102				128	0.846
103				129	0.042
104				130	0.606
105				131	1.361
106				132	0.115
107				133	0.052
108				134	0.836
109				136	0.073
110				139	0.293
Total :-				110	57.57

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no. 8-55/96-FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary, a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 57.57 ha. non-forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has. transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no. 148 dated 04.9.2020 is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons - Nil

(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under:-

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक/एफ-25-75/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 25° 47' 5.964" N से 25° 45' 29.412" N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 11' 10.032" E से 77° 09' 39.924" E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- श्योपुर

तहसील - विजयपुर

वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर

वन परिक्षेत्र - पालपुर पश्चिम

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ	
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	लादर	लादर	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अधिग्रहित भूमि एवं अन्य मद की शासकीय भूमि	18 डाढा 1	0.637	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 45 से 48 एवं 1 से 9 तक।	
2				19	0.679		
3				20 डाढा 1	0.826		
4				21 डाढा 1	0.115		पूर्व-
5				22	0.073		
6				23	11.589		
7				26	1.296		दक्षिण-
8				26/2डाढा 1	0.272		
9				29 डाढा दो	0.533		पश्चिम-
10				30 डाढा दो	0.146		
11				31	0.376		
12				32 डाढा 1	5.341		
13				57 डाढा दो	1.735		
14				58 डाढा दो	0.073		
15				59 डाढा दो	0.031		
16				62	3.344		
17				63	11.331		
18				64/1 डाढा1	0.115		

19			64/2	0.084	
20			64/3	0.669	
21			65	0.888	
22			66	0.073	
23			67	0.136	
24			68/1	0.167	
25			68/2	0.157	
26			68/3	0.188	
27			68/4	0.178	
28			68/5	0.157	
29			68/6	0.157	
30			68/7	1.146	
31			8/8	0.954	
32			69	0.052	
33			70	0.209	
34			71	0.063	
35			72 गोहान 1	0.052	
36			73 गोहान 1	0.031	
37			74 गोहान दो	0.094	
38			75 गोहान दो	0.052	
39			76 गोहान दो	0.042	
40			77 गोहान दो	0.021	
41			78 गोहान दो	0.01	
42			79	0.052	
43			80	0.063	
44			81 गोहान दो	0.041	
45			82 गोहान दो	0.031	
46			83 गोहान दो	0.021	
47			84 गोहान दो	0.042	
48			85 गोहान दो	0.073	
49			86 गोहान दो	0.042	
50			87 गोहान दो	0.042	
51			88 गोहान दो	0.01	
52			89 गोहान दो	0.052	
53			90 पड़वा	0.115	
54			91 डाढा दो	0.01	
55			92 डाढा दो	0.042	
56			93	0.648	
57			94	0.178	
58			95	0.01	

59			96	0.042	
60			97	0.073	
61			98	0.658	
62			99	0.836	
63			100,102,104	1.097	
64			101	0.021	
65			103	0.272	
66			105	1.432	
67			106	0.259	
68			107	0.136	
69			108	0.345	
70			109	0.658	
71			110	0.052	
72			111	0.073	
73			112	0.366	
74			113	0.115	
75			114	0.052	
76			115	0.01	
77			116	0.188	
78			117	0.418	
79			118	0.042	
80			119	0.021	
81			120	0.042	
82			121	0.314	
83			122	0.805	
84			123	0.073	
85			124	0.543	
86			125	0.355	
87			126	0.031	
88			127	0.021	
89			128	0.157	
90			129	1.777	
91			130	1.672	
92			131 डाढा दो	2.738	
93			132	0.951	
94			133	5.592	
95			134	1.129	
96			135	0.408	
97			136 डाढा दो	2.142	
98			137	0.679	

99				138 राकड़ 1	0.355
100				138 / 3-65	0.419
101				139 राकड़ 1	0.063
102				141 डाढा 1	0.219
103				141 / 370	0.0533
104				142 डाढा 1	0.01
105				143	0.073
106				144 डाढा 1	0.219
107				145	0.272
108				146 डाढा 1	0.23
109				147 डाढा 1	0.073
110				148 डाढा 1	1.717
111				149 डाढा 1	0.47
112				150	8.256
113				151 राकड़ 1	0.188
114				152 डाढा 1	0.272
115				153	0.01
116				154 डाढा 1	0.115
117				155 डाढा 1	1.996
118				156	0.199
119				157 डाढा 1	2.832
120				158	2.56
121				160 डाढा 1	0.606
122				161	4.744
123				162	2.592
124				163	4.975
125				164	9.886
126				165	2.769
127				166 पड़वा 2	0.115
128				167 पड़वा 2	0.575
129				168	0.219
130				169 राकड़दो	0.073
131				170	0.502
132				172	0.115
133				174	0.794
134				175	0.219
135				176	0.031
136				177	0.042
137				178	0.063
138				179	0.01

139			180	0.021
140			235	3.386
141			236	0.105
142			238	0.773
143			239 डाढा 1	1.275
144			242 राकड़ 1	0.125
145			243 राकड़ 1	0.125
146			244	2.142
147			245	0.209
148			246	0.052
149			247	0.146
150			248	4.389
151			249	4.129
152			250	0.052
153			251 राकड़ 1	0.314
154			252 राकड़ 1	1.139
155			253 राकड़ 1	3.511
156			254 राकड़ 1	0.575
157			255	0.167
158			256 राकड़ 1	0.397
159			257	1.797
160			258	0.345
161			259	0.637
162			260	1.411
163			263 डाढा 1	10.032
164			263 / 366	12.54
165			264	12.122
166			265	35.112
167			266	23.157
168			269	0.282
169			272	6.062
170			274	9.363
171			277	1.139
172			278	0.376
173			279 राकड़ 1	0.888
174			280 राकड़ 1	1.129
175			281 राकड़ 1	2.028
176			282 राकड़ 1	1.045
177			283 राकड़ 1	0.219
178			284	3.575

179			287	0.784
180			288	0.781
181			289	0.209
182			322	0.209
183			323	0.972
184			324	1.881
185			325	3.292
186			326	4.536
187			327	3.01
188			328	0.878
189			329	2.863
190			330	3.344
191			331	3.135
कुल योग :-			191	293.28

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55/96-FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित/आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 293.28 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-श्यापुर के आदेश क्रमांक 134 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

- (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक/636/रीडर-1/2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ-25-75-2021-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021-दस-3, दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 26th September 2024

No./F-25-75/2021/10-3 :: .In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927), the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25°47'5.964" N to 25°45'29.412" N North Latitude and 77°11'10.032" E to 77°9'39.924" E East Longitude.

SCHEDULE

District - Sheopur

Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur

Tahsil - Vijaypur

Range - Palpur West

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
01	02	03	04	05	06	07	
1	Ladar	Ladar	Land acquired in the favor of Forest Department of Madhya Pradesh, Government	18 डादा 1	0.637	North- Pillar number 45 to 48 and 1 to 9 of proposed forest block. East- Pillar number 9 to 25 of proposed forest block. South- Pillar number 25 to 33 of proposed forest block. West- Pillar number 33 to 45 of proposed forest block.	
2				19	0.679		
3				20 डादा 1	0.826		
4				21 डादा 1	0.115		
5				22	0.073		
6				23	11.589		
7				26	1.296		
8				26/2 डादा 1	0.272		
9				29 डादा दो	0.533		
10				30 डादा दो	0.146		
11				31	0.376		
12				32 डादा 1	5.341		
13				57 डादा दो	1.735		
14				58 डादा दो	0.073		
15				59 डादा 2	0.031		
16				62	3.344		
17				63	11.331		
18				64/1 डादा 1	0.115		
19				64/2	0.084		
20				64/3	0.669		
21				65	0.888		
22				66	0.073		
23				67	0.136		
24				68/1	0.167		
25				68/2	0.157		
26				68/3	0.188		
27				68/4	0.178		
28				68/5	0.157		
29				68/6	0.157		
30				68/7	1.146		
31				8/8	0.954		

32			69	0.052
33			70	0.209
34			71	0.063
35			72 गोहान 1	0.052
36			73 गोहान 1	0.031
37			74 गोहान दो	0.094
38			75 गोहान दो	0.052
39			76 गोहान दो	0.042
40			77 गोहान दो	0.021
41			78 गोहान दो	0.01
42			79	0.052
43			80	0.063
44			81 गोहान दो	0.041
45			82 गोहान दो	0.031
46			83 गोहान दो	0.021
47			84 गोहान दो	0.042
48			85 गोहान दो	0.073
49			86 गोहान दो	0.042
50			87 गोहान दो	0.042
51			88 गोहान दो	0.01
52			89 गोहान दो	0.052
53			90 पडवा	0.115
54			91 डाढा दो	0.01
55			92 डाढा दो	0.042
56			93	0.648
57			94	0.178
58			95	0.01
59			96	0.042
60			97	0.073
61			98	0.658
62			99	0.836
63			100,102,104	1.097
64			101	0.021
65			103	0.272
66			105	1.432
67			106	0.259
68			107	0.136
69			108	0.345
70			109	0.658
71			110	0.052
72			111	0.073
73			112	0.366
74			113	0.115
75			114	0.052
76			115	0.01
77			116	0.188
78			117	0.418
79			118	0.042
80			119	0.021

81				120	0.042
82				121	0.314
83				122	0.805
84				123	0.073
85				124	0.543
86				125	0.355
87				126	0.031
88				127	0.021
89				128	0.157
90				129	1.777
91				130	1.672
92				131 डाढा दो	2.738
93				132	0.951
94				133	5.592
95				134	1.129
96				135	0.408
97				136 डाढा दो	2.142
98				137	0.679
99				138 राकड़ 1	0.355
100				138/3-65	0.419
101				139 राकड़ 1	0.063
102				141 डाढा 1	0.219
103				141/370	0.0533
104				142 डाढा 1	0.01
105				143	0.073
106				144 डाढा 1	0.219
107				145	0.272
108				146 डाढा 1	0.23
109				147 डाढा 1	0.073
110				148 डाढा 1	1.717
111				149 डाढा 1	0.47
112				150	8.256
113				151 राकड़ 1	0.188
114				152 डाढा 1	0.272
115				153	0.01
116				154 डाढा 1	0.115
117				155 डाढा 1	1.996
118				156	0.199
119				157 डाढा 1	2.832
120				158	2.56
121				160 डाढा 1	0.606
122				161	4.744
123				162	2.592
124				163	4.975
125				164	9.886
126				165	2.769
127				166 पड़वा दो	0.115
128				167 पड़वा दो	0.575
129				168	0.219

130			169 राकड़ दो	0.073
131			170	0.502
132			172	0.115
133			174	0.794
134			175	0.219
135			176	0.031
136			177	0.042
137			178	0.063
138			179	0.01
139			180	0.021
140			235	3.386
141			236	0.105
142			238	0.773
143			239 डाढा 1	1.275
144			242 राकड़ 1	0.125
145			243 राकड़ 1	0.125
146			244	2.142
147			245	0.209
148			246	0.052
149			247	0.146
150			248	4.389
151			249	4.129
152			250	0.052
153			251 राकड़ 1	0.314
154			252 राकड़ 1	1.139
155			253 राकड़ 1	3.511
156			254 राकड़ 1	0.575
157			255	0.167
158			256 राकड़ 1	0.397
159			257	1.797
160			258	0.345
161			259	0.637
162			260	1.411
163			263 डाढा 1	10.032
164			263/366	12.54
165			264	12.122
166			265	35.112
167			266	23.157
168			269	0.282
169			272	6.062
170			274	9.363
171			277	1.139
172			278	0.376
173			279 राकड़ 1	0.888
174			280 राकड़ 1	1.129
175			281 राकड़ 1	2.028
176			282 राकड़ 1	1.045
177			283 राकड़ 1	0.219
178			284	3.575
179			287	0.784
180			288	0.781

181			289	0.209	
182			322	0.209	
183			323	0.972	
184			324	1.881	
185			325	3.292	
186			326	4.536	
187			327	3.01	
188			328	0.878	
189			329	2.863	
190			330	3.344	
191			331	3.135	
Total :-			191	293.28	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no. 8-55/96-FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary, a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 293.28 ha. non-forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has. transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no. 134 dated 04.9.2020 is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons - Nil

(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under.:-

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक/एफ-25-75/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 25° 46' 2.748" N से 25° 44' 49.92" N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 12' 6.62" E से 77° 11' 43.22" E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- श्योपुर

तहसील - विजयपुर

वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर

वन परिक्षेत्र - पालपुर पश्चिम

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	पाँडरी	पाँडरी	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अधिग्रहित भूमि एवं अन्य मद की शासकीय भूमि	5/13	0.209	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19, 20 एवं 1 से 4. पूर्व- कूनो नदी एवं प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 11. दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 13. पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 19.
2				7	0.47	
3				9/1	0.69	
4				9/2	1.197	
5				10	0.836	
6				11	0.042	
7				12	0.188	
8				13	0.093	
9				14	0.073	
10				16	0.178	
11				21	0.784	
12				22	0.031	
13				23	0.564	
14				24/1	0.084	
15				24/2	0.157	
16				24/3	0.84	
17				24/4	0.836	
18				25	1.014	
19				26	0.669	

20			27	0.575	
21			28	0.648	
22			29 / 1	0.658	
23			29 / 2	0.439	
24			30	0.815	
25			31 / 1	0.836	
26			31 / 2	0.658	
27			32	0.47	
28			33	0.146	
29			35	0.052	
30			36	0.063	
31			37	0.052	
32			38	0.073	
33			39	0.063	
34			40	0.115	
35			41	0.449	
36			42 / 1	0.763	
37			42 / 2	0.052	
38			42 / 3	0.272	
39			42 / 4	0.042	
40			42 / 5	0.042	
41			42 / 6	0.052	
42			42 / 7	0.052	
43			42 / 8	0.523	
44			43	2.09	
45			44 / 1	0.418	
46			44 / 2	1.986	
47			45	14.233	
48			46	0.826	
49			49	0.314	
50			50	0.209	
51			51 / 1	0.585	
52			51 / 2	0.209	
53			51 / 3	0.157	
54			51 / 4	0.105	
55			51 / 5	7.251	
56			58	0.105	
57			59	1.776	
		कुल योग :-	57	47.129	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55/96-FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित/आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 47.129 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-श्यापुर के आदेश क्रमांक 133 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक/636/रीडर-1/2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ-25-75-2021-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021-दस-3, दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 26th September 2024

No./F-25-75/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927), the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25° 46' 2.748" N to 25° 44' 49.92" N North Latitude and 77° 12' 6.624" E to 77° 11' 43.224" E East Longitude.

SCHEDULE

District - Sheopur

Tahsil - Vijaypur

Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur

Forest Range - Palpur West

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hactare)		
01	02	03	04	05	06	07	
1	Pandari	Pandari	Land acquired in the favor of Forest Department of Madhya Pradesh, Government	5/13	0.209	North Proposed Forest Block pillar number 19 to 20 and 1 to 4. East Kuno River and Proposed Forest Block pillar number 4 to 11. South Proposed Forest Block pillar number 11 to 13. West Proposed Forest Block pillar number 13 to 19.	
2				7	0.47		
3				9/1	0.69		
4				9/2	1.197		
5				10	0.836		
6				11	0.042		
7				12	0.188		
8				13	0.093		
9				14	0.073		
10				16	0.178		
11				21	0.784		
12				22	0.031		
13				23	0.564		
14				24/1	0.084		
15				24/2	0.157		
16				24/3	0.84		
17				24/4	0.836		
18				25	1.014		
19				26	0.669		
20				27	0.575		
21				28	0.648		
22				29/1	0.658		
23				29/2	0.439		
24				30	0.815		
25				31/1	0.836		
26				31/2	0.658		
27				32	0.47		
28				33	0.146		
29				35	0.052		
30				36	0.063		
31				37	0.052		
32				38	0.073		
33				39	0.063		
34				40	0.115		
35				41	0.449		

36			42/1	0.763
37			42/2	0.052
38			42/3	0.272
39			42/4	0.042
40			42/5	0.042
41			42/6	0.052
42			42/7	0.052
43			42/8	0.523
44			43	2.09
45			44/1	0.418
46			44/2	1.986
47			45	14.233
48			46	0.826
49			49	0.314
50			50	0.209
51			51/1	0.585
52			51/2	0.209
53			51/3	0.157
54			51/4	0.105
55			51/5	7.251
56			58	0.105
57			59	1.776
Total :-			57	47.129

(A) Reason for publication of Notification :-

- In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no. 8-55/96-FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary, a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 47.129 ha. non-forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has. transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no. 133 dated 4.9.2020 is to be declared as protected forest.
- Details of other Reasons - Nil

(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under.:-

- Individual Rights - Nil
- Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक/एफ-25-75/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 25° 47' 06.25" N से 25° 45' 42.40" N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 14' 10.32" E से 77° 12' 55.90" E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- श्योपुर

तहसील - विजयपुर

वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर

वन परिक्षेत्र - पालपुर पूर्व

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	खजूरी	खजूरी कलौ	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अधिग्रहित भूमि एवं अन्य मद की शासकीय भूमि	2	0.209	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 44 से 63 एवं 1 तक। पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 22 तक। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 26 तक। पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 44 तक।
2			3	0.167		
3			4	0.031		
4			5	0.042		
5			6	0.314		
6			7	0.272		
7			8	0.073		
8			9	0.115		
9			10-11	0.502		
10			12	0.042		
11			13	0.021		
12			14	0.021		
13			15	0.303		
14			17	0.387		
15			18	0.261		
16			19	0.251		
17			20	0.188		
18			21	0.146		
19			22	0.146		

20			23	0.272
21			24	0.637
22			25	1.306
23			29	0.439
24			42	0.042
25			55	2.856
26			56	24.711
27			87	44.5
28			89	0.554
29			90	1.432
30			91	0.188
31			92	0.136
32			93	0.7
33			97	1.191
34			98	1.818
35			99	0.119
36			100	0.125
37			101	0.157
38			102	0.805
39			103	3.271
40			104	0.794
41			105	16.1
42			106	0.031
43			107	0.272
44			108	0.42
45			109	0.523
46			110	0.7
47			111	0.387
48			112	0.188
49			113 डप- 1	0.523
50			113 डप 2	0.93
51			115	0.418
52			116	0.199
53			117	0.01
54			118	1.808
55			119	0.439
56			120	1.097
57			121	1.035
58			122	0.366
59			123	0.084

60				124	0.136
61				125	0.073
62				126	0.052
63				127	0.31
64				128	0.042
65				129	0.21
66				130	0.042
67				131	0.073
68				132	0.084
69				133	0.031
70				134	0.042
71				135	0.052
72				136	0.63
73				137	0.042
74				138	0.031
75				139, 140	0.105
76				141	0.314
77				143	0.01
78				144	0.115
79				145	0.063
80				147	1.369
81				149	0.063
82				150	0.314
83				151	4.474
84				152	0.125
85				153	1.829
86				154	1.547
87				201	0.063
88				202	0.01
89				203	0.042
90				205	1.118
91				206	0.031
92				207	0.073
93				208	0.073
94				209	0.031
95				210	0.031
96				211	0.042
97				212	0.199
98				213	0.031
99				214	0.052

100			215	0.031	
101			216	0.042	
102			217	0.021	
103			218	0.021	
104			219	0.031	
105			220	0.031	
106			221	0.021	
107			222	0.261	
108			223	0.293	
109			224	0.324	
110			225	0.732	
111			226	0.293	
112			227	0.648	
113			228	0.021	
114			229	0.272	
115			230	0.021	
116			231	0.376	
117			232	0.01	
118			233	0.01	
119			234	0.01	
120			235	0.01	
121			237	0.01	
122			240	0.178	
123			241	0.199	
124			242	0.01	
125			243	0.021	
126			244	0.021	
127			245-249	0.366	
128			250	0.272	
129			251	0.627	
130			252	0.387	
131			253	0.167	
132			254	0.094	
133			255	0.157	
134			256	0.052	
135			257	0.021	
136			258	0.01	
137			259	0.23	
138			260	0.345	
139			261	0.376	

140				262	0.021
141				263	0.084
142				264	0.105
143				265	0.105
144				266	0.188
145				267	0.993
146				268	0.836
147				269	0.178
148				270	0.219
149				271	0.209
150				272	0.146
151				273	0.314
152				274	0.042
153				276	0.251
154				277	0.052
155				278	0.157
156				279	0.46
157				280	0.167
158				281	0.063
159				282	0.01
160				283	0.136
161				295	0.355
162				296	0.888
163				297	0.481
164				298	0.136
165				299	0.303
166				300	0.47
167				319	0.439
168				325	3.135
	कुल योग खजूरी कलाँ :-			168	147.013
1	खजूरी	खजूरी	मध्यप्रदेश	1	9.323
2		खुर्द	शासन वन	2	63.944
3			विभाग के	3	53.609
4			पक्ष में	4	35.384
5			अधिग्रहित	5	36.481
6			भूमि एवं	6	29.448
7			अन्य मद	7	4.714
8			की	8	1.933
9			शासकीय	9	0.272
			भूमि		

10				10	0.449
11				11	0.021
12				12	0.094
13				13	0.345
14				14	0.23
15				15	0.042
16				16	0.167
17				17	2.174
18				18	0.115
19				19	1.212
20				20	1.076
21				21	0.449
22				22मिन	3.69
23				22मिन	0.836
24				22मिन	0.972
25				22मिन	1.836
26				23	1.473
27				24	1.285
28				28	2.539
29				26मिन	25.655
30				26मिन	1.515
31				26मिन	1.515
32				26मिन	1.515
33				26मिन	0.888
34				26मिन	1.515
35				26मिन	1.515
36				26मिन	1.463
37				26मिन	1.515
38				26मिन	1.515
39				26मिन	1.014
40				26मिन	1.672
41				26मिन	1.672
42				27	18.371
43				27	1.463
44				27	1.463
45				27	1.672
46				27	1.463
47				27	0.627
48				27	1.672
49				27	1.672

50			27	1.672
51			27	1.663
52			27	1.463
53			27	1.463
54			27	1.672
55			28	8.329
56			28	1.045
57			28	1.672
58			28	1.045
59			28	1.44
60			28	0.439
61			28	1.672
62			29	0.7
63			30	1.411
64			31	0.575
65			32	0.293
66			33	0.094
67			34	0.021
68			35	0.92
69			36	0.523
70			37	0.094
71			38	2.226
72			39	0.523
73			40	1.076
74			41	5.507
75			42	0.24
76			43	0.575
77			44	0.418
78			45	0.073
79			46	1.254
80			47	0.512
81			48	0.397
82			49	0.042
83			50	0.157
84			51	0.042
85			52	0.073
86			53	0.115
87			54	0.042
88			55	0.084
89			56	0.888

90			57	0.679
91			58	1.776
92			59	0.679
93			60	0.92
94			61	3.407
95			61	1.045
96			61	1.317
97			62	0.303
98			63	0.303
99			64	0.314
100			65	0.366
101			66	0.272
102			67	0.428
103			68	0.199
104			69	0.449
105			70	0.345
106			71	0.355
107			72	0.366
108			73	0.627
109			74	0.334
110			75	0.188
111			76	1.285
112			77	32.949
113			78	0.711
114			79	0.146
115			80	0.314
116			81	0.345
117			82	0.157
118			83	0.01
119			84	0.073
120			85	0.481
121			86	38.307
122			87	23.199
123			88	0.993
124			89	0.345
125			90	1.087
126			91	1.515
127			92	1.181
128			93	4.536
129			94	0.258

130			95	34.642	
131			96	1.244	
132			97	0.533	
133			98	1.515	
134			99	1.15	
135			100	2.351	
136			101	0.408	
137			102	0.502	
138			103	41.173	
139			104	10.711	
140			105	0.261	
141			106	53.42	
142			107	30.619	
143			108	2.996	
144			109	2.09	
145			110	3.24	
146			111	3.554	
147			112	3.972	
148			113	47.777	
149			114	31.475	
150			115	37.86	
151			116	0.178	
152			117	0.596	
153			118	1.515	
154			119	0.481	
155			120	37.651	
156			121	0.47	
157			122	33.827	
158			123	15.048	
159			124	7.524	
160			125	2.926	
161			126	5.904	
162			127	3.585	
163			128	23.22	
164			129	2.309	
165			130	1.317	
166			131	1.139	
167			132	0.899	
168			133	1.557	
169			134	4.704	

170			135	1.756
171			136	1.254
172			137	1.797
173			138	0.679
174			139	4.327
175			140	2.048
176			141	2.665
177			142	1.202
178			143	12.948
179			144	25.843
180			145	3.554
181			146	1.202
182			147	0.7
183			148	0.334
184			149	6.899
185			150	0.336
186			151	19.625
187			152	25.477
	कुल योग खजूरी खुर्द :-		187	1059.488
	महा योग :-		355	1206.501

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55/96-FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित/आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 1206.501 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-श्यापुर के आदेश क्रमांक 137 एवं 138 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक/636/रीडर-1/2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ-25-75-2021-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021-दस-3, दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 26th September 2024

No-/F-25-75/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927), the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25° 47' 06.25" N to 25° 45' 42.40" N North Latitude and 77° 14' 10.32" E to 77° 12' 55.90" E East Longitude.

SCHEDULE

District - Sheopur

Tahsil - Vijaypur

Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur Forest

Range - Palpur East

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
01	02	03	04	05	06	07	
1	Khajuri	Khajuri Kalan	Land acquired in the favor of Forest Department of Madhya Pradesh, Government	2	0.209	North- Pillar number 44 to 63 and 1 of proposed forest block. East- Pillar number 1 to 22 of proposed forest block. South- Pillar number 22 to 26 of proposed forest block. West- Pillar number 26 to 44 of proposed forest block.	
2				3	0.167		
3				4	0.031		
4				5	0.042		
5				6	0.314		
6				7	0.272		
7				8	0.073		
8				9	0.115		
9				10-11	0.502		
10				12	0.042		
11				13	0.021		
12				14	0.021		
13				15	0.303		
14				17	0.387		
15				18	0.261		
16				19	0.251		
17				20	0.188		
18				21	0.146		
19				22	0.146		
20				23	0.272		
21				24	0.637		
22				25	1.306		
23				29	0.439		
24				42	0.042		
25				55	2.856		
26				56	24.711		
27				87	44.5		
28				89	0.554		
29				90	1.432		
30				91	0.188		
31				92	0.136		
32				93	0.7		
33				97	1.191		
34				98	1.818		
35				99	0.119		
36				100	0.125		
37				101	0.157		

38			102	0.805
39			103	3.271
40			104	0.794
41			105	16.1
42			106	0.031
43			107	0.272
44			108	0.42
45			109	0.523
46			110	0.7
47			111	0.387
48			112	0.188
49			113 मि. 1	0.523
50			113 मि. 2	0.93
51			115	0.418
52			116	0.199
53			117	0.01
54			118	1.808
55			119	0.439
56			120	1.097
57			121	1.035
58			122	0.366
59			123	0.084
60			124	0.136
61			125	0.073
62			126	0.052
63			127	0.31
64			128	0.042
65			129	0.21
66			130	0.042
67			131	0.073
68			132	0.084
69			133	0.031
70			134	0.042
71			135	0.052
72			136	0.63
73			137	0.042
74			138	0.031
75			139, 140	0.105
76			141	0.314
77			143	0.01
78			144	0.115
79			145	0.063
80			147	1.369
81			149	0.063
82			150	0.314
83			151	4.474
84			152	0.125
85			153	1.829
86			154	1.547
87			201	0.063
88			202	0.01
89			203	0.042
90			205	1.118
91			206	0.031
92			207	0.073
93			208	0.073

94			209	0.031
95			210	0.031
96			211	0.042
97			212	0.199
98			213	0.031
99			214	0.052
100			215	0.031
101			216	0.042
102			217	0.021
103			218	0.021
104			219	0.031
105			220	0.031
106			221	0.021
107			222	0.261
108			223	0.293
109			224	0.324
110			225	0.732
111			226	0.293
112			227	0.648
113			228	0.021
114			229	0.272
115			230	0.021
116			231	0.376
117			232	0.01
118			233	0.01
119			234	0.01
120			235	0.01
121			237	0.01
122			240	0.178
123			241	0.199
124			242	0.01
125			243	0.021
126			244	0.021
127			245-249	0.366
128			250	0.272
129			251	0.627
130			252	0.387
131			253	0.167
132			254	0.094
133			255	0.157
134			256	0.052
135			257	0.021
136			258	0.01
137			259	0.23
138			260	0.345
139			261	0.376
140			262	0.021
141			263	0.084
142			264	0.105
143			265	0.105
144			266	0.188
145			267	0.993
146			268	0.836
147			269	0.178
148			270	0.219
149			271	0.209

150				272	0.146
151				273	0.314
152				274	0.042
153				276	0.251
154				277	0.052
155				278	0.157
156				279	0.46
157				280	0.167
158				281	0.063
159				282	0.01
160				283	0.136
161				295	0.355
162				296	0.888
163				297	0.481
164				298	0.136
165				299	0.303
166				300	0.47
167				319	0.439
168				325	3.135
Total KhajuriKalan :-				168	147.013
1	Khajuri	Khajuri	Land	1	9.323
2		Khurd	acquired in	2	63.944
3			the favor of	3	53.609
4			Forest	4	35.384
5			Department	5	36.481
6			of Madhya	6	29.448
7			Pradesh,	7	4.714
8			Government	8	1.933
9				9	0.272
10				10	0.449
11				11	0.021
12				12	0.094
13				13	0.345
14				14	0.23
15				15	0.042
16				16	0.167
17				17	2.174
18				18	0.115
19				19	1.212
20				20	1.076
21				21	0.449
22				22मिन	3.69
23				22 मिन	0.836
24				22 मिन	0.972
25				22 मिन	1.836
26				23	1.473
27				24	1.285
28				28	2.539
29				26 मिन	25.655
30				26 मिन	1.515
31				26 मिन	1.515
32				26 मिन	1.515
33				26 मिन	0.888

34			26 मिन	1.515
35			26 मिन	1.515
36			26 मिन	1.463
37			26 मिन	1.515
38			26 मिन	1.515
39			26 मिन	1.014
40			26 मिन	1.672
41			26 मिन	1.672
42			27	18.371
43			27	1.463
44			27	1.463
45			27	1.672
46			27	1.463
47			27	0.627
48			27	1.672
49			27	1.672
50			27	1.672
51			27	1.663
52			27	1.463
53			27	1.463
54			27	1.672
55			28	8.329
56			28	1.045
57			28	1.672
58			28	1.045
59			28	1.44
60			28	0.439
61			28	1.672
62			29	0.7
63			30	1.411
64			31	0.575
65			32	0.293
66			33	0.094
67			34	0.021
68			35	0.92
69			36	0.523
70			37	0.094
71			38	2.226
72			39	0.523
73			40	1.076
74			41	5.507
75			42	0.24
76			43	0.575
77			44	0.418
78			45	0.073
79			46	1.254
80			47	0.512
81			48	0.397
82			49	0.042
83			50	0.157
84			51	0.042
85			52	0.073
86			53	0.115

87			54	0.042
88			55	0.084
89			56	0.888
90			57	0.679
91			58	1.776
92			59	0.679
93			60	0.92
94			61	3.407
95			61	1.045
96			61	1.317
97			62	0.303
98			63	0.303
99			64	0.314
100			65	0.366
101			66	0.272
102			67	0.428
103			68	0.199
104			69	0.449
105			70	0.345
106			71	0.355
107			72	0.366
108			73	0.627
109			74	0.334
110			75	0.188
111			76	1.285
112			77	32.949
113			78	0.711
114			79	0.146
115			80	0.314
116			81	0.345
117			82	0.157
118			83	0.01
119			84	0.073
120			85	0.481
121			86	38.307
122			87	23.199
123			88	0.993
124			89	0.345
125			90	1.087
126			91	1.515
127			92	1.181
128			93	4.536
129			94	0.258
130			95	34.642
131			96	1.244
132			97	0.533
133			98	1.515
134			99	1.15
135			100	2.351
136			101	0.408
137			102	0.502
138			103	41.173
139			104	10.711
140			105	0.261
141			106	53.42
142			107	30.619

143			108	2.996
144			109	2.09
145			110	3.24
146			111	3.554
147			112	3.972
148			113	47.777
149			114	31.475
150			115	37.86
151			116	0.178
152			117	0.596
153			118	1.515
154			119	0.481
155			120	37.651
156			121	0.47
157			122	33.827
158			123	15.048
159			124	7.524
160			125	2.926
161			126	5.904
162			127	3.585
163			128	23.22
164			129	2.309
165			130	1.317
166			131	1.139
167			132	0.899
168			133	1.557
169			134	4.704
170			135	1.756
171			136	1.254
172			137	1.797
173			138	0.679
174			139	4.327
175			140	2.048
176			141	2.665
177			142	1.202
178			143	12.948
179			144	25.843
180			145	3.554
181			146	1.202
182			147	0.7
183			148	0.334
184			149	6.899
185			150	0.336
186			151	19.625
187			152	25.477
Total Khajuri Khurd :-			187	1059.488
Grand Total :-			355	1206.501

(A) Reason for publication of Notification :-

- In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no. 8-55/96-FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary, a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 1206.501 ha. non-forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has. transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no. 137 and 138 dated 4.9.2020 is to be declared as protected forest.
- Details of other Reasons - Nil

(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under:-

- Individual Rights - Nil
 - Community Rights - Nil
- Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक/एफ-25-75/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 25° 51' 26.028" N से 25° 47' 32.964" N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 11' 28.248" E से 77° 07' 51.132" E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- श्योपुर

तहसील - विजयपुर

वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर

वन परिक्षेत्र - पालपुर पूर्व

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ	
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	पैरा	पैरा	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अधिग्रहित भूमि एवं अन्य मद की शासकीय भूमि	13	0.136	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 195 एवं 1 से 6 तक।	
2				14	0.92		
3				16	48.247		
4				19	0.533		पूर्व- कूनो नदी। प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 48 तक।
5				24	1.683		
6				25	0.452		
7				26	1.014	दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 48 से 101 तक।	
8				27	1.017		
9				28	0.784	पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 101 से 195 तक।	
10				29	1.505		
11				30	0.815		
12				31	0.345		
13				32	7.003		
14				33	0.993		
15				34	0.941		
16				35	0.773		
17				36	0.888		
18				37	1.066		
19				38	0.857		

20			39	2.498
21			41	1.275
22			42	0.484
23			43	0.502
24			44	2.581
25			45	0.397
26			46	0.376
27			47	0.167
28			48	0.575
29			49	1.045
30			50	0.909
31			51	0.953
32			52	1.16
33			53/मि. 1 पडवा 2	0.804
34			53/मि. 2 पडवा 2	0.732
35			54/पडवा 2	0.167
36			55/पडवा 1	0.099
37			56	0.763
38			57/पडवा 2	0.115
39			58/पडवा 1	0.24
40			59	0.167
41			60/पडवा 1	1.003
42			61/पडवा 1	2.299
43			62/डाडा 2	0.125
44			63/पडवा 1	1.066
45			64/दुमट	1.16
46			65/पडवा 2	1.39
47			66/पडवा 2	1.055

48				67/पडवा 2	0.93
49				68	6.059
50				68/519	0.387
51				69	0.031
52				70	0.157
53				71/1 पडवा 2	1.672
54				71/2दुमट2	0.418
55				71/3 पडवा 2	0.105
56				71/4 पडवा 2	0.314
57				71/5 पडवा 2	0.627
58				72/1 पडवा 2	0.575
59				72 मि. 2 पडवा 2	0.836
60				73 मि. 1 पडवा 2	0.418
61				73 मि. 2 पडवा 2	0.418
62				74	0.052
63				75	0.052
64				76/1 पडवा 2	1.275
65				76/2 पडवा 2	0.261
66				76/3 पडवा 2	0.052
67				76/4 पडवा 3	0.679
68				77 मि. 1 पडवा 2	0.627
69				77 मि. 2 पडवा 2	0.627
70				77 मि. 3	0.031
71				78 पडवा 2	0.982

72			79/1 पडवा 2	0.052	
73			79/2 पडवा 2	0.157	
74			79/3 पडवा 2	0.261	
75			79/4 पडवा 2	0.073	
76			79/5 पडवा 2	0.052	
77			79/6 मि. 1 पडवा 2	0.679	
78			79/6 मि. 2 पडवा 2	0.732	
79			79/6 मि. 3 पडवा 2	0.491	
80			79/6 मि. 4	0.219	
81			80 पडवा 2	0.92	
82			81/1 पडवा 2	1.097	
83			81/2 पडवा 2	0.523	
84			82/1	1.359	
85			82/2 पडवा 2	0.052	
86			82/3 पडवा 2	0.052	
87			82/4 पडवा 2	0.021	
88			82/5 पडवा 2	0.052	
89			82/6 पडवा 2	0.073	
90			82/7 पडवा 2	0.031	
91			82/8 पडवा 2	0.031	

92				83/1 पडवा 2	0.732	
93				83/2 पडवा 2	0.209	
94				84/1 मि. 1 पडवा 2	0.209	
95				84/1 मि. 2 पडवा 2	0.523	
96				84/2 पडवा 2	0.52	
97				84/3 पडवा 2	0.021	
98				84/4 पडवा 2	0.031	
99				84/5 पडवा 2	0.157	
100				84/6 पडवा 2	0.052	
101				84/7 पडवा 2	0.073	
102				84/8 पडवा 2	0.105	
103				84/9 पडवा 2	0.01	
104				84/10 पडवा 2	0.105	
105				84/11 पडवा 2	1.714	
106				85/मि. 2	1.17	
107				86/पडवा2	0.46	
108				87/पडवा 2	1.714	
109				88/1 पडवा 2	0.167	
110				88/2 पडवा 2	0.209	
111				88/3 पडवा 2	0.418	
112				88/4 पडवा 2	0.084	

113				89	0.857
114				90/पडवा 2	0.063
115				91/पडवा 2	0.784
116				92/1	0.01
117				92/2 पडवा 2	0.021
118				92/3 पडवा 2	0.1
119				92/4 पडवा 2	0.146
120				92/5 पडवा 2	0.157
121				93 पडवा 2	0.314
122				94	0.167
123				95 पडवा 2	0.073
124				96/1 राकड़ 1	0.836
125				96/2 97/3 पडवा 2	0.679
126				96/3 राकड़ 1	0.836
127				97/1	0.949
128				97/2 राकड़ 1	0.052
129				97/3 97/4 राकड़ 1	0.31
130				97/5 राकड़ 1	0.105
131				97/6 राकड़ 1	0.021
132				97/7 राकड़ 1	0.105
133				97/8 राकड़ 1	0.052

134				97/9 राकड़ 1	0.523
135				98/1 पडवा 2	0.658
136				98/2 पडवा 2	0.261
137				98/3 पडवा 2	0.857
138				98/4 पडवा 2	0.732
139				98/5 पडवा 2	0.157
140				98/6 पडवा 2	0.888
141				99/मि. 1 पडवा 2	1.463
142				99 मि. 2 पडवा 2	1.188
143				100 मि. 1 डाडा 1	0.449
144				100 मि. 2 डाडा 1	0.836
145				101 पडवा2	0.449
146				102 पडवा2	0.607
147				103/1 पडवा 2	0.836
148				103/2 पडवा 2	0.418
149				103/3 पडवा 2	0.502
150				104	0.679
151				107पडवा 2	0.961
152				110/1 मि. 1 पडवा 2	0.658
153				110/1 मि. 2	0.627
154				110/1 मि. 3 पडवा 2	0.627
155				110/2 पडवा 2	0.836

156			110/3 पडवा 2	0.157
157			110/4 मि. 1 114/3 मि. 2	0.021
158			110/4 मि. 2 114/3 मि. 2 पडवा 2	0.962
159			111/1 112/114/ 2 मि. 1 पडवा 2	0.679
160			111/2 पडवा 2	2.09
161			111/3 194/2	0.209
162			111/4 1118/2 पडवा 2	0.502
163			114/2 114/3 115/पडवा 2	0.073
164			117पडवा 2	0.272
165			118/1 पडवा 2	0.47
166			120पडवा 2	0.219
167			121	0.261
168			122 पडवा2	0.679
169			123पडवा2	0.899
170			138	0.805
171			139	0.606
172			140	0.376
173			141	0.909
174			142	0.888
175			143	1.097
176			144	0.512
177			145	0.042
178			146	0.669

179				147	0.084
180				148	1.411
181				149	1.62
182				150	0.157
183				151	0.146
184				152	0.052
185				153 / 1	2.318
186				153 / 2	0.105
187				154	0.826
188				155	0.167
189				156	0.763
190				157	0.523
191				158	0.115
192				159	0.47
193				160	0.921
194				161	0.042
195				162	0.732
196				163	0.732
197				164	0.355
198				165 / 1	0.732
199				165 / 2	1.097
200				166	0.042
201				167	0.052
202				168	0.355
203				169	0.052
204				170	0.261
205				171	0.178
206				172	0.042
207				173	0.073
208				174	0.178
209				175	0.052
210				176	0.481
211				177	0.021
212				178 पडवा2	1.202
213				179 पडवा2	0.439
214				180 पडवा2	0.324
215				180 / 521	0.084
216				181 पडवा1	0.543
217				182 पडवा2	1.899
218				183	0.021

219			184	0.094
220			185	0.021
221			186	0.732
222			187 मि. 2	0.219
223			188	0.094
224			189	0.052
225			190	0.157
226			191 पडवा	1.766
227			192 पडवा	0.261
228			193	0.073
229			194/1 पडवा 2	1.199
230			194/2	1.045
231			194/3 पडवा 2	0.481
232			195 डाडा 2	0.324
233			196 पडवा2	1.69
234			197 मि. 1 डाडा 2	1.045
235			197 मि. 2 पडवा 1	0.251
236			198	0.073
237			199 पडवा2	0.073
238			200गोहान	0.073
239			201गोहान	0.063
240			202गोहान	0.115
241			203	0.031
242			204गोहान 2	0.094
243			205	0.073
244			206 पडवा2	0.042
245			207 पडवा 2	0.052
246			208 दुमट 2 पडवा 2	0.021
247			209 पडवा1	0.021
248			210/1 पडवा 1	0.47
249			210/2	0.021
250			210/3 पडवा 2	0.031

251			211	0.01
252			212	0.034
253			213	0.084
254			214गोहान	0.021
255			215 पडवा2	0.021
256			216 पडवा2	0.031
257			217 पडवा2	0.042
258			218 पडवा2	0.846
259			219 पडवा2	0.052
260			220गोहान 1	0.073
261			221गोहान 1	0.021
262			222	0.021
263			223/बंजर1	0.01
264			224गोहान 1	0.157
265			225	0.01
266			226	0.01
267			227	0.23
268			228	0.052
269			229 पडवा1	0.042
270			230 पडवा1	0.073
271			231	0.115
272			232/1 पडवा 1	0.115
273			232/2 पडवा 1	0.039
274			232/514 पडवा 1	0.063
275			232/515	0.052
276			233 पडला2	0.136
277			234 बंजर 2	0.042
278			235 पडला1	0.627
279			236/1	0.742
280			236/516 पडवा 1	0.084
281			237 पडवा1	1.557
282			238 पडवा1	0.47
283			239 पडवा1	1.045
284			240	0.836
285			241 पडवा1	0.69
286			242	1.889

287			243 डाडा 1	0.711
288			244 डाडा2	1.055
289			245 पडवा2	0.366
290			246 डाडा 1	1.85
291			247 पडवा1	1.703
292			248 डाडा2	0.042
293			249 पडवा1	0.209
294			250 पडवा1	0.648
295			251 पडवा1	0.512
296			252 पडवा1	0.763
297			253 पडवा1	0.794
298			254 पडवा1	0.042
299			255 पडवा1	0.063
300			256 पडवा1	1.351
301			257 पडवा1	0.481
302			258 पडवा1	1.672
303			259 डाडा 2	0.418
304			260	2.825
305			261 राकड़2	0.052
306			262/1 डाडा 2	0.021
307			262/2	0.052
308			263 डाडा 2	0.084
309			264 डाडा 2	0.042
310			265 डाडा 2	0.732
311			266 डाडा 2	0.063
312			267 डाडा 2	0.094
313			268/1 डाडा 2	0.983
314			268/2 डाडा 2	0.125
315			268/3 डाडा 2	0.063
316			268/4 डाडा 1	0.073
317			268/5 डाडा 2	0.021
318			268/6	0.105
319			268/7	0.125

320			268 / 8	0.105
321			268 / 9	0.658
322			269	0.063
323			270 / 1	0.021
324			270 / 2	0.073
325			271 डाडा 2	0.105
326			272 डाडा 2	0.21
327			273 डाडा 2	0.042
328			274 डाडा1	3.198
329			275	0.042
330			276	0.094
331			277 राकड1	0.031
332			278 डाडा 2	0.063
333			279	0.052
334			280 पडवा2	0.052
335			281 पडवा2	0.031
336			282 पडवा2	0.052
337			283 पडवा2	0.063
338			284 पडवा2	0.063
339			285 पडवा2	0.094
340			286 डाडा 2	0.042
341			287 पडवा2	0.063
342			288	1.129
343			289	0.073
344			290 कावर2	0.042
345			291गोहान 1	0.031
346			292गोहान 1	0.031
347			293गोहान 1	0.073
348			294गोहान 1	0.031
349			295	0.063
350			296 पडवा2	0.052
351			297गोहान 2	0.47
352			298	0.063
353			299 आवासी 2	0.031
354			300 डाडा1	1.076
355			301	0.094
356			302 डाडा 2	0.042
357			303 राकड2	0.042
358			304 डाडा 2	0.042

359			305 डाडा 1	0.679	
360			306 राकड1	0.042	
361			307गोहान1	0.052	
362			308गोहान1	0.063	
363			309गोहान 2	0.029	
364			310 राकड2	0.199	
365			311 राकड2	0.658	
366			312	0.042	
367			313	24.249	
368			314	0.418	
369			315	0.031	
370			316	0.052	
371			317	0.021	
372			318	0.042	
373			319	0.125	
374			320	0.031	
375			321	0.031	
376			322	0.052	
377			323	1.063	
378			324	20.618	
379			325	1.139	
380			326 पडवा1	0.052	
381			327 पडवा1	0.052	
382			328 पडवा1	0.69	
383			329 पडवा1	1.139	
384			330 पडवा1	1.035	
385			331 पडवा1	0.784	
386			332 पडवा1	0.021	
387			333 पडवा1	0.282	
388			334	0.345	
389			335	0.272	
390			336 पडवा2	0.042	
391			337	0.031	
392			338गोहान 1	0.01	
393			339गोहान 1	0.042	
394			340गोहान 1	0.031	
395			341	0.23	
396			342	0.063	
397			343गोहान 1	0.052	

398				344गोहान 1	0.094
399				345गोहान1	0.031
400				346 पडवा2	0.052
401				347 दुमट 2	0.052
402				347/2दुमट	0.418
403				347/3 मि. 1 पडवा 2	0.491
404				347/3 मि. 2 पडवा 2	0.031
405				348	0.042
406				349 पडवा1	0.042
407				350	0.052
408				351गोहान 1	0.982
409				352 पडवा1	0.167
410				353	1.411
411				354 पडवा1	0.084
412				355	2.974
413				356 पडवा1	0.909
414				357 पडवा2	0.7
415				358 पडवा1	0.31
416				359 डाडा 2	0.21
417				360	0.031
418				361	0.993
419				362 पडवा2	0.909
420				363 पडवा1	0.293
421				364	0.209
422				365	0.596
423				366 पडवा2	0.251
424				367/1 डाडा 2	0.418
425				367/2 डाडा 2	0.418
426				367/3 डाडा 2	0.021
427				367/4	0.157
428				367/5	0.324
429				367/6, 272/2 डाडा 2	0.105

430			367 / 7	0.836
431			367 / 8	0.867
432			367 / 9	0.042
433			368	0.836
434			369 पडवा2	0.063
435			370 पडवा2	0.324
436			371 पडवा2	0.261
437			372 / 1 पडवा 2	0.052
438			372 / 2 373	0.7
439			374 पडवा2	0.778
440			375 पडवा1	0.7
441			376 डाडा 2	0.042
442			377 पडवा2	0.01
443			378	0.146
444			379	1.223
445			380 पडवा2	0.115
446			381 डाडा 1	0.042
447			382 पडवा2	1.4
448			383 पडवा2	0.261
449			384	0.042
450			385 डाडा 2	0.439
451			386 पडवा1	0.021
452			387 पडवा1	0.01
453			388 पडवा1	0.115
454			389	1.244
455			390 पडवा1	1.108
456			391 पडवा1	0.042
457			392 पडवा2	0.418
458			393 पडवा2	0.146
459			394 पडवा2	2.581
460			395 पडवा2	0.136
461			396 / 1 राकड़ 2	2.069
462			396 / 2 राकड़ 1	1.045
463			396 / 3 राकड़ 1	0.324
464			397	0.951
465			398 पडवा2	0.779

466				399	0.125
467				399 / 2	0.042
468				399 / 3	0.157
469				399 / 4	0.209
470				399 / 5	0.376
471				399 / 6	8.434
472				399 / 7	5.016
473				400	7.525
474				401	67.297
475				402	18.763
476				403	24.244
477				404	7.126
478				405	20.204
479				406	1.463
480				407 मि. 1 डाडा 2	32.833
481				407 मि. 2	1.15
482				408 मि. 1 डाडा 2	1.515
483				408 मि. 2 डाडा 2	1.15
484				408 मि. 3	4.545
485				408 मि. 4	25.08
486				409	1.515
487				410 मि. 1 डाडा 2	1.515
488				410 मि. 2 डाडा 2	1.515
489				410 मि. 3	11.302
490				410 मि. 4	0.763
491				411 डाडा 2	0.523
492				412 डाडा 2	0.721
493				413 डाडा 2	1.349
494				414	0.209
495				415	0.47
496				416 डाडा 2	0.836
497				417 डाडा 2	1.359
498				418 डाडा 2	0.125
499				419	0.24
500				420	0.627

501			421 राकड1	0.366
502			422 डाडा 2	0.376
503			423/1 डाडा 2	0.094
504			423/2 डाडा 2	0.052
505			423/3 डाडा 2	0.209
506			423/4 डाडा 2	0.836
507			423/5 डाडा 2	0.836
508			423/6 डाडा 2	0.105
509			423/7 डाडा 2	0.042
510			423/8 डाडा 2	0.418
511			423/9 डाडा 2	0.031
512			423/10 डाडा 2	0.084
513			423/11 डाडा 2	0.209
514			423/12 डाडा 2	0.941
515			423/13 डाडा 2	1.264
516			424 डाडा 2	1.85
517			425 डाडा2	0.564
518			426 डाडा 2	0.105
519			427	0.47
520			428 पडवा	1.003
521			429 डाडा2	0.763
522			430 पडवा2	2.111
523			431 पडवा1	0.993
524			432आपसी2	1.881
525			433 पडवा1	0.345
526			434	0.105
527			435	0.125

528				436	0.92
529				437 पडवा2	1.515
530				438	0.178
531				439 पडवा1	0.188
532				440 डाडा1	1.129
533				441 पडवा1	0.063
534				442	1.296
535				443 पडवा1	1.933
536				444	1.936
537				445	0.24
538				446	1.463
539				447 पडवा2	0.397
540				448 पडवा2	0.533
541				449 पडवा2	1.954
542				450	
543				451 पडवा2	1.045
544				452	0.157
545				453	0.209
546				454	0.909
547				455 पडवा2	0.961
548				456 पडवा2	0.136
549				457	0.042
550				458 518	0.105
551				457 520	0.084
552				458	0.961
553				459 डाडा 1	0.042
554				459/517	1.766
555				460 पडवा2	1.139
556				461 पडवा1	1.923
557				462	0.021
558				463	1.547
559				464 पडवा2	0.178
560				465 डाडा 2	0.073
561				466	0.01
562				467	0.387
563				468	0.209
564				469 पडवा2	0.105
565				470	0.073
566				471	0.125
567				472	55.2

568			473	0.949
569			474 डाडा 1	2.144
570			475 डाडा 1	0.648
571			476 डाडा 2	0.073
572			477 डाडा 1	0.209
573			478 डाडा 1	0.031
574			479	0.711
575			480 डाडा 1	0.042
576			481	0.355
577			482	0.031
578			483	0.428
579			484	1.094
580			485	0.366
581			486 डाडा 1	0.042
582			487	0.219
583			488	0.669
584			489	0.125
585			490	0.418
586			491	1.254
587			492 डाडा 1	0.732
588			493 / 1 डाडा 2	0.909
589			493 / 2 डाडा	1.735
590			494 डाडा 2	0.819
591			495 डाडा 2	0.669
592			496	2.592
593			497	0.042
594			498	0.951
595			499 डाडा 2	0.021
596			500	0.7
597			501 डाडा 2	0.084
598			502	0.042
599			503	0.679
600			504 डाडा 1	0.909
601			505 डाडा 2	0.052
602			506 डाडा 2	2.414
603			507	1.08
604			508 डाडा 2	1.421
605			509 डाडा 2	19.124

606				510	0.24
607				511	4.672
608				512	8.026
	कुल योग पैरा :-			608	724.156
1	पैरा	पालपुर	मध्यप्रदेश	6	1.212
2			शासन	7	14.49
3			वन	10	6.585
4			विभाग के	11	0.146
5			पक्ष में	12	23.464
6			अधिग्रहित	13	0.711
7			भूमि एवं	14	10.661
8			अन्य मद	15	0.366
9			की	16	0.219
10			शासकीय	17	9.647
11			भूमि	19	1.369
12				20	0.836
13				21	1.379
14				22	1.745
15				23	1.045
16				24	0.251
17				25	0.251
18				26	0.251
19				27	0.585
20				28	0.418
21				29	1.902
22				30 / 1	0.523
23				30 / 2	1.128
24				31	0.125
25				32	0.491
26				33	1.829
27				34 / 1	1.15
28				34 / 2	1.15
29				34 / 3	16.283
30				35	1.202
31				36	1.17
32				37	2.424
33				38	0.303
34				39	1.181
35				40	0.345
36				41	1.327

37			42	0.084
38			43	0.021
39			44	0.502
40			45	0.449
41			46 / 1	1.296
42			46 / 2	0.543
43			47	0.167
44			48	1.15
45			49	0.073
46			50 / 51	2.027
47			52	0.251
48			53	0.366
49			54	0.512
50			55	1.214
51			56	0.052
52			57	0.219
53			58	1.442
54			59	0.282
55			60	0.836
56			61	0.094
57			62	2.456
58			63 / 1	1.672
59			63 / 2	2.09
60			63 / 3	0.021
61			64 / 1	0.857
62			64 / 2	0.418
63			64 / 3	0.627
64			65 / 1	0.418
65			65 / 2	1.463
66			65 / 3	0.418
67			65 / 4	0.627
68			65 / 5	5.372
69			66	0.094
70			66 / 514	0.042
71			67 / 1	0.209
72			67 / 211	0.627
73			67 / 212	4.18
74			68 / 1	0.209
75			68 / 2	0.596
76			69	0.209

77			70	0.042
78			71	0.878
79			72	0.397
80			73	1.359
81			73 / 513	0.021
82			74	0.063
83			75	1.672
84			76	0.857
85			77	0.052
86			78	0.397
87			79	1.306
88			80	0.836
89			81	0.209
90			82	0.157
91			83 / 1	0.784
92			83 / 2	6.783
93			84	0.094
94			85	0.105
95			86	0.721
96			87	0.042
97			88 / 1	0.627
98			88 / 2	0.624
99			88 / 3	0.627
100			88 / 4	0.627
101			88 / 5	0.627
102			88 / 6	0.627
103			88 / 7	0.627
104			88 / 8	0.627
105			88 / 9	0.554
106			88 / 10	0.627
107			91	0.439
108			93	5.226
109			95	0.397
110			96	0.084
111			97	1.045
112			98	0.817
113			100	1.484
114			101	0.523
115			102	0.439
116			103	0.063

117				104	1.588
118				114	0.157
119				121	0.272
120				122	0.46
121				123	0.063
122				125	0.503
123				126	0.021
124				127	0.711
125				128	0.345
126				129	1.505
127				130	0.125
128				131	0.167
129				132	0.115
130				133	0.648
131				134	0.251
132				135	2.299
133				136	0.293
134				137	0.115
135				138	0.293
136				139	0.669
137				140	0.125
138				141 / 1	0.533
139				176-177	
140				178-179	
141				185-186	
142				187-188	
143				189-190	
144				141 / 2-1	1.045
145				141 / 2-2	0.867
146				141 / 3	0.47
147				141 / 3-3	1.045
148				141 / 4	0.627
149				142	0.752
150				143	1.954
151				144	0.052
152				145	0.24
153				146	0.199
154				147	0.157
155				148	0.031
156				149	0.047

157				150	0.219
158				151	0.46
159				152	0.021
160				153	0.303
161				154	0.157
162				155	0.073
163				156	0.073
164				157	0.878
165				158	0.073
166				159	0.564
167				160	0.439
168				161	0.031
169				162	1.432
170				163 / 1	0.585
171				163 / 2	0.366
172				164	0.073
173				165	0.031
174				166 / 1	0.272
175				166 / 2	0.209
176				167	0.199
177				168	0.031
178				169	0.188
179				170	0.021
180				171	0.042
181				172	0.052
182				173	0.042
183				174	0.105
184				175 / 1	0.021
185				175 / 2	0.784
186				175 / 3	0.031
187				175 / 4	0.01
188				175 / 5	0.01
189				176-179	0.533
190				191	0.084
191				192 / 1	0.01
192				192 / 2	0.01
193				192 / 3-1	0.042
194				192 / 4-3	0.042
195				193	0.042
196				194	0.031

197				195	0.01
198				196 / 1-1	0.01
199				196 / 1-2	0.021
200				196 / 2-3	0.021
201				196 / 1- 4	0.01
202				196 / 1- 5	0.031
203				196 / 1- 6	0.01
204				196 / 1- 7	0.01
205				196 / 1- 8	0.01
206				196 / 1- 9	0.021
207				196 / 1- 10	0.021
208				196 / 1- 11	0.021
209				196 / 1- 12	0.01
210				196 / 1- 13	0.734
211				196 / 2	0.01
212				196 / 3	0.01
213				196 / 4	0.021
214				196 / 5	0.021
215				197 / 1	0.073
216				197 / 2	0.031
217				198	0.021
218				199	0.052
219				200	0.042
220				201	0.042
221				202	0.031
222				203 / 1	0.01
223				203 / 2	0.01
224				203 / 3	0.052
225				203 / 4	0.398
226				204	0.042
227				204 / 2	0.031
228				204 / 3	0.031
229				204 / 4	0.105
230				204 / 5	0.502
231				204 / 6	0.021
232				205 / 1	0.157

233			205 / 2	0.01
234			205 / 3	0.157
235			205 / 4	0.052
236			206	0.397
237			207	0.24
238			208	0.01
239			208 / 1	0.063
240			209	0.92
241			210	0.021
242			211	0.094
243			212	0.031
244			213	0.031
245			214	0.052
246			215 / 1	0.272
247			215 / 2	0.105
248			216	0.105
249			217	0.042
250			218	0.23
251			219	0.209
252			220	0.951
253			221	0.982
254			222	0.815
255			223	0.836
256			224	0.439
257			225	0.105
258			226	0.032
259			227	0.042
260			228	0.052
261			229	0.031
262			230	0.052
263			231	0.031
264			232	0.031
265			233 / 1	0.021
266			233 / 2	0.021
267			234	0.031
268			235 / 1	0.805
269			235 / 2	0.031
270			236	0.094
271			237 / 1	0.01
272			237 / 2	1.557

273				238	0.052
274				239	0.042
275				240	0.084
276				241	0.063
277				242	0.617
278				243	0.021
279				244	0.042
280				245	0.031
281				246	0.01
282				247	0.073
283				248	0.084
284				249	0.042
285				250	0.031
286				251	0.46
287				252	0.063
288				253	0.031
289				254	0.031
290				255	0.188
291				256	0.031
292				257	0.031
293				258	0.105
294				259	0.063
295				260	0.052
296				261	0.094
297				262	0.063
298				263	0.031
299				264	0.031
300				265	0.031
301				266	0.031
302				267	0.094
303				268	0.031
304				269	0.063
305				270	0.355
306				271	0.084
307				272	0.042
308				273	0.031
309				274	0.063
310				275	0.136
311				276	0.554
312				278	0.47

313			279	1.045
314			280	0.324
315			281 / - 1	0.261
316			281 / - 2	0.293
317			282	0.052
318			283	0.063
319			284	0.345
320			285	0.951
321			286	0.606
322			287	0.167
323			288	0.084
324			289 / 1- 1	0.836
325			289 / 1- 2	12.511
326			290	0.052
327			291	0.073
328			292	0.01
329			293	1.421
330			294	0.052
331			295	0.251
332			296	0.293
333			297	0.251
334			298	0.105
335			299	0.24
336			300	0.46
337			301	0.052
338			302	0.836
339			303	0.094
340			304	0.617
341			307	0.24
342			309	0.554
343			310	0.491
344			311	0.125
345			312 / 510	0.01
346			312	0.627
347			314	0.23
348			316	0.01
349			319	1.515
350			320	0.052
351			322	0.042
352			323	1.254

353				324	0.105
354				325 / 1	0.084
355				325 / 2	0.031
356				326	0.178
357				327	0.178
358				328 / 1	0.073
359				328 / 2	0.199
360				329	0.105
361				330	0.031
362				331	0.052
363				332	0.105
364				333	0.031
365				334	0.042
366				335	0.105
367				336	0.094
368				338 / 3	0.011
369				337	0.021
370				338 / 1	0.042
371				338 / 2	0.575
372				338 / 4	0.011
373				338 / 5	0.052
374				338 / 6	0.042
375				339	0.031
376				340 / 341	0.094
377				685	0.084
378				343	0.03
379				344	0.01
380				345	0.01
381				346	0.01
382				347 / 1	0.01
383				347 / 2	0.031
384				347 / 3	0.01
385				347 / 4	0.021
386				347 / 5	0.157
387				348	0.021
388				349 / 1	0.021
389				349 / 2	0.031
390				350	0.042
391				351	0.84
392				352	0.042

393				353	0.178	
394				354	0.105	
395				355	0.073	
396				356 / 1	0.136	
397				356 / 2	0.073	
398				357	0.01	
399				358, 359, 359 / 3	0.021	
400				359 / 1	0.01	
401				359 / 2	0.084	
402				359 / 3	0.24	
403				359 / 4	0.01	
404				359 / 5	0.01	
405				359 / 6	0.03	
406				360	0.105	
	कुल योग पालपुर :-			406	252.524	
1	पैरा	जाखौद, मेघपुरा	मध्यप्रदेश	11	9.261	
2			शासन	12	3.511	
3			वन	13	2.978	
4			विभाग के	14	0.135	
5			पक्ष में	15	0.146	
6			अधिग्रहित	16	0.303	
7			भूमि एवं	17	0.46	
8			अन्य मद	18	0.199	
9			की	19	1.672	
10			शासकीय	20	0.01	
11			भूमि	21	0.031	
12				22	0.742	
13				23	0.773	
14				24	0.021	
15				25	0.752	
16				26	0.063	
17				27	0.324	
18				28	0.031	
19				29	0.428	
20				30	4.369	
21				30 / 94	0.052	
22				31	0.24	
23				32	0.376	

24			33	0.23
25			34	0.773
26			35	0.763
27			36	0.021
28			37	2.32
29			38	0.094
30			39 / 1	0.993
31			39 / 2	1.014
32			39 / 3	0.627
33			39 / 4	0.366
34			39 / 5	0.523
35			40	0.156
36			41 / 1	0.575
37			41 / 2	0.303
38			42	2.379
39			43	0.711
40			44 / 1	0.272
41			45	0.523
42			46	0.063
43			47	0.219
44			48	0.376
45			49	0.188
46			50	3.229
47			52	0.396
48			53	0.063
49			54	0.366
50			55 / 1	1.108
51			56	1.547
52			57	0.334
53			58	0.052
54			59	0.858
55			60	0.125
56			61	0.031
57			62	0.314
58			63	2.195
59			63 / 498	0.366
60			64	0.554
61			65	2.142
62			66	1.703
63			67	0.396

64				68	0.157
65				69	1.066
66				73	1.233
67				74	0.543
68				75	0.481
69				76 / 1	1.463
70				76 / 2	2.069
71				76 / 500	0.7
72				77	0.146
73				78	0.052
74				79	0.031
75				80 / 1	1.066
76				80 / 2	1.045
77				80 / 4	0.941
78				80 / 5	1.014
79				80 / 6	0.438
80				80 / 7	0.209
81				80 / 8	1.463
82				81	0.669
83				82	0.01
84				85	0.042
85				88	0.251
86				89	0.136
87				91	1.317
88				92	0.157
89				93	0.188
90				94	0.334
91				95	0.93
92				96	0.7
93				97	0.648
94				100	0.418
95				101	0.46
96				102	0.669
97				103 / 1	0.209
98				103 / 2	0.752
99				104	0.836
100				105	1.4
101				106	1.108
102				107	0.146
103				108	0.369

104			110	1.15
105			111	0.115
106			112	1.264
107			113	0.167
108			114	2.529
109			115	0.01
110			116	0.084
111			117	1.296
112			118	1.223
113			119	0.909
114			120	1.233
115			121	2.759
116			122	1.62
117			125	17.193
118			126	1.672
119			127	2.926
120			128	63.214
121			129	125.32
122			130	0.711
123			131	0.533
124			132	0.303
125			133	1.17
126			134	0.366
127			135	1.933
128			136	1.275
129			137	28.847
130			138	0.763
131			139	0.888
132			140	1.087
133			141	0.679
134			142	0.533
135			143	0.721
136			144	0.627
137			145	1.306
138			146	1.693
139			147	1.306
140			148	0.941
141			149	1.724
142			150	0.658
143			151	28.429

144				152	1.411
145				153	1.986
146				154	0.021
147				155	0.042
148				156	2.1
149				157	0.063
150				158	0.261
151				159	0.47
152				160	0.418
153				161	0.334
154				162	0.481
155				163	0.209
156				164	0.523
157				165	0.146
158				166 / 1	0.157
159				166 / 2	0.513
160				166 / 3	17.224
161				167	0.063
162				168	0.094
163				169 / 1	0.836
164				169 / 2	1.672
165				170	0.491
166				171	0.711
167				172	1.327
168				173	0.199
169				174	0.575
170				175	0.617
171				176	0.251
172				177	0.191
173				178	0.366
174				179	0.345
175				180	1.275
176				181	0.314
177				182	0.157
178				183	0.439
179				184	0.209
180				184 / 2	0.554
181				185	0.376
182				186	0.679
183				187	0.878

184			187 / 495	0.178
185			188	0.543
186			189	0.564
187			190	0.251
188			191	1.17
189			192	0.345
190			193 / 1	0
191			193 / 2	0.073
192			194	0.515
193			195	0.202
194			196 / 1	0.846
195			196 / 2	0.418
196			196 / 3	0.418
197			197	0.021
198			198	0.564
199			199	1.118
200			200	1.463
201			201	1.306
202			202	0.512
203			203	0.815
204			204 / 1	0.846
205			204 / 2	0.627
206			205	1.379
207			206	0.272
208			207	0.282
209			208 / 1	0.449
210			208 / 2	0.418
211			208 / 3	0.418
212			209	0.575
213			210	0.282
214			211	0.366
215			212	0.543
216			213	0.972
217			214 / 1	0.48
218			214 / 2	0.481
219			215	0.105
220			216	0.188
221			217	0.178
222			218	0.178
223			219 / 1	0.47

224			219 / 2	0.47
225			220	0.449
226			221	0.042
227			222	0.084
228			223	0.167
229			224	0.46
230			225	0.732
231			226	0.272
232			227 / 1	0.188
233			227 / 2	0.627
234			228	0.763
235			229	0.909
236			230	0.596
237			231 / 1	0.029
238			231 / 2	0.042
239			232	0.596
240			233	0.146
241			234	0.115
242			235	1.15
243			236	0.972
244			237	1.735
245			238	1.494
246			239	0.042
247			240	0.167
248			241	0.125
249			242	0.105
250			243	0.115
251			244	0.115
252			245	0.084
253			246	0.136
254			247	0.094
255			248	0.031
256			249	0.366
257			250	0.282
258			251	0.188
259			252	0.105
260			253 / 1	0.627
261			253 / 2	0.47
262			254	0.888
263			255	1.087

264				256	0.115
265				257	1.191
266				258 / 1	0.523
267				258 / 2	0.784
268				259	0.01
269				260 / 1	0.993
270				260 / 2	0.314
271				261 / 1	0.105
272				261 / 2	0.094
273				262	0.491
274				263	0.857
275				264	0.753
276				265	0.01
277				266 / 1	0.836
278				266 / 2	0.836
279				266 / 3	0.052
280				267	0.272
281				268	0.596
282				269	0.543
283				269 / 496	0.972
284				270	1.087
285				271	0.836
286				272	0.324
287				272 / 496	0.063
288				273	0.084
289				274 / 1	0.105
290				274 / 2	1.16
291				275	0.219
292				276	0.167
293				277	0.251
294				278	0.909
295				279 / 1	0.773
296				279 / 2	0.627
297				280	0.136
298				281	0.136
299				282	0.627
300				283	0.188
301				284	0.136
302				285	0.46
303				286	0.115

304			287	0.251
305			288	0.031
306			289	0.105
307			290	0.125
308			291	0.052
309			292	0.481
310			293	0.334
311			294	0.857
312			295	0.157
313			296	0.188
314			297	1.045
315			298	0.784
316			299	0.261
317			300	0.23
318			301 / 1	2.257
319			301 / 2	0.627
320			302	0.031
321			303 / 1	0.523
322			303 / 2	0.554
323			304	0.408
324			305	0.961
325			306 / 1	1.839
326			306 / 2	0.941
327			306 / 3	0.627
328			306 / 4	5.582
329			306 / 5	0.941
330			307	0.784
331			308	0.209
332			309 / 1	18.614
333			309 / 2	0.982
334			309 / 2 ^अ	0.732
335			309 / 3	0.314
336			309 / 4	1.045
337			309 / 5	0.47
338			309 / 6	0.157
339			309 / 7	1.463
340			309 / 8	0.418
341			309, 499	0.156
342			310	0.031
343			311	0.721

344			312	0.721
345			313	1.108
346			314	0.01
347			315	0.052
348			316	0.021
349			317	1.223
350			318	0.021
351			319	0.47
352			320	0.136
353			321	1.191
354			323	0.125
355			324	0.491
356			325	0.031
357			326	0.732
358			327	0.136
359			328	1.055
360			330	0.042
361			331	0.021
362			332 / 1	0.021
363			332 / 2	0.282
364			333	0.732
365			334	0.031
366			335	0.021
367			336	0.105
368			337	0.397
369			338	0.105
370			339	0.24
371			340	1.15
372			341	0.052
373			342	0.784
374			343	0.648
375			344	0.491
376			345	0.031
377			346	0.366
378			347	0.199
379			348	0.155
380			349 / 1	1.097
381			349 / 2	0.627
382			350	0.073
383			351	1.15

384				352	0.042
385				354	0.063
386				355	0.47
387				356	0.01
388				357	0.052
389				358	0.449
390				359	0.125
391				360	0.125
392				361	0.418
393				362	0.523
394				363	0.815
395				364	0.794
396				366	0.167
397				367	0.282
398				368	0.282
399				369	0.136
400				370	0.784
401				371	0.178
402				372 / 1	0.105
403				372 / 2	0.156
404				373	0.031
405				374	0.272
406				375	0.042
407				375 / 1	0.031
408				375 / 2	0.042
409				375 / 3	0.052
410				375 / 4	0.042
411				375 / 5	0.052
412				375 / 6	0.01
413				375 / 7	0.523
414				375 / 8	0.157
415				375 / 9	0.063
416				376 / 1	0.47
417				376 / 2	0.031
418				376 / 3	0.031
419				376 / 4	0.031
420				376 / 5	0.031
421				376 / 6	0.021
422				376 / 7	0.021
423				376 / 8	0.021

424				376 / 9	0.031
425				376 / 10	0.01
426				376 / 11	0.355
427				376 / 12	0.052
428				376 / 13	0.01
429				376 / 14	0.021
430				377	1.641
431				378 / 1	0.418
432				378 / 3	10.483
433				378 / 3	0.042
434				378 / 3	0.042
435				378 / 4	0.031
436				378 / 5	0.021
437				378 / 6	0.031
438				378 / 7	0.261
439				378 / 8	0.01
440				378 / 9	0.01
441				378 / 9 ड2	0.011
442				378 / 10	0.011
443				378 / 10	0.01
444				378 / 11	0.021
445				378 / 12	0.01
446				378 / 13	0.836
447				378 / 14	0.115
448				378 / 15	0.042
449				378 / 16	0.042
450				378 / 17	0.125
451				378 / 18	0.261
452				378 / 19	0.188
453				378 / 20	0.042
454				379	0.084
455				380	0.031
456				381	0.052
457				382	0.031
458				383	0.042
459				384	0.063
460				385	0.031
461				386	0.031
462				387	0.042
463				388	0.042

464			389	0.042
465			390	0.125
466			391	0.021
467			392	0.042
468			393	0.021
469			394	0.073
470			395	0.209
471			396	0.031
472			397	0.23
473			398	0.063
474			399	0.155
475			400	0.188
476			401	0.031
477			402	0.052
478			403	0.042
479			404	0.042
480			405	0.063
481			406	0.052
482			407	0.105
483			408	0.063
484			409	0.042
485			410	0.084
486			411	0.052
487			412	0.084
488			413	0.042
489			414	0.052
490			415	0.031
491			416	0.042
492			417	0.042
493			418	0.073
494			419	0.031
495			420	0.031
496			421	0.272
497			422	0.063
498			423	0.105
499			423 / 2	1.672
500			424	0.042
501			425	0.052
502			426	0.01
503			427	0.031

504			428	0.01
505			429	0.01
506			430	0.01
507			431	0.063
508			432	0.073
509			433	0.073
510			434	0.01
511			435	0.031
512			436	0.021
513			437	0.021
514			438	0.01
515			439	0.01
516			440	0.073
517			441	0.01
518			442	0.031
519			443	0.031
520			444	0.042
521			445	0.063
522			446	0.125
523			447	0.355
524			448	0.136
525			449	0.366
526			450	0.021
527			451	0.272
528			452	0.042
529			453	0.523
530			454	0.021
531			455	0.212
532			456	0.324
533			457	0.408
534			458	0.355
535			459	0.366
536			460	0.01
537			461	0.429
538			462	0.084
539			463	0.303
540			464	0.752
541			465	0.031
542			466	1.202
543			467	0.125

544			468	0.167
545			469	0.063
546			470	0.157
547			471	0.157
548			472	0.909
549			473	0.805
550			474	0.188
551			475	0.042
552			476 / 1	0.01
553			476 / 2	3.553
554			477	0.052
555			478	0.063
556			479	0.063
557			480	0.01
558			481	0.01
559			482	0.031
560			483	0.01
561			484	0.439
562			485	0.105
563			486	0.021
564			487	0.136
565			488	0.063
566			489 / 1	6.01
567			489 / 2	0.748
568			489 / 3	0.679
569			489 / 4	0.679
570			489 / 5	0.209
571			490	0.552
572			491	22.984
573			492	5.017
574			492 / 1	14.057
575			492 / 2	0.418
योग जाखौदा मेघपुरा :-			575	634.989
कुल योग :-			1589	1611.669

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55/96-FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य

के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित/आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 1611.669 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-श्यापुर के आदेश क्रमांक 142, 143 एवं 144 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक/636/रीडर-1/2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ-25-75-2021-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021-दस-3, दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 26th September 2024

No./F-25-/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927), the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25°51'26.028" N to 25°47'32.964" N North Latitude and 77°11'28.248" E to 77°7'51.132" E East Longitude.

SCHEDULE

District - Sheopur

Tahsil - Vijaypur

Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur

Range - Palpur East

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hactare)	
01	02	03	04	05	06	07
1	Paira	Paira	Land acquired in the favor of Forest Department of Madhya Pradesh, Government	13	0.136	North- Proposed Forest Block pillar no. 195 and 1 to 6. East- Kuno River. Proposed Block pillar no. 6 to 48. South- Proposed Forest Block pillar no. 48 to 101. West- Proposed Forest Block pillar no. 101 to 195.
2				14	0.92	
3				16	48.247	
4				19	0.533	
5				24	1.683	
6				25	0.452	
7				26	1.014	
8				27	1.017	
9				28	0.784	
10				29	1.505	
11				30	0.815	
12				31	0.345	
13				32	7.003	
14				33	0.993	
15				34	0.941	
16				35	0.773	
17				36	0.888	
18				37	1.066	
19				38	0.857	
20				39	2.498	
21				41	1.275	
22				42	0.484	
23				43	0.502	
24				44	2.581	
25				45	0.397	
26				46	0.376	
27				47	0.167	
28				48	0.575	
29				49	1.045	
30				50	0.909	
31				51	0.953	
32				52	1.16	

33			53/मि. 1 पडवा 2	0.804
34			53/मि. 2 पडवा 2	0.732
35			54/पडवा 2	0.167
36			55/पडवा 1	0.099
37			56	0.763
38			57/पडवा 2	0.115
39			58/पडवा 1	0.24
40			59	0.167
41			60/पडवा 1	1.003
42			61/पडवा 1	2.299
43			62/डाडा 2	0.125
44			63/पडवा 1	1.066
45			64/दुमट	1.16
46			65/पडवा 2	1.39
47			66/पडवा 2	1.055
48			67/पडवा 2	0.93
49			68	6.059
50			68/519	0.387
51			69	0.031
52			70	0.157
53			71/1 पडवा 2	1.672
54			71/2 दुमट 2	0.418
55			71/3 पडवा 2	0.105
56			71/4 पडवा 2	0.314
57			71/5 पडवा 2	0.627
58			72/1 पडवा 2	0.575
59			72 मि. 2 पडवा 2	0.836
60			73 मि. 1 पडवा 2	0.418
61			73 मि. 2 पडवा 2	0.418
62			74	0.052
63			75	0.052
64			76/1 पडवा 2	1.275
65			76/2 पडवा 2	0.261
66			76/3 पडवा 2	0.052
67			76/4 पडवा 3	0.679
68			77 मि. 1 पडवा 2	0.627
69			77 मि. 2 पडवा 2	0.627
70			77 मि. 3	0.031
71			78 पडवा 2	0.982
72			79/1 पडवा 2	0.052
73			79/2 पडवा 2	0.157
74			79/3 पडवा 2	0.261
75			79/4 पडवा 2	0.073

76			79/5 पडवा 2	0.052
77			79/6 मि. 1 पडवा 2	0.679
78			79/6 मि. 2 पडवा 2	0.732
79			79/6 मि. 3 पडवा 2	0.491
80			79/6 मि. 4	0.219
81			80 पडवा 2	0.92
82			81/1 पडवा 2	1.097
83			81/2 पडवा 2	0.523
84			82/1	1.359
85			82/2 पडवा 2	0.052
86			82/3 पडवा 2	0.052
87			82/4 पडवा 2	0.021
88			82/5 पडवा 2	0.052
89			82/6 पडवा 2	0.073
90			82/7 पडवा 2	0.031
91			82/8 पडवा 2	0.031
92			83/1 पडवा 2	0.732
93			83/2 पडवा 2	0.209
94			84/1 मि. 1 पडवा 2	0.209
95			84/1 मि. 2 पडवा 2	0.523
96			84/2 पडवा 2	0.52
97			84/3 पडवा 2	0.021
98			84/4 पडवा 2	0.031
99			84/5 पडवा 2	0.157
100			84/6 पडवा 2	0.052
101			84/7 पडवा 2	0.073
102			84/8 पडवा 2	0.105
103			84/9 पडवा 2	0.01
104			84/10 पडवा 2	0.105
105			84/11 पडवा 2	1.714
106			85/मि. 2	1.17
107			86/पडवा 2	0.46
108			87/पडवा 2	1.714
109			88/1 पडवा 2	0.167
110			88/2 पडवा 2	0.209
111			88/3 पडवा 2	0.418
112			88/4 पडवा 2	0.084
113			89	0.857
114			90/पडवा 2	0.063
115			91/पडवा 2	0.784
116			92/1	0.01
117			92/2 पडवा 2	0.021
118			92/3 पडवा 2	0.1

119			92/4 पडवा 2	0.146
120			92/5 पडवा 2	0.157
121			93 पडवा 2	0.314
122			94	0.167
123			95 पडवा 2	0.073
124			96/1 राकड़ 1	0.836
125			96/2 97/3 पडवा 2	0.679
126			96/3 राकड़ 1	0.836
127			97/1	0.949
128			97/2 राकड़ 1	0.052
129			97/3 97/4 राकड़ 1	0.31
130			97/5 राकड़ 1	0.105
131			97/6 राकड़ 1	0.021
132			97/7 राकड़ 1	0.105
133			97/8 राकड़ 1	0.052
134			97/9 राकड़ 1	0.523
135			98/1 पडवा 2	0.658
136			98/2 पडवा 2	0.261
137			98/3 पडवा 2	0.857
138			98/4 पडवा 2	0.732
139			98/5 पडवा 2	0.157
140			98/6 पडवा 2	0.888
141			99/मि. 1 पडवा 2	1.463
142			99 मि. 2 पडवा 2	1.188
143			100 मि. 1 डाडा 1	0.449
144			100 मि. 2 डाडा 1	0.836
145			101 पडवा 2	0.449
146			102 पडवा 2	0.607
147			103/1 पडवा 2	0.836
148			103/2 पडवा 2	0.418
149			103/3 पडवा 2	0.502
150			104	0.679
151			107 पडवा 2	0.961
152			110/1 मि. 1 पडवा 2	0.658
153			110/1 मि. 2	0.627
154			110/1 मि. 3 पडवा 2	0.627
155			110/2 पडवा 2	0.836
156			110/3 पडवा 2	0.157

157			110/4 मि. 1 114/3 मि. 2	0.021
158			110/4 मि. 2 114/3 मि. 2 पडवा 2	0.962
159			111/1 112/114/2 मि. 1 पडवा 2	0.679
160			111/2 पडवा 2	2.09
161			111/3 194/2	0.209
162			111/4 1118/2 पडवा 2	0.502
163			114/2 114/3 115/पडवा 2	0.073
164			117 पडवा 2	0.272
165			118/1 पडवा 2	0.47
166			120 पडवा 2	0.219
167			121	0.261
168			122 पडवा 2	0.679
169			123/पडवा 2	0.899
170			138	0.805
171			139	0.606
172			140	0.376
173			141	0.909
174			142	0.888
175			143	1.097
176			144	0.512
177			145	0.042
178			146	0.669
179			147	0.084
180			148	1.411
181			149	1.62
182			150	0.157
183			151	0.146
184			152	0.052
185			153/1	2.318
186			153/2	0.105
187			154	0.826
188			155	0.167
189			156	0.763
190			157	0.523
191			158	0.115
192			159	0.47
193			160	0.921
194			161	0.042
195			162	0.732
196			163	0.732
197			164	0.355
198			165/1	0.732

199			165/2	1.097
200			166	0.042
201			167	0.052
202			168	0.355
203			169	0.052
204			170	0.261
205			171	0.178
206			172	0.042
207			173	0.073
208			174	0.178
209			175	0.052
210			176	0.481
211			177	0.021
212			178 पडवा 2	1.202
213			179 पडवा 2	0.439
214			180 पडवा 2	0.324
215			180/521	0.084
216			181 पडवा 1	0.543
217			182 पडवा 2	1.899
218			183	0.021
219			184	0.094
220			185	0.021
221			186	0.732
222			187 सि. 2	0.219
223			188	0.094
224			189	0.052
225			190	0.157
226			191 पडवा	1.766
227			192 पडवा	0.261
228			193	0.073
229			194/1 पडवा 2	1.199
230			194/2	1.045
231			194/3 पडवा 2	0.481
232			195 डाडा 2	0.324
233			196 पडवा 2	1.69
234			197 सि. 1 डाडा 2	1.045
235			197 सि. 2 पडवा 1	0.251
236			198	0.073
237			199 पडवा 2	0.073
238			200 गोहान	0.073
239			201 गोहान	0.063
240			202 गोहान	0.115
241			203	0.031
242			204 गोहान 2	0.094
243			205	0.073
244			206 पडवा 2	0.042
245			207 पडवा 2	0.052

246			208 दुसट 2 पडवा 2	0.021
247			209 पडवा 1	0.021
248			210/1 पडवा 1	0.47
249			210/2	0.021
250			210/3 पडवा 2	0.031
251			211	0.01
252			212	0.034
253			213	0.084
254			214 गोहान	0.021
255			215 पडवा 2	0.021
256			216 पडवा 2	0.031
257			217 पडवा 2	0.042
258			218 पडवा 2	0.846
259			219 पडवा 2	0.052
260			220 गोहान 1	0.073
261			221 गोहान 1	0.021
262			222	0.021
263			223/बंजर 1	0.01
264			224 गोहान 1	0.157
265			225	0.01
266			226	0.01
267			227	0.23
268			228	0.052
269			229 पडवा 1	0.042
270			230 पडवा 1	0.073
271			231	0.115
272			232/1 पडवा 1	0.115
273			232/2 पडवा 1	0.039
274			232/514 पडवा 1	0.063
275			232/515	0.052
276			233 पडला 2	0.136
277			234 बंजर 2	0.042
278			235 पडला 1	0.627
279			236/1	0.742
280			236/516 पडवा 1	0.084
281			237 पडवा 1	1.557
282			238 पडवा 1	0.47
283			239 पडवा 1	1.045
284			240	0.836
285			241 पडवा 1	0.69
286			242	1.889
287			243 डाडा 1	0.711
288			244 डाडा 2	1.055
289			245 पडवा 2	0.366

290			246 डाडा 1	1.85
291			247 पडवा 1	1.703
292			248 डाडा 2	0.042
293			249 पडवा 1	0.209
294			250 पडवा 1	0.648
295			251 पडवा 1	0.512
296			252 पडवा 1	0.763
297			253 पडवा 1	0.794
298			254 पडवा 1	0.042
299			255 पडवा 1	0.063
300			256 पडवा 1	1.351
301			257 पडवा 1	0.481
302			258 पडवा 1	1.672
303			259 डाडा 2	0.418
304			260	2.825
305			261 राकड़ 2	0.052
306			262/1 डाडा 2	0.021
307			262/2	0.052
308			263 डाडा 2	0.084
309			264 डाडा 2	0.042
310			265 डाडा 2	0.732
311			266 डाडा 2	0.063
312			267 डाडा 2	0.094
313			268/1 डाडा 2	0.983
314			268/2 डाडा 2	0.125
315			268/3 डाडा 2	0.063
316			268/4 डाडा 1	0.073
317			268/5 डाडा 2	0.021
318			268/6	0.105
319			268/7	0.125
320			268/8	0.105
321			268/9	0.658
322			269	0.063
323			270/1	0.021
324			270/2	0.073
325			271 डाडा 2	0.105
326			272 डाडा 2	0.21
327			273 डाडा 2	0.042
328			274 डाडा 1	3.198
329			275	0.042
330			276	0.094
331			277 राकड़ 1	0.031
332			278 डाडा 2	0.063
333			279	0.052
334			280 पडवा 2	0.052

335			281 पडवा 2	0.031
336			282 पडवा 2	0.052
337			283 पडवा 2	0.063
338			284 पडवा 2	0.063
339			285 पडवा 2	0.094
340			286 डाडा 2	0.042
341			287 पडवा 2	0.063
342			288	1.129
343			289	0.073
344			290 dkoj 2	0.042
345			291 गोहान 1	0.031
346			292 गोहान 1	0.031
347			293 गोहान 1	0.073
348			294 गोहान 1	0.031
349			295	0.063
350			296 पडवा 2	0.052
351			297 गोहान 2	0.47
352			298	0.063
353			299 आवासी 2	0.031
354			300 डाडा 1	1.076
355			301	0.094
356			302 डाडा 2	0.042
357			303 राकड़ 2	0.042
358			304 डाडा 2	0.042
359			305 डाडा 1	0.679
360			306 राकड़ 1	0.042
361			307 गोहान 1	0.052
362			308 गोहान 1	0.063
363			309 गोहान 2	0.029
364			310 राकड़ 2	0.199
365			311 राकड़ 2	0.658
366			312	0.042
367			313	24.249
368			314	0.418
369			315	0.031
370			316	0.052
371			317	0.021
372			318	0.042
373			319	0.125
374			320	0.031
375			321	0.031
376			322	0.052
377			323	1.063
378			324	20.618
379			325	1.139
380			326 पडवा 1	0.052
381			327 पडवा 1	0.052
382			328 पडवा 1	0.69
383			329 पडवा 1	1.139
384			330 पडवा 1	1.035

385				331 पडवा 1	0.784
386				332 पडवा 1	0.021
387				333 पडवा 1	0.282
388				334	0.345
389				335	0.272
390				336 पडवा 2	0.042
391				337	0.031
392				338 गोहान 1	0.01
393				339 गोहान 1	0.042
394				340 गोहान 1	0.031
395				341	0.23
396				342	0.063
397				343 गोहान 1	0.052
398				344 गोहान 1	0.094
399				345 गोहान 1	0.031
400				346 पडवा 2	0.052
401				347 दुमट 2	0.052
402				347/2 दुमट	0.418
403				347/3 मि. 1 पडवा 2	0.491
404				347/3 मि. 2 पडवा 2	0.031
405				348	0.042
406				349 पडवा 1	0.042
407				350	0.052
408				351 गोहान 1	0.982
409				352 पडवा 1	0.167
410				353	1.411
411				354 पडवा 1	0.084
412				355	2.974
413				356 पडवा 1	0.909
414				357 पडवा 2	0.7
415				358 पडवा 1	0.31
416				359 डाडा 2	0.21
417				360	0.031
418				361	0.993
419				362 पडवा 2	0.909
420				363 पडवा 1	0.293
421				364	0.209
422				365	0.596
423				366 पडवा 2	0.251
424				367/1 डाडा 2	0.418
425				367/2 डाडा 2	0.418
426				367/3 डाडा 2	0.021
427				367/4	0.157
428				367/5	0.324
429				367/6, 272/2 डाडा 2	0.105

430			367/7	0.836
431			367/8	0.867
432			367/9	0.042
433			368	0.836
434			369 पडवा 2	0.063
435			370 पडवा 2	0.324
436			371 पडवा 2	0.261
437			372/1 पडवा 2	0.052
438			372/2 373	0.7
439			374 पडवा 2	0.778
440			375 पडवा 1	0.7
441			376 डाडा 2	0.042
442			377 पडवा 2	0.01
443			378	0.146
444			379	1.223
445			380 पडवा 2	0.115
446			381 डाडा 1	0.042
447			382 पडवा 2	1.4
448			383 पडवा 2	0.261
449			384	0.042
450			385 डाडा 2	0.439
451			386 पडवा 1	0.021
452			387 पडवा 1	0.01
453			388 पडवा 1	0.115
454			389	1.244
455			390 पडवा 1	1.108
456			391 पडवा 1	0.042
457			392 पडवा 2	0.418
458			393 पडवा 2	0.146
459			394 पडवा 2	2.581
460			395 पडवा 2	0.136
461			396/1 राकड 2	2.069
462			396/2 राकड 1	1.045
463			396/3 राकड 1	0.324
464			397	0.951
465			398 पडवा 2	0.779
466			399	0.125
467			399/2	0.042
468			399/3	0.157
469			399/4	0.209
470			399/5	0.376
471			399/6	8.434
472			399/7	5.016
473			400	7.525
474			401	67.297
475			402	18.763
476			403	24.244

477			404	7.126
478			405	20.204
479			406	1.463
480			407 मि. 1 डाडा 2	32.833
481			407 मि. 2	1.15
482			408 मि. 1 डाडा 2	1.515
483			408 मि. 2 डाडा 2	1.15
484			408 मि. 3	4.545
485			408 मि. 4	25.08
486			409	1.515
487			410 मि. 1 डाडा 2	1.515
488			410 मि. 2 डाडा 2	1.515
489			410 मि. 3	11.302
490			410 मि. 4	0.763
491			411 डाडा 2	0.523
492			412 डाडा 2	0.721
493			413 डाडा 2	1.349
494			414	0.209
495			415	0.47
496			416 डाडा 2	0.836
497			417 डाडा 2	1.359
498			418 डाडा 2	0.125
499			419	0.24
500			420	0.627
501			421 राकड़ 1	0.366
502			422 डाडा 2	0.376
503			423/1 डाडा 2	0.094
504			423/2 डाडा 2	0.052
505			423/3 डाडा 2	0.209
506			423/4 डाडा 2	0.836
507			423/5 डाडा 2	0.836
508			423/6 डाडा 2	0.105
509			423/7 डाडा 2	0.042
510			423/8 डाडा 2	0.418
511			423/9 डाडा 2	0.031
512			423/10 डाडा 2	0.084
513			423/11 डाडा 2	0.209

514			423/12 डाडा 2	0.941
515			423/13 डाडा 2	1.264
516			424 डाडा 2	1.85
517			425 डाडा 2	0.564
518			426 डाडा 2	0.105
519			427	0.47
520			428 पडवा	1.003
521			429 डाडा 2	0.763
522			430 पडवा 2	2.111
523			431 पडवा 1	0.993
524			432 आपसी 2	1.881
525			433 पडवा 1	0.345
526			434	0.105
527			435	0.125
528			436	0.92
529			437 पडवा 2	1.515
530			438	0.178
531			439 पडवा 1	0.188
532			440 डाडा 1	1.129
533			441 पडवा 1	0.063
534			442	1.296
535			443 पडवा 1	1.933
536			444	1.936
537			445	0.24
538			446	1.463
539			447 पडवा 2	0.397
540			448 पडवा 2	0.533
541			449 पडवा 2	1.954
542			450	
543			451 पडवा 2	1.045
544			452	0.157
545			453	0.209
546			454	0.909
547			455 पडवा 2	0.961
548			456 पडवा 2	0.136
549			457	0.042
550			458 518	0.105
551			457 520	0.084
552			458	0.961
553			459 डाडा 1	0.042
554			459/517	1.766
555			460 पडवा 2	1.139
556			461 पडवा 1	1.923
557			462	0.021
558			463	1.547
559			464 पडवा 2	0.178
560			465 डाडा 2	0.073
561			466	0.01
562			467	0.387

563			468	0.209
564			469 पडवा 2	0.105
565			470	0.073
566			471	0.125
567			472	55.2
568			473	0.949
569			474 डाडा 1	2.144
570			475 डाडा 1	0.648
571			476 डाडा 2	0.073
572			477 डाडा 1	0.209
573			478 डाडा 1	0.031
574			479	0.711
575			480 डाडा 1	0.042
576			481	0.355
577			482	0.031
578			483	0.428
579			484	1.094
580			485	0.366
581			486 डाडा 1	0.042
582			487	0.219
583			488	0.669
584			489	0.125
585			490	0.418
586			491	1.254
587			492 डाडा 1	0.732
588			493/1 डाडा 2	0.909
589			493/2 डाडा	1.735
590			494 डाडा 2	0.819
591			495 डाडा 2	0.669
592			496	2.592
593			497	0.042
594			498	0.951
595			499 डाडा 2	0.021
596			500	0.7
597			501 डाडा 2	0.084
598			502	0.042
599			503	0.679
600			504 डाडा 1	0.909
601			505 डाडा 2	0.052
602			506 डाडा 2	2.414
603			507	1.08
604			508 डाडा 2	1.421
605			509 डाडा 2	19.124
606			510	0.24
607			511	4.672
608			512	8.026
Total Paira:-			608	724.156

1	Paira	Palpur	Land acquired in the favor of Forest Department of Madhya Pradesh, Government	6	1.212
2				7	14.49
3				10	6.585
4				11	0.146
5				12	23.464
6				13	0.711
7				14	10.661
8				15	0.366
9				16	0.219
10				17	9.647
11				19	1.369
12				20	0.836
13				21	1.379
14				22	1.745
15				23	1.045
16				24	0.251
17				25	0.251
18				26	0.251
19				27	0.585
20				28	0.418
21				29	1.902
22				44591	0.523
23				30/2	1.128
24				31	0.125
25				32	0.491
26				33	1.829
27				34/1	1.15
28				34/2	1.15
29				34/3	16.283
30				35	1.202
31				36	1.17
32				37	2.424
33				38	0.303
34				39	1.181
35				40	0.345
36				41	1.327
37				42	0.084
38				43	0.021
39				44	0.502
40				45	0.449
41				46/1	1.296
42				46/2	0.543
43				47	0.167
44				48	1.15
45				49	0.073
46				50/51	2.027
47				52	0.251
48				53	0.366
49				54	0.512
50				55	1.214
51				56	0.052
52				57	0.219
53				58	1.442

54			59	0.282
55			60	0.836
56			61	0.094
57			62	2.456
58			63/1	1.672
59			63/2	2.09
60			63/3	0.021
61			64/1	0.857
62			64/2	0.418
63			64/3	0.627
64			65/1	0.418
65			65/2	1.463
66			65/3	0.418
67			65/4	0.627
68			65/5	5.372
69			66	0.094
70			66/514	0.042
71			67/1	0.209
72			67/211	0.627
73			67/212	4.18
74			68/1	0.209
75			68/2	0.596
76			69	0.209
77			70	0.042
78			71	0.878
79			72	0.397
80			73	1.359
81			73/513	0.021
82			74	0.063
83			75	1.672
84			76	0.857
85			77	0.052
86			78	0.397
87			79	1.306
88			80	0.836
89			81	0.209
90			82	0.157
91			83/1	0.784
92			83/2	6.783
93			84	0.094
94			85	0.105
95			86	0.721
96			87	0.042
97			88/1	0.627
98			88/2	0.624
99			88/3	0.627
100			88/4	0.627
101			88/5	0.627
102			88/6	0.627
103			88/7	0.627
104			88/8	0.627
105			88/9	0.554

106			88/10	0.627
107			91	0.439
108			93	5.226
109			95	0.397
110			96	0.084
111			97	1.045
112			98	0.817
113			100	1.484
114			101	0.523
115			102	0.439
116			103	0.063
117			104	1.588
118			114	0.157
119			121	0.272
120			122	0.46
121			123	0.063
122			125	0.503
123			126	0.021
124			127	0.711
125			128	0.345
126			129	1.505
127			130	0.125
128			131	0.167
129			132	0.115
130			133	0.648
131			134	0.251
132			135	2.299
133			136	0.293
134			137	0.115
135			138	0.293
136			139	0.669
137			140	0.125
138			141/1	0.533
139			176-177	
140			178-179	
141			185-186	
142			187-188	
143			189-190	
144			141/2-1	1.045
145			141/2-2	0.867
146			141/3	0.47
147			141/3-3	1.045
148			141/4	0.627
149			142	0.752
150			143	1.954
151			144	0.052
152			145	0.24
153			146	0.199
154			147	0.157
155			148	0.031
156			149	0.047
157			150	0.219

158			151	0.46
159			152	0.021
160			153	0.303
161			154	0.157
162			155	0.073
163			156	0.073
164			157	0.878
165			158	0.073
166			159	0.564
167			160	0.439
168			161	0.031
169			162	1.432
170			163/1	0.585
171			163/2	0.366
172			164	0.073
173			165	0.031
174			166/1	0.272
175			166/2	0.209
176			167	0.199
177			168	0.031
178			169	0.188
179			170	0.021
180			171	0.042
181			172	0.052
182			173	0.042
183			174	0.105
184			175/1	0.021
185			175/2	0.784
186			175/3	0.031
187			175/4	0.01
188			175/5	0.01
189			176-179	0.533
190			191	0.084
191			192/1	0.01
192			192/2	0.01
193			192/3-1	0.042
194			192/4-3	0.042
195			193	0.042
196			194	0.031
197			195	0.01
198			196/1-1	0.01
199			196/1-2	0.021
200			196/2-3	0.021
201			196/1- 4	0.01
202			196/1- 5	0.031
203			196/1- 6	0.01
204			196/1- 7	0.01
205			196/1- 8	0.01
206			196/1- 9	0.021
207			196/1- 10	0.021
208			196/1- 11	0.021
209			196/1- 12	0.01

210			196/1- 13	0.734
211			196/2	0.01
212			196/3	0.01
213			196/4	0.021
214			196/5	0.021
215			197/1	0.073
216			197/2	0.031
217			198	0.021
218			199	0.052
219			200	0.042
220			201	0.042
221			202	0.031
222			203/ 1	0.01
223			203 / 2	0.01
224			203/3	0.052
225			203 / 4	0.398
226			204	0.042
227			204/2	0.031
228			204/3	0.031
229			204/4	0.105
230			204/5	0.502
231			204/6	0.021
232			205/1	0.157
233			205/2	0.01
234			205/3	0.157
235			205/4	0.052
236			206	0.397
237			207	0.24
238			208	0.01
239			208/ 1	0.063
240			209	0.92
241			210	0.021
242			211	0.094
243			212	0.031
244			213	0.031
245			214	0.052
246			215/1	0.272
247			215/2	0.105
248			216	0.105
249			217	0.042
250			218	0.23
251			219	0.209
252			220	0.951
253			221	0.982
254			222	0.815
255			223	0.836
256			224	0.439
257			225	0.105
258			226	0.032
259			227	0.042
260			228	0.052
261			229	0.031

262			230	0.052
263			231	0.031
264			232	0.031
265			233/1	0.021
266			233/2	0.021
267			234	0.031
268			235/1	0.805
269			235/2	0.031
270			236	0.094
271			237/1	0.01
272			237/2	1.557
273			238	0.052
274			239	0.042
275			240	0.084
276			241	0.063
277			242	0.617
278			243	0.021
279			244	0.042
280			245	0.031
281			246	0.01
282			247	0.073
283			248	0.084
284			249	0.042
285			250	0.031
286			251	0.46
287			252	0.063
288			253	0.031
289			254	0.031
290			255	0.188
291			256	0.031
292			257	0.031
293			258	0.105
294			259	0.063
295			260	0.052
296			261	0.094
297			262	0.063
298			263	0.031
299			264	0.031
300			265	0.031
301			266	0.031
302			267	0.094
303			268	0.031
304			269	0.063
305			270	0.355
306			271	0.084
307			272	0.042
308			273	0.031
309			274	0.063
310			275	0.136
311			276	0.554
312			278	0.47
313			279	1.045

314			280	0.324
315			281/- 1	0.261
316			281/- 2	0.293
317			282	0.052
318			283	0.063
319			284	0.345
320			285	0.951
321			286	0.606
322			287	0.167
323			288	0.084
324			289/1- 1	0.836
325			289/1- 2	12.511
326			290	0.052
327			291	0.073
328			292	0.01
329			293	1.421
330			294	0.052
331			295	0.251
332			296	0.293
333			297	0.251
334			298	0.105
335			299	0.24
336			300	0.46
337			301	0.052
338			302	0.836
339			303	0.094
340			304	0.617
341			307	0.24
342			309	0.554
343			310	0.491
344			311	0.125
345			312/510	0.01
346			312	0.627
347			314	0.23
348			316	0.01
349			319	1.515
350			320	0.052
351			322	0.042
352			323	1.254
353			324	0.105
354			325/1	0.084
355			325/2	0.031
356			326	0.178
357			327	0.178
358			328/1	0.073
359			328/2	0.199
360			329	0.105
361			330	0.031
362			331	0.052
363			332	0.105
364			333	0.031
365			334	0.042

366				335	0.105
367				336	0.094
368				338/3	0.011
369				337	0.021
370				338/1	0.042
371				338/2	0.575
372				338/4	0.011
373				338/5	0.052
374				338/6	0.042
375				339	0.031
376				340/341	0.094
377				685	0.084
378				343	0.03
379				344	0.01
380				345	0.01
381				346	0.01
382				347/1	0.01
383				347/2	0.031
384				347/3	0.01
385				347/4	0.021
386				347/5	0.157
387				348	0.021
388				349/1	0.021
389				349/2	0.031
390				350	0.042
391				351	0.84
392				352	0.042
393				353	0.178
394				354	0.105
395				355	0.073
396				356/1	0.136
397				356/2	0.073
398				357	0.01
399				358, 359, 359/3	0.021
400				359/1	0.01
401				359/2	0.084
402				359/3	0.24
403				359/4	0.01
404				359/5	0.01
405				359/6	0.03
406				360	0.105
Total Palpur:-				406	252.524
1	Paira	Jakhauda, Meghpura	Land acquired in the favor of Forest Department of Madhya Pradesh, Government	11	9.261
2				12	3.511
3				13	2.978
4				14	0.135
5				15	0.146
6				16	0.303
7				17	0.46
8				18	0.199
9				19	1.672

10			20	0.01
11			21	0.031
12			22	0.742
13			23	0.773
14			24	0.021
15			25	0.752
16			26	0.063
17			27	0.324
18			28	0.031
19			29	0.428
20			30	4.369
21			30/94	0.052
22			31	0.24
23			32	0.376
24			33	0.23
25			34	0.773
26			35	0.763
27			36	0.021
28			37	2.32
29			38	0.094
30			39/1	0.993
31			39/2	1.014
32			39/3	0.627
33			39/4	0.366
34			39/5	0.523
35			40	0.156
36			41/1	0.575
37			41/2	0.303
38			42	2.379
39			43	0.711
40			44/1	0.272
41			45	0.523
42			46	0.063
43			47	0.219
44			48	0.376
45			49	0.188
46			50	3.229
47			52	0.396
48			53	0.063
49			54	0.366
50			55/1	1.108
51			56	1.547
52			57	0.334
53			58	0.052
54			59	0.858
55			60	0.125
56			61	0.031
57			62	0.314
58			63	2.195
59			63/498	0.366
60			64	0.554
61			65	2.142

62			66	1.703	
63			67	0.396	
64			68	0.157	
65			69	1.066	
66			73	1.233	
67			74	0.543	
68			75	0.481	
69			76/1	1.463	
70			76/2	2.069	
71			76/500	0.7	
72			77	0.146	
73			78	0.052	
74			79	0.031	
75			80/1	1.066	
76			80/2	1.045	
77			80/4	0.941	
78			80/5	1.014	
79			80/6	0.438	
80			80/7	0.209	
81			80/8	1.463	
82			81	-0.669	
83			82	0.01	
84			85	0.042	
85			88	0.251	
86			89	0.136	
87			91	1.317	
88			92	0.157	
89			93	0.188	
90			94	0.334	
91			95	0.93	
92			96	0.7	
93			97	0.648	
94			100	0.418	
95			101	0.46	
96			102	0.669	
97			103/1	0.209	
98			103/2	0.752	
99			104	0.836	
100			105	1.4	
101			106	1.108	
102			107	0.146	
103			108	0.369	
104			110	1.15	
105			111	0.115	
106			112	1.264	
107			113	0.167	
108			114	2.529	
109			115	0.01	
110			116	0.084	
111			117	1.296	
112			118	1.223	
113			119	0.909	

114			120	1.233
115			121	2.759
116			122	1.62
117			125	17.193
118			126	1.672
119			127	2.926
120			128	63.214
121			129	125.32
122			130	0.711
123			131	0.533
124			132	0.303
125			133	1.17
126			134	0.366
127			135	1.933
128			136	1.275
129			137	28.847
130			138	0.763
131			139	0.888
132			140	1.087
133			141	0.679
134			142	0.533
135			143	0.721
136			144	0.627
137			145	1.306
138			146	1.693
139			147	1.306
140			148	0.941
141			149	1.724
142			150	0.658
143			151	28.429
144			152	1.411
145			153	1.986
146			154	0.021
147			155	0.042
148			156	2.1
149			157	0.063
150			158	0.261
151			159	0.47
152			160	0.418
153			161	0.334
154			162	0.481
155			163	0.209
156			164	0.523
157			165	0.146
158			166/1	0.157
159			166/2	0.513
160			166/3	17.224
161			167	0.063
162			168	0.094
163			169/1	0.836
164			169/2	1.672
165			170	0.491

166			171	0.711
167			172	1.327
168			173	0.199
169			174	0.575
170			175	0.617
171			176	0.251
172			177	0.191
173			178	0.366
174			179	0.345
175			180	1.275
176			181	0.314
177			182	0.157
178			183	0.439
179			184	0.209
180			184/2	0.554
181			185	0.376
182			186	0.679
183			187	0.878
184			187/495	0.178
185			188	0.543
186			189	0.564
187			190	0.251
188			191	1.17
189			192	0.345
190			193/1	0
191			193/2	0.073
192			194	0.515
193			195	0.202
194			196/1	0.846
195			196/2	0.418
196			196/3	0.418
197			197	0.021
198			198	0.564
199			199	1.118
200			200	1.463
201			201	1.306
202			202	0.512
203			203	0.815
204			204/1	0.846
205			204/2	0.627
206			205	1.379
207			206	0.272
208			207	0.282
209			208/1	0.449
210			208/2	0.418
211			208/3	0.418
212			209	0.575
213			210	0.282
214			211	0.366
215			212	0.543
216			213	0.972
217			214/1	0.48

218			214/2	0.481
219			215	0.105
220			216	0.188
221			217	0.178
222			218	0.178
223			219/1	0.47
224			219/2	0.47
225			220	0.449
226			221	0.042
227			222	0.084
228			223	0.167
229			224	0.46
230			225	0.732
231			226	0.272
232			227/1	0.188
233			227/2	0.627
234			228	0.763
235			229	0.909
236			230	0.596
237			231/1	0.029
238			231/2	0.042
239			232	0.596
240			233	0.146
241			234	0.115
242			235	1.15
243			236	0.972
244			237	1.735
245			238	1.494
246			239	0.042
247			240	0.167
248			241	0.125
249			242	0.105
250			243	0.115
251			244	0.115
252			245	0.084
253			246	0.136
254			247	0.094
255			248	0.031
256			249	0.366
257			250	0.282
258			251	0.188
259			252	0.105
260			253/1	0.627
261			253/2	0.47
262			254	0.888
263			255	1.087
264			256	0.115
265			257	1.191
266			258/1	0.523
267			258/2	0.784
268			259	0.01
269			260/1	0.993

270			260/2	0.314
271			261/1	0.105
272			261/2	0.094
273			262	0.491
274			263	0.857
275			264	0.753
276			265	0.01
277			266/1	0.836
278			266/2	0.836
279			266/3	0.052
280			267	0.272
281			268	0.596
282			269	0.543
283			269/496	0.972
284			270	1.087
285			271	0.836
286			272	0.324
287			272/496	0.063
288			273	0.084
289			274/1	0.105
290			274/2	1.16
291			275	0.219
292			276	0.167
293			277	0.251
294			278	0.909
295			279/1	0.773
296			279/2	0.627
297			280	0.136
298			281	0.136
299			282	0.627
300			283	0.188
301			284	0.136
302			285	0.46
303			286	0.115
304			287	0.251
305			288	0.031
306			289	0.105
307			290	0.125
308			291	0.052
309			292	0.481
310			293	0.334
311			294	0.857
312			295	0.157
313			296	0.188
314			297	1.045
315			298	0.784
316			299	0.261
317			300	0.23
318			301/1	2.257
319			301/2	0.627
320			302	0.031
321			303/1	0.523

322			303/2	0.554
323			304	0.408
324			305	0.961
325			306/1	1.839
326			306/2	0.941
327			306/3	0.627
328			306/4	5.582
329			306/5	0.941
330			307	0.784
331			308	0.209
332			309/1	18.614
333			309/2	0.982
334			309/2K	0.732
335			309/3	0.314
336			309/4	1.045
337			309/5	0.47
338			309/6	0.157
339			309/7	1.463
340			309/8	0.418
341			309/499	0.156
342			310	0.031
343			311	0.721
344			312	0.721
345			313	1.108
346			314	0.01
347			315	0.052
348			316	0.021
349			317	1.223
350			318	0.021
351			319	0.47
352			320	0.136
353			321	1.191
354			323	0.125
355			324	0.491
356			325	0.031
357			326	0.732
358			327	0.136
359			328	1.055
360			330	0.042
361			331	0.021
362			332/1	0.021
363			332/2	0.282
364			333	0.732
365			334	0.031
366			335	0.021
367			336	0.105
368			337	0.397
369			338	0.105
370			339	0.24
371			340	1.15
372			341	0.052
373			342	0.784

374				343	0.648
375				344	0.491
376				345	0.031
377				346	0.366
378				347	0.199
379				348	0.155
380				349/1	1.097
381				349/2	0.627
382				350	0.073
383				351	1.15
384				352	0.042
385				354	0.063
386				355	0.47
387				356	0.01
388				357	0.052
389				358	0.449
390				359	0.125
391				360	0.125
392				361	0.418
393				362	0.523
394				363	0.815
395				364	0.794
396				366	0.167
397				367	0.282
398				368	0.282
399				369	0.136
400				370	0.784
401				371	0.178
402				372/1	0.105
403				372/2	0.156
404				373	0.031
405				374	0.272
406				375	0.042
407				375/1	0.031
408				375/2	0.042
409				375/3	0.052
410				375/4	0.042
411				375/5	0.052
412				375/6	0.01
413				375/7	0.523
414				375/8	0.157
415				375/9	0.063
416				376/1	0.47
417				376/2	0.031
418				376/3	0.031
419				376/4	0.031
420				376/5	0.031
421				376/6	0.021
422				376/7	0.021
423				376/8	0.021
424				376/9	0.031
425				376/10	0.01

426			376/11	0.355
427			376/12	0.052
428			376/13	0.01
429			376/14	0.021
430			377	1.641
431			378/1	0.418
432			378/3	10.483
433			378/3	0.042
434			378/3	0.042
435			378/4	0.031
436			378/5	0.021
437			378/6	0.031
438			378/7	0.261
439			378/8	0.01
440			378/9	0.01
441			378/9 M2	0.011
442			378/10	0.011
443			378/10	0.01
444			378/11	0.021
445			378/12	0.01
446			378/13	0.836
447			378/14	0.115
448			378/15	0.042
449			378/16	0.042
450			378/17	0.125
451			378/18	0.261
452			378/19	0.188
453			378/20	0.042
454			379	0.084
455			380	0.031
456			381	0.052
457			382	0.031
458			383	0.042
459			384	0.063
460			385	0.031
461			386	0.031
462			387	0.042
463			388	0.042
464			389	0.042
465			390	0.125
466			391	0.021
467			392	0.042
468			393	0.021
469			394	0.073
470			395	0.209
471			396	0.031
472			397	0.23
473			398	0.063
474			399	0.155
475			400	0.188
476			401	0.031
477			402	0.052

478			403	0.042
479			404	0.042
480			405	0.063
481			406	0.052
482			407	0.105
483			408	0.063
484			409	0.042
485			410	0.084
486			411	0.052
487			412	0.084
488			413	0.042
489			414	0.052
490			415	0.031
491			416	0.042
492			417	0.042
493			418	0.073
494			419	0.031
495			420	0.031
496			421	0.272
497			422	0.063
498			423	0.105
499			423/2	1.672
500			424	0.042
501			425	0.052
502			426	0.01
503			427	0.031
504			428	0.01
505			429	0.01
506			430	0.01
507			431	0.063
508			432	0.073
509			433	0.073
510			434	0.01
511			435	0.031
512			436	0.021
513			437	0.021
514			438	0.01
515			439	0.01
516			440	0.073
517			441	0.01
518			442	0.031
519			443	0.031
520			444	0.042
521			445	0.063
522			446	0.125
523			447	0.355
524			448	0.136
525			449	0.366
526			450	0.021
527			451	0.272
528			452	0.042
529			453	0.523

530			454	0.021
531			455	0.212
532			456	0.324
533			457	0.408
534			458	0.355
535			459	0.366
536			460	0.01
537			461	0.429
538			462	0.084
539			463	0.303
540			464	0.752
541			465	0.031
542			466	1.202
543			467	0.125
544			468	0.167
545			469	0.063
546			470	0.157
547			471	0.157
548			472	0.909
549			473	0.805
550			474	0.188
551			475	0.042
552			476/1	0.01
553			476/2	3.553
554			477	0.052
555			478	0.063
556			479	0.063
557			480	0.01
558			481	0.01
559			482	0.031
560			483	0.01
561			484	0.439
562			485	0.105
563			486	0.021
564			487	0.136
565			488	0.063
566			489/1	6.01
567			489/2	0.748
568			489/3	0.679
569			489/4	0.679
570			489/5	0.209
571			490	0.552
572			491	22.984
573			492	5.017
574			492/1	14.057
575			492/2	0.418
Total Palpur:-			575	634.989
Grand Total :-			1589	1611.669

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no. 8-55/96-FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary, a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 1611.669 ha. non-forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has. transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no. 142, 143 and 144 dated 4.9.2020 is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons - Nil

(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under:-

1. Individual Rights - Nil
 2. Community Rights - Nil
- Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक/एफ-25-75/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 25° 49' 36.21" N से 25° 48' 32.53" N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 14' 11.30" E से 77° 11' 21.75" E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- श्योपुर

वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर

तहसील - विजयपुर

वन परिक्षेत्र - पालपुर पूर्व

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बसंतपुरा	बसंतपुरा	मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अधिग्रहित भूमि एवं अन्य मद की शासकीय भूमि	1	12.072	उत्तर- वनखण्ड बसंतपुरा के मुनारा क्रमांक 1 से 19 तक। पूर्व - वनखण्ड बसंतपुरा के मुनारा क्रमांक 19 से 22 तक। दक्षिण- वनखण्ड बसंतपुरा के मुनारा क्रमांक 22 से 50 तक। पश्चिम- वनखण्ड बसंतपुरा के मुनारा क्रमांक 50 से 64 एवं 1 तक।
2			2	15.051		
3			3	6.355		
4			50	0.533		
5			51	1.306		
6			54	0.167		
कुल योग :-					35.484	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55/96-FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित/आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 35.484 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला—श्यापुर के आदेश क्रमांक 139 दिनांक 4.9.2020 से हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक/636/रीडर-1/2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ-25-75-2021-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021-दस-3, दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 26th September 2024

No./F-25-75/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927), the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25°49' 36.21" N to 25°48' 32.53" N North Latitude and 77° 14' 11.30" E to 77° 11' 21.75" E East Longitude.

SCHEDULE

District - Sheopur

Tahsil - Vijaypur

Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur

Range - Palpur East

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
01	02	03	04	05	06	07	
1	Basantpura	Basantpura	Land acquired in the favor of Forest Department of Madhya Pradesh, Government	1	12.072	North- Pillar number 1 to 19 of Forest block Basantpura. East- Pillar number 19 to 22 of Forest block Basantpura. South- Pillar number 22 to 50 of Forest block Basantpura. West- Pillar number 50 to 64 and 1 of Forest block Basantpura.	
2				2	15.051		
3				3	6.355		
4				50	0.533		
5				51	1.306		
6				54	0.167		
Total :-				06	35.484		

(A) Reason for publication of Notification :-

- In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no. 8-55/96-FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary, a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 35.484 ha. non-forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has. transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no. 139 dated 4.9.2020 is to be declared as protected forest.

- Details of other Reasons - Nil

(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under:-

- Individual Rights - Nil
- Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र.-2060-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रघुराजनगर	(3) डेलौरा	(4) 11.8552	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2024

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र.-2086-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रामपुर बाघेलान	(3) जमुनिया 159	(4) 1.8403	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया खुर्द वितरिका की करही कोठार माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 27 सितम्बर 2024

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र.-2244-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	गोबरांवकला	0.5566	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना, जिला सतना, (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका एवं गोबरांवकला माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र.-2243-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	मझोखर	0.2926	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना, जिला सतना, (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत चक्रहट्टा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र.-2242-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	कोल्हुवा	0.3331	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना, जिला सतना, (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत कंचनपुरा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र.-2249-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	लोदहाई	1.5038	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना, (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा की जैतवारा उप वितरिका एवं इटमा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 13 सितम्बर 2024

प्र. क्र. 0001-अ-82-2024-25-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		लगभग क्षेत्रफल		धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
		ग्राम	सर्वे नं.	रकबा (हे. में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
ग्वालियर	डबरा	बिलौआ	3344/3	0.2124	कार्यकारी	ग्वालियर जिले में	
			3352	0.3564	संचालक,	प्लास्टिक पार्क बिलौआ	
			3354/2	0.3150	मध्यप्रदेश उद्योग विकास निगम ग्वालियर.	के एप्रोच रोड हेतु भूमि अर्जन एवं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ग्राम बिलौआ की 0.8838 हे. भूमि के अर्जन के संबंध में.	
कुल . .				0.8838			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 सितम्बर 2024

क्र. 5695-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22ए-101-एम.पी.एस.-इकतीस-1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-ढीमरमेटा प.ह.नं.-19 बं.नं.-114 रा.नि.मं.- चांद	रकबा-0.850 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5699-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22ए-101-एम.पी.एस.-इकतीस-1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-झिलमिली प.ह.नं.-39 बं.नं.-110 रा.नि.मं.- चौरई.	रकबा-01.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.	पंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5700-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22ए-101-एम.पी.एस.-इकतीस-1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-चांद प.ह.नं.-24 बं.नं.-80 रा.नि.मं.- चांद.	रकबा-0.950 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन (शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024

क्र. 2056-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—धवरहरा
(घ) क्षेत्रफल—4.5860 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
73/1/2/1	0.0020
73/1/3	0.2730
73/2	0.1560
121/1/1/1/1	0.1560
121/1/1/1/3	0.1670
121/1/1/2/1	0.2000
120/1	0.4730
123/2	0.0620
123/3	0.0590
124/1	0.1340
124/2/1	0.1110
129/1/1	0.1400
130	0.1140
128/3	0.0120
131/1	0.0040
127/3	0.0300
157/1/4	0.0150
157/2	0.3800
156	0.0400
155	0.4480
154/1/1/1	0.0950
154/1/1/2	0.0030

(1)	(2)
154/1/2	0.1350
153/1/1/1	0.1160
153/1/2	0.0900
145/694/1/1	0.1570
145/694/1/2	0.0760
146/1	0.6450
146/4	0.0410
147	0.2520
योग . .	4.5860

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2057-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—कुड़िया
(घ) क्षेत्रफल—5.4870 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
490/1	0.0410
490/2	0.0220
625	0.0050
489	0.0680
628	0.1050
627/1	0.0400

(1)	(2)	(1)	(2)
627/2	0.0450	106/3	0.0360
626/1	0.0050	107/2	0.0020
626/2	0.0480	70/854/2	0.0120
570	0.0130	योग . .	5.4870
584/1	0.0600		
585/2	0.0070	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
586/1/1	0.0770		
586/1/2	0.4930	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
586/2	0.0020		
624	0.0970		
586/885/1/1	0.3290		
586/885/1/2	0.0020		
586/885/2	0.0080		
612	0.2620		
598/2	0.0610		
597/2	0.0440		
42	0.1700		
41	0.0560		
39/1	0.0350		
38	0.8120		
5/1	0.0350		
6/1	0.8120		
6/2	0.0350		
11	0.0480		
35/1	0.0200		
35/2	0.0400		
37	0.0680		
36/1	0.0390		
36/2	0.1060		
30/1	0.0300		
26/875/1	0.2200		
26/875/2	0.1070		
29/876	0.1570		
73	0.0120		
74	0.2880		
75	0.4050		
76	0.3720		
109	0.0230		
108/1	0.0260		
108/2	0.0460		
105/1	0.3000		
105/2	0.0840		
105/3	0.0440		
106/1	0.0100		
106/2	0.0500		

क्र. 2058-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—निपनिया

(घ) क्षेत्रफल—2.0110 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
83/1/1/1	0.1590
83/1/1/2	
83/1/2/1	
83/1/2/2	0.3620
83/23	
86/1/1/1	
86/1/1/2	0.2690
86/1/1/3	
86/1/2	0.0260
87/1/1	0.0130
87/1/2	
87/2	0.0160

(1)	(2)	(1)	(2)
88/1		9/2	0.1000
88/23/1	0.3940	9/3	0.0650
88/23/2		11	0.0780
101	0.0240	12	0.2590
102/1	0.1240	13	0.0220
98		29/1	0.1980
97	0.0560	29/2	0.0820
100		30	0.1920
156	0.1110	28/2	0.0100
155	0.2210	27/1/1/1/1	0.1300
96/1	0.1050	27/1/2/2	0.0950
96/2	0.1050	36/1	0.1500
157/1	0.0060	36/2	0.1060
157/2	0.0200	35/1/1/1	0.1100
योग	2.0110	35/1/1/2	0.1100
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.	35/1/1/3	0.1100
		35/1/2	0.0660
		35/1/3	0.0670
		35/2	0.4320
		योग	2.4070
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
		(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2059-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—भुमकहर
(घ) क्षेत्रफल—2.4070 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
10/3	0.0220
9/1	0.0030

क्र. 2061-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—बड़खेर
(घ) क्षेत्रफल—1.3920 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
51/1	0.1810	51/1/2	0.2800
51/2		8/1/1/1	0.0240
50	0.0960	8/1/4	0.3450
49	0.0780	8/1/5	0.0240
48/1/1	0.1350	8/3/1	0.7000
48/2/1		8/3/2	
48/2/2	0.0130	8/18/3/2	0.1700
47/4	0.0140	49/3	0.0400
59/2	0.2900	49/4/2	0.1150
60	0.0720	49/4/3	0.1400
61/2/2	0.0720	50/18/1/2	0.3800
63/2	0.0540	50/18/2/1	0.0930
64/1/2/1	0.1470	69/1/1/2	0.0490
65/2/1/1	0.2400	69/1/2/1	
65/2/1/2		69/1/2/2	69/1/3
योग	1.3920	68/1/1	0.2100
		68/2	0.0450
		67/1/1	0.0140
		67/1/2/2	0.0400
		67/1/2/3	0.0400
		67/1/2/4	0.0330
		67/1/3	0.1460
		67/2	0.1090
		78/1	0.0150
		78/2/2	0.0150
		79/1/1/2	0.1070
		79/1/3/2	0.0160
		79/23/2	0.0100
		79/23/3	0.2420
		79/23/4	0.1940
		79/23/5	0.0850
		80/1/2	0.0140
		76/23/1/1	0.4190
		76/23/1/2	0.1620
		82/1	0.0120
		75/1/1	0.1880
		74/3	0.1680
		योग	5.0750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2062-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—नारायणपुर
(घ) क्षेत्रफल—5.0750 हेक्टेयर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 27 सितम्बर 2024

क्र. 2241-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उंचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—पपरेगा
(घ) क्षेत्रफल—0.6620 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
614	0.0310
613	0.0230
611	0.0060
610	0.0070
632	0.0020
633	0.0030
639	0.0130
638	0.0110
640	0.0010
642	0.0130
643	0.0310
644	0.0010
681	0.0050
684/2	0.0310
683	0.0390
684/1/1	0.0060
684/1/2	0.0050
685/1	0.0140
685/2	0.0260
686/1	0.0050
686/2	0.0110
688/1	0.0100
687/1	0.0090
678/2	0.0190
706/1	0.0420

(1)	(2)
706/2	0.2980
योग	0.6620

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगां वितरिका की कुलपुरा सब माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2240-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उंचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—सोनवर्षा
(घ) क्षेत्रफल—2.3360 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
85/1	0.2650
84/2	
84/3	
84/4	0.0840
84/5	
87/1	0.1250
87/2	
88	0.0120
89/1	0.0150
89/2	
93/1	
93/2	
93/3	0.0100
93/4	
93/5	

(1)	(2)	(1)	(2)
94/1		76/1	
94/2	0.1300	76/2	0.0500
94/3		76/3	
94/4		76/4	
95/1		136/1/1	0.0620
95/2		136/1/2	0.0620
95/3	0.0200	136/2/1/2	0.0020
95/4		66/2	0.0150
118/1	0.0600	योग	2.3360
118/2			
119/1/2/1		(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.
119/1/2/2			
119/2/1	0.4240	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
119/2/2			
52/1	0.1300		
52/2			
57/1			
57/2			
57/3/2			
57/3/3	0.0450		
57/4/1			
57/4/2			
56	0.1650		
54/4/1	0.0460		
54/4/3			
73/1			
73/2/1	0.1600		
73/3			
75/1/1			
75/1/2			
75/1/3			
75/2/1	0.2400		
75/2/2			
75/2/3			
75/3			
81/1			
81/2/1			
81/2/2	0.1100		
81/2/3			
81/3			
91	0.0800		
92/1/1			
92/1/2			
92/2	0.0200		
92/3/1			
92/3/2			
58	0.0040		

क्र. 2239-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उंचेहरा

(ग) नगर/ग्राम—पिपरीकला

(घ) क्षेत्रफल—0.8170 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2044/1	0.0120
2045/1	0.0950
2012/1	0.1020
2012/2/2	0.1030
2011/2/2	0.0140
2010/1	0.1690
2009/1	0.0070
2007/2	0.0100
2028/2	0.0290
2028/4	0.0060

(1)	(2)	(1)	(2)
2027/2	0.0020	15	0.0230
2019/1/2	0.0800	60/1	0.1450
2019/4	0.0850	61/1	0.3450
2019/5	0.0850	62	0.0120
2008/1	0.0180	88/1/1	0.5230
योग . .	0.8170	88/2/1	
		87/3	0.0180
		87/2	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.		124/1	0.0450
		124/2	
		125/1/1	0.0240
		125/2/2	
		126	0.0110
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.		127	0.1400
		128	0.0300
		85	0.0150
		25	0.0080
		129	0.0470
		26	0.1050
		43/1	0.0250
		14/2	0.0500
		योग . .	2.4410

क्र. 2237-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उंचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—घोंटी
(घ) क्षेत्रफल—2.441 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
28/1/1	0.1050
28/1/2	
27/1	0.0700
41/2/1	0.2150
41/2/2	
42/2/2	0.0200
18/1/1/1	
18/1/1/2	0.3300
18/1/2	
18/1/3	
17/4/2	0.0150
16	0.1200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2236-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उंचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—देवार
(घ) क्षेत्रफल—1.7050 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	(2)
(1)	(2)	
2/1/1	0.0520	
2/2/1	0.0370	
2/3/1	0.0330	
2/4/1	0.0430	
3/1/1/1	0.0620	
3/1/1/2	0.0630	
7/1	0.1030	
18	0.0020	
17/1	0.0060	
17/2	0.0080	
10/1	0.0300	
9	0.0610	
16/1	0.1000	
84	0.0300	
83	0.0010	
81		
80		
79	0.3100	
78		
77/1		
77/2		
107	0.0310	
106	0.0940	
105	0.0060	
108/1	0.0090	
108/2	0.0060	
109/1	0.0460	
109/2	0.0210	
110/1	0.0600	
110/2	0.0320	
111/1	0.0340	
111/2	0.0340	
111/3	0.0340	
117	0.1940	
123/1		
123/2		
123/3	0.0940	
123/4		
122/1		
122/2	0.0070	
122/3		
124/1		
124/2	0.0290	
124/3		
125	0.0270	
87/1/2	0.0060	
योग	1.7050	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2063-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—मझियार

(घ) क्षेत्रफल—1.7580 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
22/1/2/1	0.0190
23/1/1	0.2330
23/1/2/1/1	0.0720
23/1/2/1/2	0.2700
23/1/2/2	0.2600
24/1/1	0.0220
25	0.5430
26	0.0190
29/3	0.1570
29/4	0.1570
28	0.0060
योग	1.7580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2024

अनुसूची

क्र. 2083-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम—दुदुवार
(घ) क्षेत्रफल—0.8930 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/3	0.2090
3/1	0.0520
3/2	0.0520
3/4	0.1030
4	0.1120
5	0.0790
6	0.1380
23/204/2/2/1	0.0370
23/204/2/2/2	0.0370
23/204/2/2/3	0.0370
23/204/2/2/4	0.0370
योग	0.8930

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2084-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(1) भूमि का वर्णन :—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम—नयागांव
(घ) क्षेत्रफल—15.0751 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
787	0.0360
784/1	0.2500
784/2	0.0120
780	0.0030
781/1/2	0.1010
781/2	0.1300
781/3	0.1310
782/3	0.0280
698/1	0.4750
698/3	0.1250
698/4	0.1300
699	0.0510
751/1	0.0020
749/1/1	0.0290
748/1	0.2010
703	0.0070
706	0.3600
718/1/1/1	0.0250
718/1/1/2	0.0250
707	0.1300
717/2	0.2350
722	0.0650
723/1/1	0.0320
723/1/2	0.0330
723/2	0.0410
716/1/1	0.0530
716/1/2	0.0530
716/2/1	0.0530
716/2/2	0.0550
714	0.1660
724	0.1380
725	0.0650
731/1	0.0610
731	0.1800
731/2	0.1800
730	0.4860
495	0.4620

(1)	(2)	(1)	(2)
502/1/1		71/1/3	0.0220
502/1/2		72	0.1090
502/2		81	0.0450
503	0.5210	82/1/1/1	
504		82/1/1/2	0.3750
505/1		82/1/2/1	
505/2		82/1/2/2	
509/2	0.1450	1144/1	0.0130
508/2	0.0310	1145	0.1170
315/1	0.0620	1147	0.0680
314	0.0870	1149/1	0.1100
313	0.0001	1152/1	0.2300
288	0.0850	1152/2/1	
286/2	0.1350	1152/2/2	0.2100
328/1	0.0850	1152/2/3	
328/4	0.1360	1157/1	0.1030
328/8	0.1480	1157/2	0.0210
329	0.1650	1156	0.0300
182/2	0.1550	1154/1	0.0650
181/2	0.1850	1155	0.0320
181/3	0.0100	1158/2	0.0080
180/3	0.2180	1159/1/3	0.1310
176	0.1030	1159/2/1	0.2180
175/2	0.0740	1161/1/1	0.0080
175/3	0.0740	1161/1/2	0.0930
125	0.3100	1161/2/1	0.0290
53/1	0.0600	1161/2/2	0.0320
53/2	0.0590	1162	0.0100
54/1	0.0270	1163/1	0.0060
54/2/1	0.0270	1175/1	0.0800
55/1		1175/2	0.0800
55/2	0.2250	1173/1	0.1660
56/1/1/1		1174/2	0.0020
56/1/1/2	0.1630	1167/1/1/1	
56/1/2/1		1167/1/1/2	0.3440
56/1/2/2		1167/1/2	
56/2	0.1610	1167/2	0.1460
80/2	0.0190	1168	0.0300
80/3	0.0190	1318/1	0.3300
79/1		1314/1	0.2160
79/2	0.1230	1314/2/2	0.2740
77/1	0.0650	1313/2	0.0890
77/2	0.0650	1313/4/1	0.1000
76	0.2220	1320/1	0.1980
71/1/2	0.0120		

(1)	(2)	क्र. 2085-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—																															
1320/2	0.0650	<p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन :—(म. प्र. शासन/निजी खाता)</p> <p>(क) जिला—सतना</p> <p>(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान</p> <p>(ग) नगर/ग्राम—सहिजना</p> <p>(घ) क्षेत्रफल—0.5800 हेक्टेयर.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>खसरा नं.</th> <th>अर्जित रकबा (हे. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>78/1</td> <td>0.042</td> </tr> <tr> <td>78/2</td> <td>0.043</td> </tr> <tr> <td>77</td> <td>0.017</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>0.163</td> </tr> <tr> <td>39/1/1</td> <td>0.002</td> </tr> <tr> <td>75/1/1</td> <td>0.050</td> </tr> <tr> <td>75/1/2</td> <td>0.023</td> </tr> <tr> <td>75/2</td> <td>0.045</td> </tr> <tr> <td>75/3</td> <td>0.030</td> </tr> <tr> <td>40/1</td> <td>0.041</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>0.110</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>0.014</td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td>0.5800</td> </tr> </tbody> </table>		खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	(1)	(2)	78/1	0.042	78/2	0.043	77	0.017	76	0.163	39/1/1	0.002	75/1/1	0.050	75/1/2	0.023	75/2	0.045	75/3	0.030	40/1	0.041	44	0.110	43	0.014	योग	0.5800
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)																																
(1)	(2)																																
78/1	0.042																																
78/2	0.043																																
77	0.017																																
76	0.163																																
39/1/1	0.002																																
75/1/1	0.050																																
75/1/2	0.023																																
75/2	0.045																																
75/3	0.030																																
40/1	0.041																																
44	0.110																																
43	0.014																																
योग	0.5800																																
1321/2	0.0080																																
1334/2	0.0630																																
1331/1/1	0.0450																																
1333	0.1720																																
1337/1/1	0.1110																																
1337/1/2	0.1370																																
1326	0.0100																																
1329	0.1330																																
1328	0.1180																																
1330/1	0.1580																																
1330/2	0.0540																																
1335	0.0080																																
1327	0.0060																																
1056	0.1260																																
1057/1	0.8300																																
1057/2																																	
1055	0.0120																																
790/1/1	0.1110																																
790/4/1	0.0470																																
791/3/1	0.0740																																
791/3/2	0.0250																																
791/4	0.0270																																
791/5/1	0.0400																																
791/5/3	0.0210																																
792/4	0.1290																																
योग	15.0751																																
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.																														
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.																														

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 19 सितम्बर 2024

क्र.-773-भू-अर्जन-2024.-चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण -

(क) जिला	:	सीधी
(ख) तहसील	:	गोपद बनास
(ग) ग्राम	:	कोतरकला
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:	सीधीगिर्द
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:	रकबा 0.9060 हेक्टेयर

क्र.	खसरा नम्बर	का रकबा हे. में.	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	6/1/1/1/1	0.0500	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता बंशपति प्रसाद गुप्ता
2.	6/1/2/1	0.1000	सुरेश प्रसाद गुप्ता बंशगोपाल गुप्ता
3.	6/1/2/2	0.0160	राकेश शुक्ला पिता अरूण कुमार शुक्ला
4.	6/2	0.2140	राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश प्रसाद, नागेन्द्र प्रसाद पिता बंशपति प्रसाद गुप्ता
5.	88	0.0390	राजीव लोचन छावा उर्फ नवल किशोर, मंगलेश्वर, भोला पिता सुखनंदन मु रनिया बेवा सुखनंदन हिस्सा 8/9 राजीव लोचन छावा उर्फ नवल किशोर, मंगलेश्वर, भोला पिता सुखनंदन हिस्सा 1/9.
6.	89/1	0.0200	सावित्री गुप्ता बेवा बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4, प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हि. 1/12, आयांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, प्रियांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, राजेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4, दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4.
7.	89/2	0.0200	नवल किशोर पिता सुखनंदन वानी
8.	90/1	0.0400	जानकी बेवा माधव प्रसाद, गीता पुत्री माधव प्रसाद, सरोज पुत्री माधव प्रसाद, सविता पुत्री माधव प्रसाद, सुमन पुत्री माधव प्रसाद, बाबूलाल पिता नर्वदा, माहुरी बेवा नर्वदा, विंध्यवासिनी पिता जमुना गुप्ता, रामगोपाल पिता जमुना, डोलमणि बेवा रामकृपाल गुप्ता, अग्रनाथ पिता रामकृपाल गुप्ता, देवी प्रसाद पिता रामकृपाल गुप्ता,

(1)	(2)	(3)	(4)
			संतोष पिता रामकृपाल गुप्ता, सुनील पिता रामकृपाल गुप्ता, कैलसुआ बेवा हरीदास गुप्ता, बडकू पिता हरीदास गुप्ता, जयपति पिता हरीदास गुप्ता, उषा बेवा राजबहोरन गुप्ता, पंकज पिता राजबहोरन गुप्ता, अंकित पिता राजबहोरन गुप्ता, पूजा गुप्ता पुत्री राजबहोरन गुप्ता, शांती गुप्ता बेवा बंशगोपाल गुप्ता, सुरेश प्रसाद पिता बंशगोपाल गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, श्यामकली पुत्री माधव प्रसाद गुप्ता.
9.	70/1	0.0240	शांती बेवा बंशगोपाल, सुरेन्द्र प्रसाद, अनिल, सुरेश, राजकुमार पिता बंशगोपाल गुप्ता, जानकी बेवा माधव प्रसाद, बाबूलाल पिता नर्वदा प्रसाद, मुहरी बेवा नर्वदा प्रसाद, बडकूल पिता हरीदास, कैलसुआ बेवा हरीदास, जयपति पिता हरीदास, उषा बेवा राजबहोरन, पंकज पिता राजबहोरन, अंकित पिता राजबहोरन, पूजा पुत्री राजबहोरन, रामगोपाल पिता जमुना, राजेश्वर पिता लालबिहारी, विंध्यवासिनी पिता जुमुना प्रसाद, डोलमणि बेवा रामकृपाल, अग्रनाथ पिता रामकृपाल, देवी पिता रामकृपाल, संतोष पिता रामकृपाल, सुनील पिता रामकृपाल.
10.	70/2	0.0230	जयपति प्रसाद पिता हरीदास गुप्ता
11.	70/3	0.0230	उषा गुप्ता पत्नी राजबहोरन गुप्ता, पंकज गुप्ता पिता राजबहोरन गुप्ता, अंकित पिता राजबहोरन गुप्ता, पूजा पिता राजबहोरन गुप्ता.
12.	71	0.0680	राजीव लोचन पिता सुखनंदन, नवल किशोर पिता सुखनंदन, मंगलेश्वर पिता सुखनंदन, भोला पिता सुखनंदन.
13.	78/1	0.0420	सावित्री गुप्ता बेवा बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4, प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हि. 1/12, आयांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, प्रियांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, राजेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4, दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4.
14.	78/2/1	0.0420	मंगलेश्वर पिता सुखनंदन वानी
15.	78/2/2	0.0420	भोला प्रसाद पिता सुखनंदन वानी
16.	91/2/1	0.0200	नारायण पिता ईश्वरजीत
17.	19/4	0.0050	संतोषकुमार गुप्ता पिता रामस्वयंवर गुप्ता
18.	9/1/2/8	0.0090	मुन्नालाल तिवारी पिता पारसनाथ तिवारी

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	16/1	0.0040	शारदा गुप्ता, विनोद गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, तीरथ गुप्ता पिता राजेश्वरी गुप्ता, कुसुमकली गुप्ता पत्नी राजेश्वरी गुप्ता.
20.	16/2	0.0040	भोला प्रसाद, दिनेश प्रसाद, रघुवंश प्रसाद, गुड्डू प्रसाद, रघुराज प्रसाद पिता शेषमणि.
21.	16/3/1	0.0030	सुभउआ बेवा कौशल प्रसाद
22.	16/3/2	0.0040	दिवाकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद
23.	16/3/3	0.0030	गुलाब प्रसाद पिता कौशल प्रसाद
24.	16/3/4	0.0030	शंकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद
25.	69	0.0700	बावी बेवा विष्णु प्रताप, प्रभात, वीरेन्द्र पिता विष्णु गुप्ता, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सुरेश प्रसाद गुप्ता, मोरध्वज गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, रामवती गुप्ता, सुधांशु कुमार गुप्ता माता गोपी गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता, कुसुमकली, हेमराज, श्यामवती, माता छोटवा देवी, गोमती देवी पिता अनंदे.
26.	79	0.0180	मु. जानकी देवी बेवा माधव प्रसाद, बाबूलाल पिता नर्वदा प्रसाद, मु. मुहरी बेवा नर्वदा प्रसाद, मु. कैलसुआ बेवा हरीदास वानी, बडकू जयपति पिता हरीदास, मु. उषा बेवा राजबहोरन, पंकज, अंकित, पूजा पिता राजबहोरन, राजेश्वर सिंह पिता लालबिहारी सिंह, विंध्यवासिनी प्रसाद पिता जमुना प्रसाद, मु. डोल मणि बेवा रामकृपाल, अग्रनाथ, देवी प्रसाद, संतोष, सुनील पिता रामकृपाल.

निजी पट्टे की भूमि
का कुल योग :-

0.9060

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-744-भू-अर्जन-2024

सीधी, दिनांक 9 सितम्बर 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (7) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पूर्णवास और पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह यह अर्जन बहुती नहर निर्माण कार्य हेतु और अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

--: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	-	सरदा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	पटना
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 0.958 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	पूर्व में अर्जित रकवा हे० में	वर्तमान अर्जित रकवा हे० में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	364/2	1.210	0.265	0.945	कार्यपालन यंत्री बाण सागर पक्का बांध संभाग क्रं.03	बहुती नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि
2	363	0.020	0.007	0.013	देवलौद जिला-शहडोल (म.प्र.)	
कुल रकवा		1.230	0.272	0.958		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र.-28-अ.-82-2023-24

कटनी, दिनांक 18 सितम्बर 2024

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम
2013 की धारा 19 के अंतर्गत)

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी	
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ़	
ग.	ग्राम	:	मझगवां	प.ह. न. 11
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	3.800 हेक्टेयर	

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)
1	41/1	0.060
2	41/2	
3	43/1	0.020
4	43/2	
5	43/3	
6	43/4	
7	43/5	
8	44	0.030
9	46/1/1	0.080
10	46/1/2	
11	46/2	
12	46/5	
13	46/3	
14	46/6/1	
15	46/4	
16	46/6/2	
17	46/7	
18	52	0.060
19	53/1	0.070
20	53/2	
21	54/1	0.110
22	54/2	

23	57	0.180
24	58	0.040
25	121	0.010
26	123	0.010
27	231	0.020
28	232	0.150
29	245	0.050
30	233	0.060
31	235	0.100
32	236/1	0.120
33	236/2	
34	238	0.050
35	241	0.020
36	242	0.070
37	244	0.070
38	246/1	0.020
39	246/2	
40	246/3	
41	259/1	0.040
42	259/2	
43	260/1/1/1	0.190
44	260/1/1/2	
45	260/1/2	
46	260/1/3	
47	260/2	
48	260/3/1	
49	260/3/2	
50	260/4	
51	260/5	
52	260/6	
53	260/7	
54	260/8	
55	260/9	
56	260/10	
57	261	0.140
58	262	0.030
59	289	0.190
60	290	0.030
61	291/1	0.230
62	291/2	

63	299/1	0.220
64	299/2	
65	299/3	
66	299/7	
67	299/4	
68	299/5	
69	299/6	
70	299/8	
71	299/9	
72	302/1	0.180
73	302/2	
74	302/3	
75	303/1	0.080
76	303/2	
77	303/3	
78	409/3	0.150
79	409/18	0.130
80	410	0.060
81	411/1	0.080
82	411/2	
83	411/3	
84	412	0.120
85	413	0.130
86	414	0.030
87	415	0.060
88	424/1	0.310
89	424/2	
90	424/3	
91	424/4	
कुल योग रकवा -		3.800 हेक्ट.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्युटरी व रमना माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र.-30-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ़
ग.	ग्राम	:	कारितलाई
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	<u>8.414 हेक्टेयर</u>

प.ह. न. 45

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)
1	53	0.090	91	693	0.070
2	54	0.070	92	694/2	0.020
3	56/2	0.030	93	696/1	0.050
4	56/3	0.010	94	698/2	0.040
5	56/5	0.090	95	698/3	0.110
6	59	0.020	96	699	0.020
7	60	0.210	97	700	0.060
8	70	0.160	98	701	0.050
9	71	0.360	99	702	0.030
10	96	0.010	100	706	0.030
11	97/1	0.140	101	704	0.040
12	97/2		102	705	0.030
13	97/3		103	708	0.080
14	98/1	0.160	104	712	0.220
15	98/2		105	713	0.110
16	98/3		106	1507	0.080
17	102	0.060	107	1508/1	0.030
18	103	0.030	108	1508/2	
19	104	0.040	109	1510	0.150

20	106/1	0.040		110	1520	0.040
21	106/2			111	1521	0.090
22	106/3			112	1522	0.080
23	107	113		1535	0.050	
24	108	114		1536	0.110	
25	267/1	115		1537	0.140	
26	268/1	0.250		116	1538/1	0.110
27	268/2			117	1538/2	
28	268/3			118	1538/3	
29	268/4/1			119	1539	0.050
30	268/4/2			120	1548	0.060
31	268/5			121	1588	0.020
32	268/6			122	1589/1	0.030
33	268/7			123	1589/2	
34	268/8			124	1600	0.020
35	268/9			125	1601	0.140
36	268/10			126	1604/1	0.070
37	268/11			127	1604/2	
38	268/12			128	1605	0.150
39	268/13			129	1606	0.110
40	268/14	130		1607/1	0.120	
41	269	131		1607/2		
42	273/1	132		1607/3		
43	273/3	133		1607/4		
44	273/4	134		1646	0.170	
45	274/1	135		1655	0.080	
46	274/2	136		1656	0.120	
47	275/1	137		1659	0.190	
48	275/2	138		1661/1	0.170	
49	276/1	139		1661/2		
50	276/2	140		1661/3		
51	359/1	141		1661/4		
52	359/2	142		1661/5		
53	360/1	143		1661/6		
54	360/2	144		1661/7		
55	360/3	145		1661/8		
56	360/4	146		1661/9		
57	360/5	147		1663/1	0.100	
58	360/6	148		1663/2		
59	360/7	149		1663/3		
60	360/8	150		1664/1	0.100	
61	360/9	151		1664/2		

62	366/1	0.150	152	1669	0.130	
63	366/2		153	1672	0.080	
64	367	0.010	154	1673/1	0.120	
65	368/1	0.060	155	1673/2		
66	368/2	0.010	156	1673/3		
67	370/1	0.070	157	1673/4	0.080	
68	370/2	0.130	158	1674/1		
69	676	0.170	159	1674/2	0.090	
70	681/1	0.030	160	1675/1		
71	681/2		161	1675/2		
72	682/1	0.030	162	1683/1	0.110	
73	682/2		163	1683/2		
74	683	0.160	164	1684	0.070	
75	684/1	0.220	165	1688/1	0.050	
76	684/2		166	1688/2/1		
77	684/3		167	1688/2/2		
78	684/4		168	1690/1	0.110	
79	684/5		169	1690/2		
80	684/6		170	1690/4		
81	684/7		171	1690/3	0.100	
82	684/8		172	1725		
83	684/9		173	1726/1	0.210	
84	684/10		174	1726/2		
85	684/11		175	1726/3		
86	684/12					
87	684/13					
88	684/14					
89	684/15					
90	684/16					
				कुल योग रकवा-	8.414 हेक्ट.	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की कारीतलाई माइनर, बम्होरी माइनर, भदई माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र.-31-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत)

4

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी	
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ	
ग.	ग्राम	:	कारीतलाई	प.ह. न. 45
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	3.750 हेक्टेयर	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)
1	11	0.020	17	26	0.090
2	12/1	0.200	18	27/1/1	0.030
3	12/2	0.080	19	27/1/2	
4	12/4	0.060	20	45/1	0.070
5	12/5	0.140	21	45/2	
6	15/1	0.020	22	46	0.310
7	15/2	0.140	23	47	0.020
8	15/3	0.190	24	56/1	0.140
9	19	0.020	25	56/2	0.010
10	20/1/1	0.240	26	56/3	0.260
11	20/1/2		27	56/5	0.130
12	20/2	0.240	28	56/6	0.220
13	21	0.190	29	79/1	0.010
14	22	0.030	30	79/2	0.110
15	23	0.040	31	81/1	0.520
16	24	0.100	32	81/2	0.120
कुल योग रकवा-					3.750

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष मे किया जावेगा।

प्र.क्र.-33-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत)

प्रकरण क्र० 33 /अ-82/23-24

कटनी, दिनांक 18/9/2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
ख. तहसील : विजयराघवगढ़
ग. ग्राम : रजरवारा
घ. अर्जित क्षेत्रफल : 2.720 हेक्टेयर

प.ह. न. 2

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)
1	353	0.140	42	548	0.070
2	362	0.040	43	604	0.040
3	363/1	0.020	44	606	0.020
4	363/2		45	605/1	0.060
5	364	0.050	46	605/2	0.020
6	365	0.010	47	665	0.020
7	379	0.010	48	666/1	0.060
8	380	0.010	49	666/2	
9	393/1	0.010	50	668/1	0.120
10	393/2		51	668/2	
11	393/3		52	672	0.010
12	395	0.010	53	673	0.060
13	396	0.010	54	677	0.060
14	404	0.050	55	678	0.040
15	405	0.020	56	679	0.100
16	406	0.030	57	680	0.010
17	408	0.020	58	681	0.060
18	410	0.050	59	734/1/1	0.350
19	413	0.010	60	734/1/2	
20	414	0.010	61	734/2	
21	417	0.010	62	734/3	

22	422	0.010		63	755	0.050
23	427	0.010		64	757	0.030
24	428	0.010		65	758/1	0.030
25	429	0.010		66	758/2	
26	430	0.010		67	758/3	
27	432	0.020		68	758/4	
28	433	0.020		69	759	0.150
29	434	0.030		70	762	0.020
30	435	0.010		71	776	0.110
31	437	0.020		72	777/1	0.170
32	455/1	0.060		73	777/2	
33	455/2			74	777/3	
34	458/1	0.120		75	791/1	0.050
35	458/3			76	791/2	
36	543	0.050		77	792/1	0.020
37	544	0.020		78	792/2	
38	546	0.020		कुल योग रकवा :-		2.720 हेक्ट.
39	547/1	0.080				
40	547/2					
41	547/3					

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की रजरवारा माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र.-35-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत)

प्रकरण क्र० 35 /अ-82/23-24

कटनी, दिनांक 18/10/2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी	
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ़	
ग.	ग्राम	:	बडारी	प.ह. न. 10
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	1.950 हेक्टेयर	

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)	स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)		
1	257	0.060	20	405/1	0.040		
2	318/1	0.130	21	405/2			
3	318/2		0.140	22	407/1	0.140	
4	385	0.070		23	407/2		
5	386		0.120	24	445/1	0.230	
6	387/1	0.190		25	445/2/1		
7	387/2			0.170	26		445/2/2
8	387/3				0.030		27
9	387/4	0.330	28	446/1		0.110	
10	388/1		0.020	29	446/2		
11	388/2	0.170		30	447/1	1.950 हेक्ट.	
12	388/3		कुल योग रकवा -	31	447/2		
13	388/4			32	450/1		
14	402	0.110	33	450/4			
15	403		34	450/2			
16	404/1/1		35	450/3			
17	404/1/2						
18	404/1/3						
19	404/2						

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की झिरिया माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवाई का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र.-36-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत)

प्रकरण क्र० 36 /अ-82/23-24

कटनी, दिनांक 18/09/2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
ख. तहसील : विजयराघवगढ़
ग. ग्राम : झिरिया
घ. अर्जित क्षेत्रफल : 6.444 हेक्टेयर

प.ह. न. 29

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)	स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)
1	75	0.120	82	527	0.130
2	81/1	0.120	83	528	0.060
3	81/2		84	529	0.020
4	83/1	0.180	85	562	0.060
5	83/2		86	563	0.250
6	83/3		87	564	0.180
7	84	0.130	88	565/1	0.080
8	85	0.080	89	565/2	
9	101/1/1	0.010	90	565/3	
10	101/1/2		91	565/4	
11	101/2		92	565/5	
12	104	0.130	93	565/6	0.240
13	106	0.020	94	566	
14	108/1	0.210	95	585/1	0.310
15	108/2		96	585/2	
16	109	0.080	97	585/3	
17	303	0.100	98	649/1	0.080
18	304	0.020	99	649/2	
19	306	0.010	100	649/3	
20	307	0.070	101	649/4	

21	308/1	0.010	102	650	0.060
22	308/2		103	662	0.050
23	308/3		104	664/1	0.100
24	196/1	105	664/2		
25	196/2	0.270	106	665/1	0.140
26	200/1		107	665/2	
27	200/2	0.140	108	666	0.110
28	201/1		109	667/1	
29	201/2	0.040	110	667/2	0.030
30	221		111	667/3	
31	224/1	0.080	112	667/4	
32	224/2		113	667/5	
33	225	0.004	114	667/6	
34	237	0.010	115	632/1	
35	238	0.040	116	632/2	
36	239	0.040	117	632/3	
37	243/1	0.080	118	633	0.100
38	243/2		119	637	0.060
39	246	0.040	120	638	0.040
40	439/1	0.030	121	642	0.090
41	439/2		122	643	0.050
42	439/3		123	644	0.010
43	440	0.050	124	645/1	0.040
44	441/1	0.030	125	645/2	
45	441/2		126	647	0.030
46	443/7	0.040	127	646	0.080
47	443/1		128	665/1	0.020
48	443/3		129	665/2	
49	443/2		0.110	130	667/1
50	443/4			131	667/2
51	443/5			132	667/3
52	443/6	133		667/4	
53	442/1	0.030	134	667/5	
54	442/2		135	667/6	
55	445	0.030	136	748/1	0.160
56	446/1	0.140	137	748/2	
57	446/2		138	748/3	
58	447/1	0.150	139	749	0.040
59	447/2		140	773/1	0.320
60	447/3		141	773/2	
61	447/4		142	773/4	
62	447/5		143	773/3	

63	453	0.080		144	774/1	0.170	
64	454	0.030		145	774/2		
65	515/1	0.050		146	774/3		
66	515/2/1			147	774/4		
67	515/2/2			148	774/5		
68	515/3/1			149	776/1	0.050	
69	515/3/2			150	776/2		
70	515/4	151		776/3			
71	517/1	0.120		152	776/4		
72	517/2			153	776/5		
73	517/3			154	776/6		
74	517/4			155	776/7/1		
75	517/5			156	776/7/2		
76	517/6			157	776/8		
77	517/7			158	776/9		
78	521	0.060		159	776/10		
79	522	0.020		160	776/11		
80	525	0.030		161	776/12		
81	526	0.020		162	778	0.080	
कुल योग रकवा -					6.444 हेक्ट.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्यूटरी, झिरिया माइनर, रमना माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र.-39-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी	
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ	
ग.	ग्राम	:	अमेहटा	प.ह. न. 4-9
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	2.050 हेक्टेयर	

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0मे0)	स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0मे0)
1	371	0.080	21	368	0.110
2	417	0.050	22	370/1	0.120
3	423	0.030	23	370/2	
4	421/1	0.070	24	371	0.140
5	421/2		25	373	0.100
6	421/3		26	374	0.080
7	422	0.060	27	375	0.020
8	424	0.050	28	419	0.080
9	425/1	0.110	29	431	0.060
10	425/2		30	432/1	0.030
11	425/3		31	432/2	
12	425/4		32	434/1	0.090
13	427	0.050	33	434/2	
14	428	0.110	34	435	0.040
15	429/1	0.030	35	452/2	0.240
16	429/2		36	458/1	0.270
17	429/3		37	458/2	
18	429/4		38	458/3	
19	429/5		39	458/4	
20	367	0.030	कुल योग रकवा -		2.050 हेक्ट.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्यूटरी व नन्हवाराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र.-42-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी	
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ़	
ग.	ग्राम	:	बम्होरी	प.ह. न. 46
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	2.210 हेक्टेयर	

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०)	स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०)
1	14	0.070	21	181/2	0.080
2	16/1	0.150	22	182/1	0.030
3	16/2	0.060	23	182/2	0.030
4	23/1	0.260	24	186	0.060
5	23/2		25	187	0.060
6	23/3		26	335	0.040
7	23/4		27	336/1	0.010
8	24/2	0.030	28	336/2	0.010
9	51	0.020	29	352/2	0.080
10	52	0.040	30	360	0.060
11	55	0.020	31	361	0.120
12	56	0.040	32	368/1	0.110
13	57	0.110	33	368/2	
14	58/1/1	0.110	34	369	0.110
15	58/1/2		35	372	0.020
16	59/1/1	0.060	36	373	0.020
17	59/1/2		37	374	0.020
18	146	0.060	38	375/1	0.100
19	147	0.080	39	376	0.040
20	177	0.100	कुल योग रकवा-		2.210 हेक्ट.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की बम्होरी माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र.-43-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत)

प्रकरण क्र० 43 /अ-82/23-24

कटनी, दिनांक 18/09/2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1-

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी	
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ	
ग.	ग्राम	:	परसवारा	प.ह. न. 44
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	3.238 हेक्टेयर	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)
1	81	0.100	49	194/1	0.050
2	82	0.030	50	194/2	
3	83	0.040	51	194/3	
4	84/1	0.100	52	194/4	
5	84/2		53	194/5	
6	84/3		54	195	0.080
7	84/4	0.030	55	196	0.070
8	92/1		56	197/1	0.130
9	92/2	57	197/2		
10	93	0.030	58	560	0.004
11	94/1	0.100	59	561	0.090
12	94/2		60	562	0.060
13	94/3		61	563/1	0.030
14	99	0.010	62	563/2	
15	100	0.130	63	563/3	

16	101	0.240		64	564	0.040
17	102/1	0.010		65	580	0.060
18	102/2			66	581	0.010
19	105/1	0.050		67	582	0.050
20	105/2			68	603	0.040
21	105/3			69	609	0.060
22	105/4/1			70	594	0.020
23	105/4/2			71	595	0.110
24	105/5			72	596/1	0.010
25	114		0.080	73	596/2	
26	115/1	0.110		74	601/1	0.120
27	115/2			75	601/2	
28	115/3			76	602	0.020
29	116/1	0.170		77	604	0.010
30	116/2			78	607	0.040
31	116/3			79	610	0.010
32	120	0.070		80	608	0.010
33	122	0.090		81	612/1	0.110
34	123	0.060		82	612/2	
35	141/1	0.020		83	612/3	
36	141/2			84	612/4	
37	155	0.030		85	612/5	
38	161/1	0.060		86	613	0.030
39	161/2			87	614	0.020
40	163/1	0.050		88	615	0.010
41	163/2			89	617	0.060
42	164/1	0.080		90	618	0.090
43	164/2			91	619	0.040
44	164/3			92	620	0.010
45	168	0.004		93	633	0.020
46	170/1	0.030		कुल योग रकवा-		3.238 हेक्ट.
47	170/2					
48	170/3					

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की परसवारा माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवाई का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र.-27-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत)

प्रकरण क्र० २७ /अ-82/23-24

कटनी, दिनांक 18/10/2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क. जिला : कटनी
ख. तहसील : विजयराघवगढ
ग. ग्राम : चरी प.ह. न. 44
घ. अर्जित क्षेत्रफल : 0.680 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)	स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)
1	773/1	0.100	7	779	0.070
2	773/2		8	780/1	0.070
3	773/3		9	780/2	
4	774/1	10	780/3		
5	774/2	0.150	11	781	0.020
6	776	0.060	12	782	0.210
कुल योग रकवा-					0.680 हेक्ट.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की कारीतलाई माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र.-32-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत)

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

क.	जिला	:	कटनी
ख.	तहसील	:	विजयराघवगढ
ग.	ग्राम	:	अमुवारी
घ.	अर्जित क्षेत्रफल	:	<u>1.956 हेक्टेयर</u>

प.ह. न. 1

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)	स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०मे०)
1	18/1	0.060	13	117	0.100
2	18/2	0.040	14	118/1	0.050
3	19/1	0.220	15	118/3	0.050
4	19/2	0.030	16	119	0.136
5	31	0.100	17	120/1	0.110
6	37	0.020	18	121	0.110
7	38	0.110	19	64	0.030
8	54	0.190	20	65	0.130
9	55	0.090	21	66	0.060
10	57	0.110	22	68	0.060
11	58/1	0.150	कुल योग रकवा-		<u>1.956 हेक्ट.</u>
12	58/2				

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्यूटरी व नन्हवाराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकलन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

प्र.क्र.-45-अ.-82-2023-24

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 मे उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा-11 उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पुरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

- 1- भूमि का वर्णन :-
- | | | |
|---------------------|---|-------------------|
| क. जिला | : | कटनी |
| ख. तहसील | : | कटनी नगर |
| ग. ग्राम | : | जोबीकला प.ह. न. 6 |
| घ. अर्जित क्षेत्रफल | : | 0.300 हेक्टेयर |

भूमि का विवरण			
स.क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे०मे०)	अर्जित रकवा (हे०मे०)
1	858/3/2	0.500	0.240
2	1007	0.650	0.060
कुलयोग:-		1.150	0.300

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्र.1 कटनी (म०प्र०)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की जोबीकला सबमाइनर न.1 नहर निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-46-अ.-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा-11 उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पुरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

- 1- भूमि का वर्णन :-
 क. जिला : कटनी
 ख. तहसील : कटनी नगर
 ग. ग्राम : पठरा प.ह. न. 34
 घ. अर्जित क्षेत्रफल : 0.290 हेक्टेयर

भूमि का विवरण			
स.क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे०मे०)	अर्जित रकवा (हे०मे०)
1	383/2	0.090	0.090
2	383/3	0.060	0.060
3	383/4	0.020	0.020
4	389/1	0.020	0.020
5	389/3	0.120	0.100
कुलयोग:-		5	0.290

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्र.1 कटनी (म०प्र०)
 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की पठरा माइनर नहर निर्माण हेतु।
 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-47-अ.-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है। राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 मे उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा-11 उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नहीं दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पुरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

:: अनुसूची ::

- 1- भूमि का वर्णन :-
- | | | | |
|---------------------|---|----------------|-----------|
| क. जिला | : | कटनी | |
| ख. तहसील | : | विजयराघवगढ | |
| ग. ग्राम | : | खरखरी | प.ह. न. 3 |
| घ. अर्जित क्षेत्रफल | : | 0.090 हेक्टेयर | |

भूमि का विवरण			
स.क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा (हे०मे०)	अर्जित रकवा (हे०मे०)
1	611/5	0.440	0.090
कुलयोग:-		0.440	0.090

- 2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दौयी तट नहर संभाग क्र.1 कटनी (म०प्र०)
- 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की निर्माण हेतु।
- 4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा-4]

क्र.-773-भू-अर्जन-2024

सीधी, दिनांक 19 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	कोतरकला
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	सीधीगिर्द
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.9060 है0

क्र0	खसरा नम्बर	का रकबा है0 में	विवरण
1	2	3	4
1	6/1/1/1/1	0.0500	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता बंशपति प्रसाद गुप्ता
2	6/1/2/1	0.1000	सुरेश प्रसाद गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता
3	6/1/2/2	0.0160	संतोष शुकला पिता अरूण कुमार शुकला
4	6/2	0.2140	राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश प्रसाद, नारायण प्रसाद पिता बंशपति प्रसाद गुप्ता
5	88	0.0390	राजीव लोचन छाया उर्फ नवल किशोर, मंगलेश्वर, भोला पिता सुखनन्दन मू गणित्या देवी सुखनन्दन हिस्सा 8/9 राजीव लोचन छाया उर्फ नवल किशोर, मंगलेश्वर, भोला पिता सुखनन्दन हिस्सा 1/9
6	89/1	0.0200	सवित्री गुप्ता देवी बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4, प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हिस्सा 1/12, आर्या गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, प्रियाश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, राजेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4, दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4
7	89/2	0.0200	नवल किशोर पिता सुखनन्दन वानी
8	90/1	0.0400	जानकी देवी माधव प्रसाद, गीता पुत्री माधव प्रसाद, सुरेश पुत्री माधव प्रसाद, सविता पुत्री माधव प्रसाद, सुनम पुत्री माधव प्रसाद, बाबूलाल पिता नरेंद्रा, माहुरी देवी नरेंद्रा किश्यासिनी पिता जमुना गुप्ता, रामगोपाल पिता जमुना, अलमणि देवी रामकृपाल गुप्ता, अग्रनाथ पिता रामकृपाल गुप्ता, देवी प्रसाद पिता रामकृपाल गुप्ता, संतोष पिता रामकृपाल गुप्ता, सुनील पिता रामकृपाल गुप्ता, केलसुभा देवी हरीदास गुप्ता, बडकू, पिता हरीदास गुप्ता, जयपति पिता हरीदास गुप्ता, उषा देवी राजबहोरन गुप्ता, पंकज पिता राजबहोरन गुप्ता, अजित गुप्ता पिता राजबहोरन गुप्ता, पूजा गुप्ता पुत्री राजबहोरन गुप्ता, अमिता गुप्ता देवी बंशगोपाल गुप्ता सुरेश प्रसाद पिता बंशगोपाल गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, श्यामकली पुत्री माधव प्रसाद गुप्ता
9	70/1	0.0240	शांती देवी बंशगोपाल, सुरेंद्र प्रसाद, अमित, सुरेश राजकुमार पिता बंशगोपाल गुप्ता, जानकी देवी माधव प्रसाद, बाबूलाल पिता नरेंद्रा प्रसाद, माहुरी देवी नरेंद्रा प्रसाद, बडकूल पिता हरीदास, केलसुभा देवी हरीदास, जयपति पिता हरीदास, उषा देवी राजबहोरन गुप्ता, पंकज पिता राजबहोरन गुप्ता, अग्रनाथ पिता रामकृपाल गुप्ता, अमित गुप्ता पिता रामकृपाल गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, श्यामकली पुत्री माधव प्रसाद गुप्ता
10	70/2	0.0230	जयपति प्रसाद पिता हरीदास गुप्ता
11	70/3	0.0230	उषा गुप्ता पत्नी राजबहोरन गुप्ता पंकज गुप्ता पिता राजबहोरन गुप्ता, अमित पिता राजबहोरन गुप्ता, पूजा पिता राजबहोरन गुप्ता
12	71	0.0680	राजीव लोचन पिता सुखनन्दन, नवल किशोर पिता सुखनन्दन, मंगलेश्वर पिता सुखनन्दन, भोला पिता सुखनन्दन
13	78/1	0.0420	सवित्री गुप्ता देवी बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4, प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हिस्सा 1/12, आर्या गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, प्रियाश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, राजेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4, दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4
14	78/2/1	0.0420	मंगलेश्वर पिता सुखनन्दन वानी
15	78/2/2	0.0420	भोला प्रसाद पिता सुखनन्दन वानी
16	91/2/1	0.0200	नारायण प्रसाद पिता ईश्वरजीत
17	19/4	0.0050	संतोषकुमार गुप्ता पिता रामस्वयंवर गुप्ता
18	9/1/2/8	0.0090	मुन्नालाल तिवारी पिता फारसनाथ तिवारी
19	16/1	0.0040	शारदा गुप्ता, दिनेश गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, तीरस गुप्ता पिता राजेश्वरी गुप्ता, कुसुमकली गुप्ता पत्नी राजेश्वरी गुप्ता
20	16/2	0.0040	भोला प्रसाद, दिनेश प्रसाद रघुवंश प्रसाद, गुज्जू प्रसाद, पपुराज प्रसाद पिता शेषनाथ
21	16/3/1	0.0030	सुमन-आबेबा कोशल प्रसाद
22	16/3/2	0.0040	दिवाकर प्रसाद पिता कोशल प्रसाद
23	16/3/3	0.0030	गुलाम प्रसाद पिता कोशल प्रसाद
24	16/3/4	0.0030	शकर प्रसाद पिता कोशल प्रसाद
25	69	0.0700	बाबी देवी किणू प्रसाद, प्रभात, बोरेन्द्र पिता किणू गुप्ता, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सुरेश प्रसाद गुप्ता, मोरेश्वर गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, रामवती गुप्ता, सुभाषु कुमार गुप्ता, माता मोषी गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता, कुसुमकली, हेमराज श्यामवती, माता छोटला देवी, गामती देवी पिता अनंद
26	79	0.0180	मु जानकी देवी देवी माधव प्रसाद, बाबूलाल पिता नरेंद्रा प्रसाद, मु सुनी देवी नारायण प्रसाद, मु केलसुभा देवी हरीदास वानी, बडकू, जयपति पिता हरीदास, मु उषा देवी राजबहोरन, पंकज अमित, पूजा, पिता राजबहोरन, राजेश्वर सिंह पिता लालबिहारी सिंह, किश्यासिनी प्रसाद पिता जमुना प्रसाद, सुनील मणि देवी रामकृपाल, अग्रनाथ, देवी प्रसाद, संतोष, सुनील पिता रामकृपाल
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.9060	-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 सितम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक 0031/अ-82 वर्ष 2023-2024 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की रकम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला — पन्ना
(ख) तहसील — देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम — पिपरिया, प.ह.नं. 024
(घ) क्षेत्रफल — 0.280 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	26/2/1/1	0.005	निजी भूमि
2	26/2/1/2	0.010	निजी भूमि
3	26/2/1/3	0.005	निजी भूमि
4	26/2/1/4	0.005	निजी भूमि
5	26/2/1/5	0.010	निजी भूमि
6	26/2/1/6	0.005	निजी भूमि
7	26/2/1/7	0.005	निजी भूमि
8	26/2/1/8	0.005	निजी भूमि
9	26/2/1/9	0.010	निजी भूमि
10	26/2/1/10	0.005	निजी भूमि
11	26/2/1/11	0.005	निजी भूमि

12	26/2/1/12	0.010	निजी भूमि
13	26/2/1/13	0.005	निजी भूमि
14	26/2/1/14	0.005	निजी भूमि
15	26/2/1/15	0.005	निजी भूमि
16	26/2/1/16	0.005	निजी भूमि
17	26/2/1/17	0.010	निजी भूमि
18	26/2/1/18	0.005	निजी भूमि
19	26/2/1/19	0.005	निजी भूमि
20	26/2/1/20	0.005	निजी भूमि
21	26/2/1/21	0.005	निजी भूमि
22	26/2/1/22	0.005	निजी भूमि
23	26/2/1/23	0.005	निजी भूमि
24	26/2/1/24	0.005	निजी भूमि
25	26/2/1/25	0.005	निजी भूमि
26	26/2/1/26	0.005	निजी भूमि
27	26/2/1/27	0.005	निजी भूमि
28	26/2/1/28	0.005	निजी भूमि
29	26/2/1/29	0.005	निजी भूमि
30	26/2/1/30	0.005	निजी भूमि
31	26/2/1/31	0.005	निजी भूमि
32	26/2/1/32	0.005	निजी भूमि
33	26/2/1/33	0.005	निजी भूमि
34	26/2/1/34	0.005	निजी भूमि
35	26/2/1/35	0.005	निजी भूमि
36	26/2/1/36	0.005	निजी भूमि
37	26/2/1/37	0.005	निजी भूमि
38	26/2/1/38	0.005	निजी भूमि
39	26/2/1/39	0.005	निजी भूमि
40	26/2/1/40	0.005	निजी भूमि
41	26/2/1/41	0.005	निजी भूमि
42	26/2/1/42	0.005	निजी भूमि
43	26/2/1/43	0.005	निजी भूमि
44	26/2/1/44	0.005	निजी भूमि
45	26/2/1/45	0.005	निजी भूमि
46	26/2/1/46	0.005	निजी भूमि
47	26/2/1/47	0.005	निजी भूमि
48	26/2/1/48	0.005	निजी भूमि
49	26/2/1/49	0.005	निजी भूमि
50	26/2/1/50	0.005	निजी भूमि
51	26/2/1/51	0.005	निजी भूमि
	कुल रकवा :-	0.280 हे०	

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि०मी०) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों का पूरक प्रस्ताव) हेतु ।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-6141-जि.भू.अ.-2024

सिवनी, दिनांक 23 सितम्बर 2024

धारा - 6

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2024-25 कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.(म/स) सं. कं. 1 सिवनी द्वारा बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम रनबेली पटवारी हल्का नं. 07 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी की प्रस्तावित निजी भूमियों में से 0.23 हैं. भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का अंजन करना चाहता है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्रारूप "ख" एवं "ग"

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2024-25 ग्राम-रनबेली प0ह0नं0 07 रा.नि.मं. - बंडोल तहसील व जिला सिवनी

प्रारूप - ख
(नियम 5)

सामाजिक समाघात रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
2	लोक प्रयोजन	मार्ग निर्माण
3	स्थान	ग्राम - रनबेली प0ह0नं0 07 रा.नि.मं. - बंडोल तहसील सिवनी व जिला सिवनी
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि - 0.23 हैं.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया है।	वर्तमान में यातायात पुराने मार्ग से हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा गड्डे एवं चौड़ाई कम होने से दुर्घटना होने की संभावना होती है। अतः मार्ग निर्माण चौड़ीकरण किये जाने हेतु नये अलाइमेंट से किया जाकर निजी भूमि का अर्जन मार्ग निर्माण हेतु किया जा रहा है।
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	परियोजना म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग(म./स.) भोपाल के द्वारा सी. आर. आई. एफ. योजना में किया जा रहा है।
7	परियोजना निर्माण के चरण	प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम - रनबेली प0ह0नं0 07 रा.नि.मं. - बंडोल की निजी भूमि अर्जित रकबा 0.23 हैं.
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2024-25 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार)	निरंक
12	परिसंपत्तियां	निरंक
13	विस्थापित होने वाले समाघात परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	निरंक
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची	सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन। 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन - परिवार विस्थापन एवं पुनर्वासन, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाएं 2. निर्मित संरचना - इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति 3. आर्थिक मूल्यांकन - रोजगार और आय के स्रोत 4. सामाजिक पर्यावरण - वायु की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, ध्वनि शोर, खाली भूमि
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया है (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावों की अधिमार्ग्यता क्यों दी गयी। (ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं	परियोजना से आसपास के ग्रामीण एवं स्थानीय निवासीयों को स्थाई बारहमासी यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। जिससे स्कूल कालेज आने जाने में छात्रों को वाहन सुविधा मिलेगी। बेरोजगार लोग बरसात में भी शहरी क्षेत्र में जाकर काम कर सकेंगे एवं मार्ग निर्माण से बारहमासी यातायात चलने से मार्ग के नजदीक दुकान चाय-नाश्ता स्टाल, वाहन गैरेज, कृषि बिचकी केन्द्र, बेयरहाउस आदि बना सकते हैं जिससे कि रोजगार एवं आय के साधन बढ़ेंगे। लोगों को अस्पताल, मंडी आदि आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अतः परियोजना फायदेमंद है।
16	प्रस्ताव का निष्कर्ष	मार्ग निर्माण के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को बारहमासी सुलभ यातायात उपलब्ध होगी। अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अनुशंसा करता है।

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2024-25 ग्राम-रनबेली प0ह0नं0 07 रा.नि.मं. - बंडोल तहसील व जिला सिवनी

प्रारूप - ग

(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल - मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिये पेयजल स्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिक तलाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाएँ(पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएँ स्कूल आंगनबाड़ी बालउद्यान और श्मशान कब्रिस्तान)	उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है।
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा।

क्र.-6142-जि.भू.अ.-2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत दायी तट नहर निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1 ग्राम का नाम :- पायली प.ह.नं. :- 109 रा.नि.मं. :- लखनादौन तहसील :- लखनादौन जिला :- सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :- 0.63 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण क्रमांक	कृ. स्वामित्व प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (है० मं)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति प्रति	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	77/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	रमेशकुमार पिता प्रेमलाल जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रमेशकुमार की शेष भूमि	विन्नाबाई पि. मोहनसिंह की भूमि	ग्राम ब्राम्हन वाडा की सरहद	महेश पि. प्रेमलाल की भूमि	-	-	-	-
2	77/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	महेश पिता प्रेमलाल जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	विन्नाबाई पि. मोहनसिंह की भूमि	रमेशकुमार पि. प्रेमलाल की भूमि	ग्राम ब्राम्हन वाडा की सरहद	सुभाष पि. सुरेश की भूमि	-	-	-	-
3	79/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	विन्नाबाई बेवा मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	विन्नाबाई पि. मोहनसिंह की शेष भूमि	गयाप्रसाद पि. रतीराम की भूमि	ग्राम ब्राम्हन वाडा की सरहद	रामप्रसाद पि. प्रेमलाल की भूमि	-	-	-	-
4	78/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	सुभाष पिता सुरेश जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	विन्नाबाई पि. मोहनसिंह की भूमि	सुभाष पि. सुरेश की शेष भूमि	महेश पि. प्रेमलाल की भूमि	गयाप्रसाद पि. रतीराम की भूमि	-	-	-	-
5	78/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	गयाप्रसाद पिता रतीराम जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	बेलाबाई बगैरह रामलाल की भूमि	विन्नाबाई पि. मोहनसिंह की शेष भूमि	सुभाष पि. सुरेश की शेष भूमि	रामप्रसाद पि. प्रेमलाल की भूमि	-	-	-	-

6	81/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	रामप्रसाद पिता प्रेमलाल जाति सोनी नि.ग्रा. भूमिस्वामी	विन्नाबाई पि. मोहनसिंह की शेष भूमि	दिनेश पि. गंगाप्रसाद की भूमि	गयाप्रसाद पि. रतीराम की भूमि	सदनकुमार पि. प्रेमचंद की भूमि	-	-	-	-
7	81/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	सदनकुमार पिता प्रेमचंद जाति बनिया नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सदनकुमार की शेष भूमि	सदनकुमार की शेष भूमि	रामप्रसाद पि. प्रेमलाल की भूमि	रामप्रसाद पि. प्रेमलाल की भूमि	-	-	-	-
8	81/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06		सदनकुमार की शेष भूमि	सदनकुमार की शेष भूमि	विन्नाबाई पि. मोहनसिंह की शेष भूमि	झामसिंह पि. तिलोकसिंह की भूमि	-	-	-	-
9	83	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	झामसिंह पिता तिलोकसिंह जाति राजपूत नि. ग्रा. भूमिस्वामी	झामसिंह पि. तिलोकसिंह की शेष भूमि	झामसिंह पि. तिलोकसिंह की शेष भूमि	सदनकुमार पि. प्रेमचंद की भूमि	शासकीय नाला	-	-	-	-
योग	9			0.63						-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र.-6143-जि.भू.अ.-2024-

धारा - 6 :

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2024-25 कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.(भ/स) सं. कं. 1 सिवनी द्वारा बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम मारबोडी पटवारी हल्का नं. 18 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी की प्रस्तावित निजी भूमियों में से 0.48 हैं. भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का अर्जन करना चाहता है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्रारूप 'ख' एवं 'ग'

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2024-25 ग्राम-मारबोडी प0ह0नं0 18 रा.नि.मं. - बंडोल तहसील व जिला सिवनी

प्रारूप - ख

(नियम 5)

सामाजिक समाघात रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
2	लोक प्रयोजन	मार्ग निर्माण
3	स्थान	ग्राम - मारबोडी प0ह0नं0 18 रा.नि.मं. - बंडोल तहसील सिवनी व जिला सिवनी
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि - 0.48 हैं.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया है।	वर्तमान में यातायात पुराने मार्ग से हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा गड्डे एवं चौड़ाई कम होने से दुर्घटना होने की संभावना होती है। अतः मार्ग निर्माण चौड़ीकरण किये जाने हेतु नये अलाइमेंट से किया जाकर निजी भूमि का अर्जन मार्ग निर्माण हेतु किया जा रहा है।
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	परियोजना म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग(भ./स.) भोपाल के द्वारा सी. आर. आई. एफ. योजना में किया जा रहा है।
7	परियोजना निर्माण के चरण	प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम - मारबोडी प0ह0नं0 18 रा.नि.मं. - बंडोल की निजी भूमि अर्जित रकबा 0.48 हैं.
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2024-25 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार	निरंक
12	परिसंपत्तियां	क. मकान 2
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	निरंक
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख)समाघातों की संकेतक सूची	सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन। 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन - परिवार विस्थापन एवं पुनर्वसाइट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये 2. निर्मित संरचना - इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति 3. आर्थिक मूल्यांकन - रोजगार और आय के स्रोत 4. सामाजिक पर्यावरण - वायु की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, ध्वनि शोर, खाली भूमि
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावों की अधिमान्यता क्यों दी गयी। (ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं	परियोजना से आसपास के ग्रामीण एवं स्थानीय निवासीयों को स्थाई बारहमासी यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। जिससे स्कूल कालेज आने जाने में छात्रों को वाहन सुविधा मिलेगी। बेरोजगार लोग बरसात में भी शहरी क्षेत्र में जाकर काम कर सकेंगे एवं मार्ग निर्माण से बारहमासी यातायात चलने से मार्ग के नजदीक दुकान चाय-नाश्ता स्टाल, वाहन गैरेज, कृषि बिक्री केन्द्र, वेयरहाउस आदि बना सकते हैं जिससे कि रोजगार एवं आय के साधन बढ़ेंगे। लोगों को अस्पताल, मंडी आदि आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अतः परियोजना फायदेमंद है।
16	प्रस्ताव का निष्कर्ष	मार्ग निर्माण के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को बारहमासी सुलभ यातायात उपलब्ध होगी। अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अनुशंसा करता है।

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2024-25 ग्राम -मारबोडी प0ह0न0 18 रा.नि.मं.- बंडोल तहसील व जिला सिवनी

प्रारूप - ग

(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल - मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिये पेयजल स्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिक तलाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाएँ(पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएँ स्कूल आंगनबाड़ी बाल उद्यान और श्मशान कब्रिस्तान)	उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है।
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाई के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संस्कृति जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-494-भू-अर्जन-2024

देवास, दिनांक 24 सितम्बर 2024

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम
2013 क्र.30 सन 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "पटपड़ी लघु सिंचाई योजना" के अंतर्गत ग्राम-पटपड़ी, तहसील उदयनगर, अनुभाग बागली के जिला देवास (म.प्र.) के डूब में प्रभावित वन भूमि के वनाधिकार पट्टों की भूमि भू-अर्जन किए जाने हेतु वर्णित भूमि जिसका पट्टा धारकों का नाम एवं कक्ष क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कक्ष क्रमांक की भूमि "पटपड़ी लघु सिंचाई योजना" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम - पटपड़ी, तहसील उदयनगर, जिला देवास

क्रं.	विवरण	अर्जित वन भूमि के वनाधिकार पट्टों की भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
		कुल कक्ष संख्या	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1.	पटपड़ी लघु सिंचाई योजना का बांध निर्माण कार्य हेतु	19	32.203	32.203

अनुसूची-2

"पटपड़ी लघु सिंचाई योजना" के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम पटपड़ी, तहसील उदयनगर जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम - पटपड़ी, तहसील उदयनगर, जिला देवास

क्र.	पट्टा धारको का नाम	जाति	अर्जित वन भूमि के वनाधिकार पट्टों की भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
			कक्ष क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	जुवान सिंह खेमला	अ.ज.जा.	717	2.29	2.29
2	रामसिंह मालसिंह	अ.ज.जा.	718	1.593	1.593
3	सुमेरसिंह बनसिंह	अ.ज.जा.	718	0.848	0.848
4	मडिया मोतिया	अ.ज.जा.	717	3.088	3.088

क्र.	पट्टा धारको का नाम	जाति	वन भूमि के वनाधिकार पट्टों की भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
			कक्षा क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित रकबा
5	खुमसिंह मालसिंह	अ.ज.जा.	718	2.244	2.244
6	चन्दरसिंह गोटिया	अ.ज.जा.	709	1.965	1.965
7	शंकर कलसिंह	अ.ज.जा.	709	1.595	1.595
8	विश्राम जुवानसिंह	अ.ज.जा.	718	2.595	2.595
9	कालू सूरसिंह	अ.ज.जा.	718	2.112	2.112
10	अमरसिंह छोटू	अ.ज.जा.	709	0.878	0.878
11	भंवरसिंह छोटिया	अ.ज.जा.	709	1.099	1.099
12	अर्जुन केकडिया	अ.ज.जा.	709	0.519	0.519
13	सोमला केकडिया	अ.ज.जा.	709	0.275	0.275
14	हीरालाल केकडिया	अ.ज.जा.	709	0.289	0.289
15	राजाराम डोगरसिंह	अ.ज.जा.	709	3.843	3.843
16	सुखलाल डोगरसिंह	अ.ज.जा.	709	1.195	1.195
17	पवन अमरसिंह	अ.ज.जा.	709	1.421	1.421
18	जमनाबाई मेहताब	अ.ज.जा.	717	3.123	3.123
19	फूलसिंग भंवरसिंग	अ.ज.जा.	709	01.231	01.231
कुल रकबा				32.203	32.203

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

क्र.-12244-भू-अर्जन-2024

नर्मदापुरम, दिनांक 20 अगस्त 2024

(म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12/02/2014/सात/ए, दिनांक 12/11/2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14/11/2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/समूह योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एन.डी.बी. योजनांतर्गत निर्माणाधीन सेमरीहरचंद, पालादेवरी, बोरना मिट्ठा, तेलसिर, महुआखेडा, गूजरखेडी, सांकला मार्ग निर्माण में ग्राम महुआखेडा में निर्माणाधीन बाक्स पुल के महुआखेडा तरफ के पहुंच मार्ग में लगभग 150 मीटर में आ रही निजी भूमि की आवश्यकता है। जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया है। उक्त भूमि के भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप-ख में सहमति मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

-: आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि/मकान का विवरण :-

जिला-नर्मदापुरम, अनुविभाग-सोहागपुर, तहसील-सोहागपुर, प.ह.नं.-07, ग्राम महुआखेडाखुर्द, रा.नि.मंडल-धपाडाकलां, कुल रकबा= 0.310 हेक्टेयर

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम	ख.नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	सिंचित रकबा हेक्टेयर में	असिंचित रकबा हेक्टेयर में	अन्य संपत्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	आनंद पिता जसवंत सिंह	49/1	0.072	0.020	निरंक	0.020	
02	छोटी बाई पत्नि जगदीश मीना	49/2	1.821	0.290	0.290	निरंक	
	कुल योग	दो	1.893	0.310	0.290	0.020	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना, कलेक्टर.